

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5

तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का तीसरा दिवस

संख्या: 3

बुधवार,  
01 सितम्बर, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे  
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

मरुस्थलीय क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मानदण्डों का सरलीकरण

16. श्री बाबूसिंह राठौड़: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार मरुस्थलीय भौगोलिक स्थिति एवं सुदूर ढाणियों में बसे हुए ग्रामीणों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदण्डों में सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मरुस्थलीय क्षेत्र या जिला जोधपुर में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृति के मानदण्ड में हिस्सा पूंजी 3.00 लाख व जनसंख्या 3000 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल मीणा):- (1) ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित मुख्य मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

- न्यूनतम जनसंख्या 5000
  - दो हजार हेक्टेयर भूमि।
  - न्यूनतम सदस्य संख्या 500
  - न्यूनतम हिस्सा राशि रू. 7.00 लाख
- सदस्यों से न्यूनतम अमानत रू. 1.0 लाख

स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय भवन/गोदाम हेतु निशुल्क भूखण्ड आवंटित करना।

निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु मंत्रिमण्डल आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा 113/2009 के निर्देशानुसार आर्थिक सक्षमता मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन संबंधी मापदण्ड उनकी आर्थिक रूप से सक्षमता को मध्यनजर रखते हुए न्यूनतम हिस्सा पूंजी रु0 15.00 लाख को घटाकर रु0 7.00 लाख एवं न्यूनतम जनसंख्या 5000 निर्धारित की गयी है। यह मापदण्ड भी मंत्रिमण्डल आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा 113/2009 के निर्देशानुसार निर्धारित किए गए हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की सहकारिता डिमाण्ड में यह घोषणा थी कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलना चाहते हैं व तीन लाख हिस्सा पूंजी कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को यूनिट मान करके ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जाये। मरुस्थलीय इलाके और पहाड़ी इलाके दूरस्थ पंचायतें हैं। पहले भी मरुस्थलीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों को छूट दी जाती रही है। अगर सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर खुले और खोलना आवश्यक इसलिए है कि नरेगा के सारे खाते उसमें खुल रहे हैं और 15 किलोमीटर दूर जाकर वहां से भुगतान लेना एक और मिनी बैंक के रूप में यह काम करेंगे। लघु कुटीर उद्योग लोन इनको मिलता है, कृषक लोन मिलता है, स्वयं सहायता समूह के खाते खुलते हैं, उपभोक्ता सामग्री वहां मिलती है, खाद बीज की व्यवस्था होती है। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र में आप इस मापदण्ड को कम कर हिस्सा पूंजी तीन लाख या पाँच लाख करे व जनसंख्या को भी पाँच हजार से कम कर तीन हजार करने का विचार रखते हैं या नहीं। आपने कहा मंत्रिमण्डल का फैसला है वह तो वापस ले जा सकते हो मंत्रिमण्डल में लेकिन यह छूट होगी तभी होगा नहीं तो मेरा निवेदन है कि शेरगढ़ तहसील में 65 ग्राम पंचायतें हैं उसमें से 30 थी और अभी इस मापदण्ड में एक हुई है तो 31 हुई और शेष 34 पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। इसी प्रकार से दूसरे मरुस्थलीय इलाकों में यह हालात है, पहाड़ी इलाकों में यह हालात है। इसलिए पंचायतों से भी ज्यादा इसका काम रहता है तो आप इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत पर करे। मैं सरकार को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि आपने एक हजार करोड़ के लोन पहली बार दिये नये लोन और लोनी भी काफी तादाद में आपने नए बनाये हैं तो हिस्सा पूंजी भी हुई है लेकिन अभी थोड़ी कम पड़ रही है। इसको अगर आप मापदण्ड में कम करेंगे तो नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी तो इसमें आप मंत्रिमण्डल में ले जाकर के इसको कम करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं यह मैंने निवेदन किया है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य की भावना है उसी के अनुरूप पिछले मंत्रिमण्डल में जो शेयर राशि थी वह 15 लाख की गई थी उसके बाद में कोई भी एक सहकारी समिति का राजस्थान में गठन नहीं हुआ। जब हमारी सरकार के मंत्रिमण्डल के चिंतन शिविर में यह बात आई। मुख्यमंत्री जी का और हमारे कैबिनेट के साथियों का इस ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने 15 लाख से घटाकर इसको 7 लाख रुपए शेयर मनी किया और उसके बाद में मुझे खुशी है कि आप बता रहे हैं मरुस्थलीय इलाके बाड़मेर सबसे ज्यादा मरुस्थलीय इलाका है, दूर दराज का इलाका है वहां सबसे ज्यादा सहकारी समितियों का गठन हुआ है। इसलिए कोई शेयर मनी अगर हम घटाएंगे, पहले ही 15 से 7 कर दिया, टेन टाइम एक लाख होगा तो आपको दस लाख का ऋण किसान को मिलेगा। अगर शेयर मनी हम घटाएंगे अभी सात लाख का है वहां पर 70 लाख तक हम किसानों को ऋण दे सकते हैं अगर और शेयर यमनी घटाएंगे तो वह वायबल नहीं होगी आर्थिक रूप से, किसानों को जो उनकी गठन की जो बात थी, वह उनकी जो मंशा थी वह मंशा पूरी नहीं होगी। हमने इसमें यह किया है अभी जो दूसरी समिति से जो सदस्य आएंगे अभी जिस समिति में जो सदस्य है उनकी शेयर मनी है उस सदस्य को भी काउंट करेंगे और उनकी जो शेयर मनी ट्रांसफर होकर आएगी वह भी हम सात लाख में से उसको माइनस कर देंगे और जो शेष रहेगी मान लो तीन लाख आई, दो लाख आई शेष शेयर मनी आपसे जमा करके हम नई समितियों का गठन करने पर सरकार पूरी कोशिश करेगी और यह हम चाहते हैं पाँच हजार का जो राइडर लगा है हम चाहते हैं हर ग्राम पंचायत स्तर पर हो। इसको हम मंत्रिमण्डल में लेकर दुबारा जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पाँच हजार की जनसंख्या के राइडर को हटाकर मरुस्थलीय दूसरे इलाकों में उसको घटाकर आप पंचायत स्तर पर करे। यह हम मंत्रिमण्डल में दुबारा लेकर जाएंगे और हम चाहते हैं कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समितियां बने सरकार की ऐसी मंशा है। हमारा जो को-ऑपरेटिव आंदोलन है गांव-गांव व ढाणियों-ढाणियों तक जाये। किसानों को ज्यादा कर्ज मिले। उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने अभी 3200 करोड़ का जो हमारा फसल कोर्प लोन था उसको बढ़ाकर पाँच हजार करोड़ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पाँच हजार करोड़ से भी ज्यादा कोर्प लोन किसानों को इस साल देंगे। इसलिए नरेगा के खातों में भी हमारे 3500 के करीब मिनी बैंक हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संचालित हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपके सबके सहयोग से मैं सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमारे गोदाम वगैरह नई समिति जो बने। वैसे मुख्यमंत्री जी ने सारे जिलों में आईसीडीपी प्रोजेक्ट लागू किया है। शेष 11 जिले थे उसमें भी गोदाम वगैरह का है अगर कहीं आवश्यकता हो, मैं माननीय सदस्यों को पत्र भी लिखूंगा। आप अपने विधायक कोटे से गोदाम वगैरह के लिए उसके लिए आप सहयोग करे और यह आंदोलन आपका आपकी मंशा के अनुरूप सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: हो गया, सफिशियंट जवाब है। अगला प्रश्न पुकार लिया है मैंने। श्री जानचन्द पारख।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अगर पंचायत मुख्यालय पर आप छूट दे दें, जो भी नियम आयेगे ...(व्यवधान)...

### औद्योगिक क्षेत्र पाली की आवासीय भूमि का नगर परिषद को हस्तान्तरण

17.श्री जानचन्द पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) औद्योगिक क्षेत्र पाली शहर के चतुर्थ चरण हेतु अवाप्त भूमि के एक भाग में बसी आवासीय बस्ती में कौन-कौन से परिवार कितने-कितने समय से मकान निर्माण कर निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम पर रीको पाली द्वारा नहीं करवाये जाने के कारण खातेदारों ने अवाप्त भूमि के कुछ भाग में आवासीय भूखण्ड काट कर बेच दिये थे? क्या रकार उक्त भूखण्ड धारकों को उनके भूखण्ड का मालिकाना हक देने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र की रीको की भूमि पर आवासीय बस्ती बस जाने पर रीको द्वारा उक्त भूमि नगर परिषद को हस्तान्तरित कर दी गई थी? क्या सरकार चतुर्थ चरण की अवाप्त भूमि पर बसी आवासीय बस्ती की भूमि को नगर परिषद को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद पाली ने पत्र लिख कर उक्त आवासीय बस्ती की भूमि को नगर परिषद को हस्तान्तरित करने आग्रह किया है? यदि हां, तो रीको द्वारा इस भूमि को नगर परिषद पाली को कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्री जी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बनाने की छूट जारी कर देंगे। कैबिनेट में लेकर इस मामले को जाएंगे छूट वहां से होगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान)... दूसरे अन्य विभागों में चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो सब में यह अंतर रखा है कि जो आदिवासी क्षेत्र है व रेगिस्तानी क्षेत्र है इनमें दूरियां ज्यादा हैं 30-30 किलोमीटर दूर है कोई भी मिनी बैंक भुगतान के लिए जाना पड़ता है, बार-बार चक्कर काटना पड़ता है यह थोड़ा फर्क रखे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान)... सब में रखा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जयपुर संभाग की अलग परिस्थिति है और आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र में यह अंतर रख दे तो काफी इसमें लाभ मिल जाएगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मरुस्थलीय पहाड़ी में थोड़ा सा हिस्सा पूंजी में अंतर रखे। आप कर दे तो ठीक है नहीं तो आने वाली भाजपा सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखे।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) पाली शहर के औद्योगिक (चतुर्थ चरण) हेतु कुल अवाप्त भूमि 355 बीघा 6 बिस्वा के एक भाग में 27 परिवार आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इन परिवारों में से 11 परिवार 15 से 20 वर्षों से तथा 16 परिवार गत 2 से 5 वर्षों से निवास कर रहे हैं।

(2) जी हां। वस्तुस्थिति की जांच हेतु आयुक्त उद्योग, प्रबंध निदेशक रीको तथा उप सचिव उद्योग (प्रथम) की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर इसे एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) जी हां। इसका जवाब बिन्दू संख्या 2 में दिया जा चुका है।

(4) सभापति, नगर परिषद, पाली द्वारा पत्र दिनांक 15.7.2010 द्वारा राज्य सरकार से रीको की उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर बसी आवासीय बस्ती की भूमि नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित करने का आग्रह किया है। इसका जवाब बिन्दु संख्या 2 में दिया जा चुका है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है खण्ड दो में एक तो मंत्री से यह पूछना चाहूंगा....

### **Bhs/usc/1.9.10/11.10/1b**

कि यह कमेटी आपने कब गठित की? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है रीको पाली द्वारा यह भूमि कब अवाप्त की गई और इस भूमि को अपने पक्ष में नामान्तरण करने की कार्यवाही रीको द्वारा कब की गई? नामान्तरण की कार्यवाही में अत्यधिक देरी हुई है उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? बहुत लंबा समय बीता और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि अरबों रुपये की जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया, करोड़ों की नहीं अरबों की जमीन है। तीसरा मेरा पूरक प्रश्न है अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा लिये जाने के बाद भी संबंधित खातेदार ने इस भूमि को अन्य लोगों को बेच दिया क्योंकि रीको के नाम वो नामान्तरित नहीं हुई, बेची दी तो क्या ऐसे खातेदारों के विरुद्ध रीको कुछ कार्यवाही करेगी? इसका जवाब भी आप मुझे दे दो और जो भूमि अभी आपकी रिक्त पड़ी है अभी भी आपके पास सैंकड़ों बीघा भूमि रिक्त पड़ी है वो भूमि भूमाफियों के हत्थे नहीं चढ़े उसके लिए विभाग उस पर कोई औद्योगिक भूखण्ड काट कर उद्यमियों को आबंटित करने की मंशा रखता है या कोई प्रस्तावित है आपकी योजना? यह आप मुझे बताने का श्रम करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली के चतुर्थ फेज में 355 बीघा 6 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई और यह 1984 में अवाप्त की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल सही है कि 1984 में भूमि अवाप्त की गई और लंबे समय तक उसका नामान्तरण नहीं हुआ और यह भी सही है कि नामान्तरण नहीं होने की वजह से और कुछ लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा राशि भी नहीं ली। एक लंबे समय से 1984 से लेकर 2010 तक नामान्तरण नहीं हुआ। मात्र 25 बीघा भूमि का नामान्तरण हुआ उसके बाद में किस पर हम जिम्मेदारी तय करें एक लंबा समय हो गया उसमें कितने ऑफिसर्स गये लगातार रिटायर भी होंगे। निश्चित रूप से रीको के द्वारा उनको कई बार पत्र भी लिखे गये कि यह जमीन रीको द्वारा अवाप्त कर ली गयी है आप इसका नामान्तरण करें लेकिन लंबे समय तक नामान्तरण नहीं हुआ और इसी का फायदा उठा कर जो खातेदार थे जिन्होंने अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नहीं लिया और मुआवजा नहीं लेने के बाद जब नामान्तरण नहीं खुला तो इसका फायदा उठा करके उन्होंने इस जमीन का कब्जा किया और कब्जेशुदा जमीन को उन्होंने विक्रय भी कर दिया। जब वहां पर नामान्तरण नहीं खुला और जमीन को विक्रय कर दिया तो कुछ लोगों ने वहां पर जमीन जो अतिक्रमित भूमि थी जिनको बेच दिया गया था उस पर मकान बना कर पक्के मकान बना लिया। आवासीय भूमि बन गयी वहां पर। कमेटी का गठन माननीय अध्यक्ष महोदय, तीस तारीख को किया गया अभी जब मेरी जानकारी में आया और मामला न्यायालय में प्रकरणाधीन है। दो मामले हाइकोर्ट में हैं, नौ मामले स्थानीय कोर्ट्स में हैं ऐसे में ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किस पर हम जिम्मेदार डालें। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा जिन लोगों ने नहीं लिया उनके लिए हमने तलाश भी की लेकिन पता चला कि वो कहीं बाहर रहते हैं इसलिए उनके खातों में मुआवजा राशि जो जमा होनी थी वो भी जमा नहीं हो पायी लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूँ पूरे हाउस को कि रीको की और सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि रीको की अवाप्तशुदा जमीन पर कोई अतिक्रमण हो। इससे निश्चित रूप से न केवल पाली में बल्कि पूरे स्टेट में जहां कहीं भी रीको की जमीन है उस पर अतिक्रमण का एक तरह से और लोगों की भी मंशा बढ़ती रहती है। हम किसी को इस तरह से प्रेरित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि विवादास्पद जमीन होने के नाते और तत्काल उसका नामान्तरण नहीं हो तो ऐसे में उस पर कब्जे हो जाते हैं लेकिन कमेटी निश्चित समय पर एक महीने का मैनने समय निश्चित किया है इस पर अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा यह माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री ज्ञानचन्द्र पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जब रीको की जानकारी में यह आ गया कि यह भूमि रीको की है और इसके ऊपर भूमाफिया, ये जो मकान बन गये उनको तो छोड़ दो आप ये तो मामूली 10-15 बीघा में है उसके अलावा आपके पास डेढ़ सौ बीघा के करीब भूमि और खाली पड़ी है। जब

यह जानकारी में आ गया कि यह रीको की जमीन है उसके बाद में तीन महीने तक अपने पक्ष में नामान्तरण नहीं करवा पाने के क्या कारण रहे जिसके कारण से भूमाफिया ने अदालत में जाकर स्टे ले लिया। स्टे दो महीने बाद मिला है। राजस्थान पत्रिका ने लगातार छापा है तब रीको सक्रिय हुआ कि यह भूमि हमारी है तो यह तीन महीने का समय जानकारी में आने के बाद, जिसका फायदा भूमाफिया ने उठाया इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है यह बता दो क्योंकि आपके एमडी ने भी पत्र लिखे हैं पाली कलेक्टर को कि इसका रीको के नाम नामान्तरण करो उसके बावजूद भी तहसीलदार ने डेढ़ महीने तक नामान्तरण नहीं किया, कोर्ट में जाने का अवसर दिया भूमाफिया को और जब स्टे ले आये तब नामान्तरण हुआ तो आप इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? आप बात की सच्चाई पता लगा लें कोई दिक्कत नहीं है आप रिकार्ड मंगवा लें। आपके एमडी ने तीन पत्र लिखे हैं पाली जिला कलेक्टर को उसके बावजूद भी नामान्तरण नहीं किये जाना सरकारी पक्ष में यह सरकार के लिए बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि अरबों रुपयों की जमीन है वो मामूली जमीन नहीं है माननीय मंत्री महोदय, आप उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे क्या? यह बता दें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न को मैंने बजट सत्र में रखा था और माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था ...।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या रीको के पास रिकार्ड है कि हमारी भूमि कहां-कहां पड़ी है?

श्री अध्यक्ष: दोनों को मैंने अलाऊ नहीं किया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अलाऊ करो तो।

श्री अध्यक्ष: एक-एक को अलाऊ करूंगा। बैठिये पहले। पहले बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अलाऊ करो।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट सत्र में इसी प्रश्न को किया था फोर्थ फेज की रीको की पाली के इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के लिए और माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि हम जल्दी से जल्दी अतिक्रमणों को हटा कर के वहां से रीको की जमीन को ...।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या गलतफहमी हो गयी अभी इन्होंने मना कर दिया क्या कि जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उस समय भी वो ही कहा था और आज भी वो ही।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 6 महीने पहले भी वो ही कह रहे थे और अभी भी वो ही कह रहे हैं और 12 महीने बाद भी वो ही कहेंगे। इसका मतलब यह है कि इनका ..। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं। बैठिये। बैठिये। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या रीको के अधिकारियों के पास और मंत्री जी के पास यह भी रिकार्ड है कि हमारी जमीन कहां-कहां पड़ी है? एक बात।

श्री अध्यक्ष: पाली का मामला।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाली का नहीं।

श्री अध्यक्ष: पाली का है प्रश्न पाली से संबंधित है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान का सवाल है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं पाली की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर-2 एक बात ...।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्री जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कितना गम्भीर प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको की जमीनों पर लोग ..।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...भूमाफियाओं ने कब्जा करके मकान बना लिया और ... (व्यवधान)... राजस्थान घाटे में जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का। विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लोगों की जमीन ओक्युपाई की आपने उसका यूज नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवा रहा हूं आपके प्रश्न का। भाषण की आवश्यकता नहीं है आपके प्रश्न का जवाब दिलवा रहा हूं। पूरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मंत्री जी खड़े हुए हैं आप सुनिये।

श्री ज्ञानचन्द्र पारख (पाली): 000

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं बैठिये आप। आप प्रश्न पूछ चुके हैं। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ चुके हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में जमीन अवाप्त हुई उसके बाद में इनकी सरकार रही पिछली बार दो बार सरकार रहने के बाद भी इन्होंने एक दिन कार्यवाही नहीं की। मुझे जब यह जानकारी में आया ... (व्यवधान)... देखिये सुनिये

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आप। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानचन्द्र पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये इन्होंने नहीं किया, किया, आप तो स्पेसिफिक जो है उसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं वो ही जवाब दे रहा हूँ और 5.4.2010 को मैंने जब मेरी जानकारी में आया यह कि लंबे समय से 326 बीघा जमीन का नामान्तरण नहीं हो रहा है तो मैंने मेरे अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि तत्काल इसका नामान्तरण करायें। 5.4.10 को मैंने इसका नामान्तरण कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रवण कुमार जी जो फरमा रहे हैं, 651 बीघा हमारी जमीन आज भी अतिक्रमित है, मान रहे हैं हम इस बात को लेकिन हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो रीको की जमीन है...।

श्री अध्यक्ष: आप इधर संबोधित करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ... वो हम अतिक्रमणों को हटा करके अपने पजेशन में लेंगे, आप बिलकुल निश्चित रहिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ...।

श्री अध्यक्ष: आखिरी पूरक प्रश्न होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 26 साल पहले सरकार ने एक्वायर की इंडस्ट्रिज के लिए और आज तक उसके प्लॉट नहीं कटे। इसका मतलब रीको उसको चाहता नहीं और सरकार के आदेश के बाद भी वहां के कलेक्टर और तहसीलदार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपकी सरकार के आदेश तो मान ही नहीं रहे हैं।

**दुर्गा/त्रिपाठी 01092010 1120 1c**

श्री अध्यक्ष: यह पाली में किस्सा ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं है पाली का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां पाली का ही है, पाली का ही है। पाली में जब 26 साल पहले एक्वायर की और नामान्तरण अभी आज 2010 में 26 साल बाद हो रहा है। कलेक्टर को रीको के एम.डी. के लिखने के बाद में भी कलेक्टर नामान्तरण नहीं खुलवाता है तो क्या सरकार उन भू-माफियाओं से मिली हुई है जिन्होंने कब्जा करके कोर्ट में स्टे लेने के लिये पूरी सरकार मिली हुई है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है। (व्यवधान)

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जाहिर है आपका सिस्टम फैल हो चुका है। आपके रीको के अधिकारियों की कोई नहीं सुने। कलक्टर की कोई नहीं सुने।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तहसीलदार मनमानी करे और आपकी योजना 1984 में बनी, आज भी वहीं खड़ी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय 355 बीघा 6 बिस्वा जमीन जो एक्वायर की रीको ने, पूरी जमीन पर नहीं है। मात्र 39 बीघा जमीन है जिसका नामान्तरण नहीं हो सका।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बाकी तो कट गयी क्या। (व्यवधान) बाकी तो कट गये, 24 के अलावा तो प्लाट कट गये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बाकी योजना बनाकर के दे चुके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। आपका जवाब दे रहे हैं। आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 24 बीघा की बात कर रहे हैं। पूरी जमीन पर आज तक एक इण्डस्ट्री का प्लाट नहीं कटा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके पूरक प्रश्न में, फिर अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं आगे बढ़ूं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी जो जमीन थी, उसके प्लाट काट दिये, उस पर हमारी योजनाएं बन गयीं। मात्र 39 बीघा जमीन थी और उसको हम कमेटी बनाकर के उसका निर्णय कर देंगे तत्काल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो 300 बीघा में कितनी फैक्ट्री लग गईं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त, चर्चा समाप्त। श्री रघु शर्मा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। 39 बीघा पर तो रहवास की बस्ती है बाकी आपकी सैंकड़ों बीघा भूमि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यातायात मंत्रीजी। आप तो जवाब दीजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसको भू-माफिया हड़प करना चाहता है, मेहरबानी करके उसको बचा दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये।

### केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सुविधा

18. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2008 से अब तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितनी बसें (सभी प्रकार की) क्रय की गईं तथा उक्त बसों की खरीद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में इनमें से कितनी नई बसों का संचालन किया जा रहा है एवं कितने रूट पर बस चलाये जाने की मांग है? सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

(3) वर्ष 2008 से पूर्व उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन मार्गों एवं गांवों तक पथ परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध थी और उक्त में से कितनी बसों को किन-किन कारणों से बंद किया गया? क्या सरकार बंद बसों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(4) नई क्रय की गई बसों में से कितनी बसें विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के लिये देने का सरकार विचार रखती है?

(5) उपनगरीय बस सेवा से उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपनगरों को जोड़ने हेतु सरकार कब तक निर्णय करेगी?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2008 से अब तक कुल 1744 बसें खरीदी गईं तथा इन बसों की खरीद पर अब तक कुल 221.78 करोड़ रुपये राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त 450 और बसें खरीदने के आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं 550 बसें इसी वर्ष खरीदने की योजना है। श्रेणीवार एवं वर्षवार बसों की खरीद की सूचना परिशिष्ट-1 पर दी गई है।

(2) इनमें से 106 नई बसें का संचालन विधान सभा क्षेत्र केकड़ी होकर विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार पृथक से नई बसों का आबंटन नहीं किया जाता है। वर्तमान में आगारवार आयु पूर्ण कर चुकी कण्डम वाहनों के स्थान पर नई बसों का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

वर्ष 2008 से जुलाई, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नये मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन करने के लिये 52 मांग प्राप्त हुईं जिनमें से 15 पर वाहन संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा शेष परीक्षाधीन हैं। वाहन संचालन हेतु प्राप्त मांग एवं उन पर निगम स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2008 तक जिन मार्गों पर बस संचालन बंद किया गया था उनकी सूची परिशिष्ट-4 पर है। दिसम्बर, 2008 के पश्चात बन्द किये गये मार्गों की सूची परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है। परिशिष्ट-5 में उपलब्ध सूची में से दो मार्गों पर इस शीतकालीन सत्र में चालू करना प्रस्तावित है।

(4) निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार आगारों को पृथक से नई बसों का आबंटन नहीं किया जाता अपितु आगारवार आयु पूर्ण कर चुकी कण्डम योग्य वाहनों के प्रतिस्थापन में ही नई बसों का आबंटन किया जाता है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से होकर 106 नई बसें संचालित की जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति-शांति।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): (5) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित नगर पालिकाओं को उप नगरीय सेवा से जोड़ने में एक मात्र बाधा यह है कि इस क्षेत्र की किसी भी नगरपालिका को अजमेर का उप नगर घोषित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग से विमर्श जारी है एवं उप नगर घोषित होने के पश्चात उपनगरीय सेवा का संचालन किये जाने का प्रयास किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। मंत्रीजी, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बात आप बता दो पहले। खरीद में तो आपके सी.एम.डी. ने रिकार्ड बीट कर लेना होगा, शायद। लेकिन खरीदने के बाद उसमें स्टाफ है क्या, फ्लीट है क्या? खाली बसें खड़ी रहेंगी क्या खरीदने के बाद? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सवाल हम सबकी तरफ से है जो अध्यक्षजी ने पूछा है। (व्यवधान) अध्यक्ष के आसन से सवाल किया गया है, जवाब दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अधिकांश सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। (व्यवधान) कण्डक्टर-ड्राइवर बिना बसें खरीदी हुईं खड़ी रहेंगी या अभी भी आपके पास खड़ी हैं या चल रही हैं। (व्यवधान) और दूसरा साथ में यह भी बता दो कि सी.एम.डी. आपकी सुन रहा है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं सुन रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले यह दे दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जब सी.एम.डी. इनकी नहीं सुने तो हम क्यों सुनेंगे इनकी। (व्यवधान) नहीं अध्यक्ष महोदय, जिनकी सी.एम.डी. नहीं सुने, उनकी हम क्यों सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य पूछें उसका जवाब दूं या पहले आपने जो पूछा उसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष: पहले पुछवा देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले अध्यक्षजी का, आसन सर्वोपरि है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज, जवाब। मैं आपको अलाऊ करूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 106 बताकर सारे सदन में मेरे को टारगेट बनाने का प्रयत्न किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टारगेट नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरी भी पीड़ा सुन लो, मेरे भाइयों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 106 रुट बनाकर दिये हैं इसी प्रकार...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह 108 हैल्थ डिपार्टमेंट का प्रश्न नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 106 रुट की बात चल रही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो सूची मंत्री महोदय को विभागीय अधिकारियों ने पकड़ाई है वह मेरे आसपास से गुजरने वाले जितने विधान सभा क्षेत्र हैं, चाहे उसमें केकड़ी टच कर रहा है या नहीं कर रहा, वह भी पकड़ा दी। मैंने आपको एतराज भी दर्ज करा दिया। वह सूची सही नहीं है। जब मैं 52 रुट लिख रहा हूँ तो केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में क्या कोई 20 लाख लोग रहते हैं क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही सवाल है कि मेरे 51 पंचायतें हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं। कितनी पंचायतों को इन्होंने रोडवेज से जोड़ा है यातायात की सुविधा के लिये। उससे आपको पता चल जाएगा, कितनी बसें हमारे यहां चल रही हैं। दूसरी चीज सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक स्कीम निकाली है, अध्यक्ष महोदय। उसमें इन्होंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात कही है। मैंने कई जगह इनको लिखकर दिया है, 52 जगह लिखकर दी हैं और उसका जवाब अगर आप देखेंगे तो उसमें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है?

### **Vps-akt-01.09.2010-11.30-1d**

अब आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने बसें खरीदीं। अब यह बसें 221.78 करोड़ की तो खरीद चुके। इसके मापदंड क्या रहे खरीदने के? कितनी बसें आज खरीदी हैं? कौनसी कम्पनी से खरीदी है? इन बसों के संचालन की क्या कार्य योजना सरकार ने बनाई है? यह सब चीजें भी आप हाउस में लेकर आइये तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में सरकार, खरीदने पर तो ठीक है, अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको लेकिन इनके संचालन की क्या कार्य योजना है?

श्री अध्यक्ष: बसें सरकार नहीं खरीदती है, निगम खरीदता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): निगम भी सरकार का ही अंग है माननीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरी बात, यह जो बात कह रहे हैं इन्होंने कहा कि साहब, पंचायतों को तहसील से जोड़ने की कोई योजना सरकार लेकर आ रही है तो मैं तहसील के अलावा इसमें जिले को भी सम्मिलित करते हुए कि हर पंचायत हमारे जिले की या केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की वह जिला मुख्यालय से और तहसील मुख्यालय से जुड़े, इसकी कोई योजना यह बना रहे हैं? यह योजना आप कब तक बनाएंगे और कब तक इन पर बसों का संचालन प्रारम्भ हो जाएगा, नम्बर-एक।

नम्बर-2, धार्मिक स्थलों को जोड़ने की रोडवेज की कोई योजना है?

नम्बर-3, आपने कहा कि हम आगारों को बसें देते हैं, विधान सभा को नहीं देते। यह आगार बड़े हो गये या विधान सभा क्षेत्र बड़ा आपके लिए? क्योंकि हमारे यहां काम करने की जो नोडल एजेंसी है वह विधान-सभा-वार है। अच्छा, चलिये कोई बात नहीं, आप आगार में खुश हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि नए आगार खोलने के मापदंड क्या है सरकार के और आपके मापदंड का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह अलग प्रश्न है। यह अलग प्रश्न है आगार वाला। खोलने के मापदंड है वह अलग प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जी-जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा कि यह आयु पूर्ण कर चुकी बसें, अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह आयु पूर्ण, पहले तो बतायें कि कौनसी केटेगरी की बसें होती हैं और जिनकी आयु पूर्ण हो गयी है, आयु पूर्ण, आयु पूर्ण बसें कितनी हैं?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। समाप्त करें, फिर जवाब दिलवा देते हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अन्तर-आत्मा की बात मंत्रीजी की आने पहले ही कह दी।  
...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आज विराजो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो केकड़ी से आते हैं इन्होंने तीन-चार बातें उठायी हैं। पहली बात तो यह उठायी है कि इन बसों को खरीदने का क्या मापदंड है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक ही मापदंड है। ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): वह जो आपने किया था। वह जो आप लोगों ने किया था वही है, वही मापदंड है। ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नहीं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मापदंड का अनुभव आपको अधिक है, आप विराजें। आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं एक सैकण्ड, एक सैकण्ड, इन्होंने मंत्रीजी ने इधर का इशारा किया इसलिए मैं एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने का मेरे को प्रोटेक्ट करिये आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका अनुभव अच्छा है, आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा अनुभव अच्छा है और मैं बताने की कोशिश करूंगा, मेरा मतलब है यह न तो रोडवेज बस खरीदती है, न सरकार करती है, सरकार ने एक परचेज कमेटी बनाई हुई है, उस परचेज कमेटी में फाइनेंस सैक्रेटरी भी है, उस परचेज कमेटी में दूसरे लोग भी हैं तो ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मंत्री की तरह जवाब दे रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह पुरानी मित्रता निभाने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। विराजो आप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इसलिए इसमें मंत्रीजी का कोई दोष नहीं है कि मंत्रीजी ने कोई कमीशन खा लिया हो। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): परचेज कमेटी बैठी है, इसमें गवर्नमेंट है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मंत्रीजी पर आरोप क्यों लगा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप पिछले लोक सभा चुनाव के बाद से कुछ परिवर्तन देख रहे होंगे?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्यों डांट रहे हो इनको, क्यों डांट रहे हो इनको? सही बात कही है इन्होंने। आंखें क्यों दिखा रहे हो उन्हें? आंखें दिखा रहे हो पीछे देखकर। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ... (व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बसें खरीदने का, हमने जो बसें खरीदी हैं वह तीन प्रकार की है। उसमें एक बस मर्सडीज और 15 वोल्वो, इसके अलावा जितनी बसें खरीदी गयी हैं वह टाटा और अशोक लेलेण्ड से बाकायदा टेंडर प्रक्रिया अपनाकर खरीदी गयी है। इसी तरीके से और 10 मर्सडीज और 15 वोल्वो, जो राजस्थान के इतिहास में पहली दफा खरीदी गयी है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वैरी गुड, होना चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): राजस्थान का जो यह हमारा निगम है, आर.एस.आर.टी.सी. है उसने पहली दफा हाईटेक बसें 10 मर्सडीज और 15 वोल्वो खरीदी है।

श्री अध्यक्ष: संचालन के लिए स्टाफ तो है न आपके पास?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: संचालन के लिए ड्राइवर-कंडक्टर तो है न?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हां, स्टाफ है, स्टाफ है। उसी लिये खरीदी है। स्टाफ है इसीलिए खरीदी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बाकी रहा सवाल माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल उठाया है पंचायतों को और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का, मुझे आज खुशी है और सदन को बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि राजस्थान सरकार ने इसका फैसला किया है कि राजस्थान की हर पंचायत जिले से और तहसील मुख्यालय से जुड़े इसके लिए हमने एक वृहत् योजना बनाई है और उस योजना के मुताबिक ... (व्यवधान) ... थोड़ा सुनिये, सुनने का माद्दा रखिये, हमने उसी योजना के मुताबिक प्लानिंग कमीशन से हमने वार्तालाप की है और हाई लेवल पर इसी 6 सितम्बर को प्लानिंग कमीशन ने हमको बुलाकर उस पर चर्चा करने का फैसला किया है जो मॉटेक सिंह आहलूवालिया जिस प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद ... (व्यवधान) ... आप तो वाहवाही ही करोगे, आपको सुनते हुए बस की नहीं है,

सुनना नहीं चाहते यह चीजें, हम जो कर रहे हैं वह सुनना नहीं चाहते इसलिए यह बातें कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न तक सीमित रहें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): प्लानिंग कमीशन भी अगर इसको मंजूरी नहीं करेगा तो हम वित्त पोषक कराकर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न के उत्तर तक सीमित रहें। ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं पूरक प्रश्न के उत्तर तक ही सीमित हूँ। हमने उसके लिए फैसला किया है कि वित्त पोषक कराकर हम राजस्थान की हर पंचायत को तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ने का फैसला किया है, नम्बर-तीन। अगर इसके बावजूद भी ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो तहसील से तहसील तक बस नहीं चली। आपकी स्टेट हाई-वे पर बस नहीं चल रही। कहां ग्राम पंचायत को जोड़ने का आप सपना देख रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो प्रश्न है कि अगर यह भी हमारा प्लानिंग नहीं चला तो हमने अभी अलवर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अलवर की बात नहीं चल रही है, केकड़ी की बात चल रही है। ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): इसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ यह इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: फिर दूसरी जगह के सवाल पैदा हो जाएंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हो जाने दीजिए। मैं जवाब दूंगा, हो जाने दीजिए, मैं जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति चाहिए। मुझे अनुमति चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चिड़ावा क्षेत्र को जोड़ा नहीं अभी तक माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ को जोड़ा नहीं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकारा है माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्रवणजी, एक मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ा नहीं और पंचायतों की बातें करते हैं। अब यह सूरजगढ़ तहसील हैडक्वार्टर है, चिड़ावा तहसील हैडक्वार्टर है, उसको जोड़ा नहीं और बात करते हैं मुम्बई और कोलकाता की। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने 3217 बसों में से 1744 आपने खरीद ली, 450 के

आपने खरीदने के आदेश दे दिये और 550 आप और खरीद रहे हैं यानी, 3217 बसें क्रय करने की योजना आर.एस.आर.टी.सी. की है। इन बसों में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक बस पर दो कंडक्टर और दो ड्राइवर भी लगाये तो इनकी संख्या लगभग 12 हजार कर्मियों की भर्ती इनको करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बस क्रय करने से पहले आपने कितने कर्मियों की भर्ती की, नम्बर एक।

नम्बर-2 जिस मर्सडीज बस की आप बात कर रहे हो, क्या यह सही है कि मर्सडीज बस का जिस दिन आपने उद्घाटन किया उस दिन वह मर्सडीज बस जयपुर के बाहर जाकर खड़ी हो गयी और आगे गई नहीं। आपकी सारी बसें जो आपने ली है वह सारी निम्न स्तर की है और बिना आप, इन बसों के लिए आपको पैसा कहां-कहां से मिला? क्या यह सही है कि जिस आर.एस.आर.टी.सी. पर अथाह ऋण है, कर्ज में डूबा है और आपने और कर्ज में डुबाने की बात कही है और क्या यह भी सही है कि आपने राजस्थान के लोगों पर 16 परसेंट किराया बढ़ा कर उन गरीब की कमर तोड़ने का काम किया है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात का जवाब भी दूंगा। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केकड़ी से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले ही कहा था कि मूल प्रश्न तक सीमित रहते तो उपयुक्त रहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो हमारी सम्पत्ति बन गई। अलवर की बात इन्होंने की है, अलवर की बात की है तो चूरु की बात भी उठेगी, चिड़ावा की बात भी उठेगी। अलवर की बात इन्होंने की है। ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की इच्छा है, पूरे राजस्थान के बारे में जवाब दें, एक दिन अलग से नीयत करा लें रोडवेज के बारे में ही और उसमें सारे सदस्यों की क्वेरी का जवाब दे दें।

### **Spp/akt/11.40/1e/1.9.2010**

श्री अध्यक्ष: आपके पास फ्लीट की कमी है, इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। फ्लीट की कमी है, हमने फ्लीट को भर्ती करने की प्रक्रिया चालू कर रखी है। फार्म हमारे पास आ चुके हैं। बहुत जल्दी परीक्षा लेकर उसमें भर्ती हो जायेगी। रहा सवाल इस बात का, जो यह बात कर रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप यह भर्ती ठेकेदारों से करवा रहे हो। ..(व्यवधान).... ठेकेदारों से भर्ती करवा रहे हो, इसमें तो घोटाला हुआ है और आप कह रहे हो हम भर्ती कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं सदन में, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या है? भर्ती की प्रक्रिया क्या है? भर्ती के नाम पर बेरोजगारों के साथ लूट-खसोट हो रही है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): राज्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में दो बसें चलती हैं..(व्यवधान)...

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केकड़ी का सवाल पूछा है और मंत्री महोदय..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्लीज शांति रखिये आप। ..(व्यवधान).. अंकित नहीं होगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा(यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा था कि सी.एम.डी.आपकी बात मानते हैं कि नहीं? मैं मंत्री हूँ और मंत्री की हैसियत से कैपेसिटी रखता हूँ कि अधिकारी मेरी बात मानें और उसके मुताबिक अधिकारी मेरी बात मान रहे हैं। नम्बर दो, जो बात अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई। यह बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 602 करोड़ के घाटे में रोडवेज को हमको दिया था, हमने आज उस घाटे को कम करके पिछले साल का जो घाटा हुआ था, उसको 60-70 करोड़ रुपये पर ले आये हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (संकेत से इशारा किया।)

डॉ० दिगम्बर सिंह: 000

श्री रोहिताश कुमार: 000

श्री जीवाराम चौधरी: 000

श्री वासुदेव देवनानी: 000

श्री रघु शर्मा: 000

डॉ० दिगम्बर सिंह: 000

श्री जीवाराम चौधरी: 000

श्री रोहिताश कुमार: 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं। अब आपका इन पर भी अनुशासन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार: 000

श्री अमराराम: 000

श्री रघु शर्मा: 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)...

श्री रघु शर्मा: 000

<sup>000</sup> : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब पूरी बात नहीं कह पाये हैं। सदन को संतुष्ट करना चाहते हैं इसलिये कृपया आप बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न भी पुकारा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा(यातायात मंत्री): उससे सम्बन्धित बात नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाऊ कर दूंगा। मैं आपको सप्लीमेंट्री के लिये अलाऊ कर दूंगा, जब यह खड़े हो गये हैं तो सप्लीमेंट्री के लिये अलाऊ कर दूंगा। इनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाली सूचना देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। राजस्थान रोडवेज ने रामदेवरा जी का मेला चल रहा है, उसके लिये पहले 50 बसें जाती थीं, ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह किसने पूछा?

श्री बृजकिशोर शर्मा: मैं सूचना दे रहा हूँ। पूछा नहीं है, मैं सूचना दे रहा हूँ।

श्री पेमाराम: 000

श्री रघु शर्मा: 000

श्री राजेन्द्र राठौड़: 000

श्री रघु शर्मा: 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न काल के बीच मैं नहीं उठाना चाहता था लेकिन प्रश्न में एक आपकी व्यवस्था है कि जिस क्षेत्र का प्रश्न आये, उसी क्षेत्र के बारे में सवाल करें।

श्री अध्यक्ष: कोशिश यही करते हैं क्षेत्र तक सीमित रहें और सभी माननीय सदस्यों का नम्बर आ जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और आपने टोका भी माननीय मंत्रीजी को। केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने भी कहा। उसके बाद भी इन्होंने इसका व्यापक स्वरूप बनाया। रामदेवरा, अलवर सारे करके कितना खरीदा और किसने कितना घाटा लगाया और किसने कितना कमाया, यह सारे मामले आ गये। अब अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी बन गयी है और प्रश्न काल में इसका पूरा डिस्कशन नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब तो अभी आया ही नहीं है, यह कौन कल्पना करेगा कि 106 रूट एक विधान सभा में चलते हैं। गलत जानकारी दे रहे हैं सदन को, इसलिये मैं चाहूँगा आप इस पर नियमानुसार आधे घंटे की चर्चा आज या कल नियत करें और जिस प्रकार से मंत्री लोग आसन की अवहेलना करके अपनी सूचनाएं देने का माध्यम बनाना चाहते हैं इसको, यह इस प्रकार का नहीं चलेगा। इसलिये आप इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था करें। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दें। उसका जवाब आया नहीं है और अनाप-शनाप बात कर

<sup>000</sup> : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

रहे हैं। रामदेवरा में बात जोड़ रहे हैं कि मैं सूचना दे रहा हूँ। यह वोल्वो खरीद में मैं कह रहा हूँ कि यह मर्सडीज और वोल्वो में जो बसें खरीदी गयी हैं, उन पर आपने यहां वाहवाही लूटी है और इन पर चर्चा करेंगे ना तो इनके चिथड़े बिखर जायेंगे। इस प्रकार से जो बसें खरीदी गयी हैं, उसका पता है हमको कैसे खरीदी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ आप इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिये हम लिखकर देते हैं, नियमानुसार नियत करायें, ताकि इस विभाग का सारा अता-पता आपको हो जाये। पता है कैसे काम कर रहे हैं अधिकारी। आधे घंटे की चर्चा करा लें। ..(व्यवधान)... राजस्थान के इतिहास में, हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक भी ठेके से भर्तियां नहीं हुईं। ठेके से भर्ती कर रहे हैं आप। सरकार को ठेके पर दे रहे हैं और फिर यहां चर्चा कर रहे हैं इस बात की। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर यहां पर निर्णय हो जाये। और इस पर पूरी चर्चा होकर, बहस होकर इसका फैसला हो जाये।

श्री रघु शर्मा( केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैंने आयु पूर्ण बसों के बारे में पूछा था। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य इनके मित्रता निभा रहे हैं या दुश्मनी, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं कमीशन का जिक्र नहीं किया और आप उनकी पैरवी कर रहे हैं कि इन्होंने कमीशन नहीं लिया। यह क्या तरीका है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री के क्षेत्र खण्डार में सिर्फ दो बसें रोडवेज की चलती है और 35 पंचायतें हैं, आप कहां जोड़ रहे हैं राजस्थान को।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा आप नियत करें। आप कर दो सुओमोटो।

श्री जीवाराम चौधरी: राज्य मंत्री का क्षेत्र खण्डार में रोडवेज की मात्र दो बसें चलती हैं और पूरे राजस्थान को जोड़ने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अभी व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था बनाये रखिये। बिराजिये। दरअसल आप भी लाइन में हो क्या? प्रदेश के भाजपा प्रभारी जी आज आये हुए हैं उनको परफोर्मेंस दिखा रहे हो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिये ? यह अभी कई दिन नहीं बनाने वाले। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

### उदयपुर शहर की झीलों में प्रदूषित जल

19. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर की स्वरूप सागर झील से सडान्ध मार रहा विषैली जलकुम्भी एवं मानव मल अपशिष्ट से प्रदूषित जल को फतह सागर में छोड़ दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि फतह सागर में पानी छोड़ने की पूर्व स्वरूप सागर में एकत्रित प्रदूषित जल को आयड़ नदी में छोड़ने की पूर्व स्थापित परम्परा का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि स्वरूप सागर के मध्य में डाली गई सीवरेज लाइन के कारण पानी में मल जल मिश्रित होने की जांच करवाई गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वरूप सागर के मध्य में डाली गई सीवरेज लाइन को हटाकर अन्यत्र लगाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री महिपाल मदेरणा) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी द्वारा जो दिये हुए जवाब हैं, उन जवाबों में पूरक प्रश्न के रूप में यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह जो मेरा प्रश्न था उदयपुर शहर के स्वरूप सागर झील से सडांध मारता हुआ पानी फतह सागर में छोड़ा गया? आपने उसमें कह दिया नहीं। इस विषय के ऊपर क्या मुख्य अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता को जयपुर में तलब किया गया था? मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है। कृपया इसका जवाब दें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): फतह सागर से जो स्वरूप सागर का पानी है, बरसात से पूर्व स्वरूप सागर का एकत्रित गंदा पानी और प्रदूषित पानी को पूर्व स्थापित परम्परा अनुसार घुमानिया नाले के मार्फत आयड़ नदी में प्रवाहित किया गया। और आपको यह भी जानकारी बता दूं कि करीब ..(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं इन्टरप्ट कर रही हूं, लेकिन मैंने पूछा था क्या मुख्य अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता को तलब किया गया?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): यह उदयपुर की प्रतिष्ठा और पहचान, झील संरक्षण का कार्यक्रम है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न को लें और इन्होंने पूछा है कि स्वरूप सागर में पानी वर्षा से पूर्व 11 इंच था, उसकी भराव क्षमता को देखते हुए हमने एक मिलियन घन फुट पानी को आयड़ नदी के गेट खोलकर 5.8.2010 को हमने 2 करोड़ 73 लाख लीटर पानी उसमें से निकाला।

**solanki/arun/01.09.10/11.50/1f**

करीब-करीब 90 प्रतिशत पानी निकालने के बाद जब वर्षा आ जाती है पिछोला झील का पानी फतेह सागर में आ जाता है और फतेह सागर के पानी से पेयजल की हमारी व्यवस्था है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी शायद पूरा और अच्छे तरीके से जबाव दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें फैक्ट्स ही मालूम नहीं हैं। उनको उनके अधिकारियों द्वारा जो जबाव दिया गया है वह जबाव ही अपने आप में गलत है। मुझे लगता है कि यह प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अगर आप जबाव को गलत मानते हैं तो नियमानुसार इसके लिए अलग प्रावधान है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सदन को यह बात निश्चित रूप से बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि जो यह जबाब मैं आप कह रहे हैं, आपके अधिकारियों द्वारा जबाव दिया गया है, यह बिलकुल तथ्य से परे है इसलिए कि 13 अगस्त, 2010 को, पिछोला का, जब छह फिट पानी आ गया तो स्वरूप सागर का लिंक गेट खोलकर पानी फतेह सागर में डाला गया और स्वरूप सागर के अन्दर पाँच साल से जो भरा हुआ सारा सीवरेज और उसके साथ जलकुम्भी, गन्दा सड़ांध मारता हुआ वह पानी जब खोला गया तो उसमें 22 एम सी एफ टी पानी फतेह सागर में छोड़ा और जो पानी छोड़ा, फतेह सागर का पानी अपने आप में बहुत शुद्ध पानी माना जाता है। पिछोला से भी ज्यादा साफ फतेह सागर का है। फतेह सागर एक तरह से उदयपुर की लाइफ लाइन है और उस फतेह सागर के अन्दर गन्दे पानी को छोड़कर फतेह सागर को दूषित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, पूरक प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो जबाव दिया है, मेरे प्रश्न का ही जबाव दिया है, इसी की बात कह रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उदयपुर शहर की स्वरूप सागर झील से सड़ांध मार रहा विषैला, जलकुम्भी एवं मानव मल अवशेष प्रदूषित जल को फतेह सागर में क्यों छोड़ दिया गया? इन्होंने जबाव दिया है कि नहीं छोड़ा गया इसीलिये मैं कहना चाहती हूँ कि छोड़ा गया है। मैं तारीख दे रही हूँ आपको। 13 अगस्त, 2010 को रात्रि दो बजे। हमारे अधिकारियों की लापरवाही है यह, कि इन्होंने लिंक नहर को खोला और वह गन्दा पानी इन्होंने फतेह सागर में डाला। फतेह सागर को डिसिल्टिंग के लिए तथा डि-वीडिंग के लिए दस करोड़ रुपये लगाकर उसकी पूरी सफाई करवायी गयी। उसमें डि-सिल्टिंग की गयी थी। सारे जितने भी प्लान्ट्स थे, उन सब प्लान्ट्स को हटाकर पूरा उसको साफ किया गया। उसमें दस करोड़ रुपये सरकार के लगे हैं उसकी सफाई कराने में। सरकार के अधिकारियों एक्स ईएन ने लिंक नहर को खोलकर गन्दे पानी को उसमें डाला और आपको जबाव देते हैं कि जी नहीं, फतेह सागर में ऐसा कुछ नहीं किया। सारे अखबार भरे पड़े हैं उदयपुर के कि फतेह सागर में गन्दा पानी छोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा करें, इस प्रकरण में दोबारा आप विधायकजी के साथ बैठकर, अधिकारियों को बुलाकर सारा इसको देख लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सर, मेरा अभी इसमें और भी कुछ पूछना है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपने एक जबाव तो दे दिया कि फतेह सागर में हमने पानी नहीं छोड़ा। दूसरा, मेरा यह प्रश्न था कि सीवरेज लाइन जो स्वरूप सागर के अन्दर है यानी आज हिन्दुस्तान में, मैं नहीं समझती कि कहीं भी ऐसा होता होगा जहाँ पर सीवरेज लाइन झील के अन्दर से जाती हो लेकिन उदयपुर एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर सीवरेज की लाइन स्वरूप सागर झील के अन्दर से जा रही है और वह सीवरेज की लाइन लीक हो रही है और उसमें भी मंत्रीजी का जबाव क्या आ रहा है कि कोई लीक नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें। मैं जबाव दिलवा रहा हूँ। श्री कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो जबाव आपको दिया गया है, वह विभाग ने सही नहीं दिया है। यह जरूर है कि थोड़ा सा मैला और गन्दा पानी हमने गुमाने वाले में छोड़ा था लेकिन उसके बाद हमने 13 अगस्त के दिन रात के टाइम पर झील का पानी स्वरूप सागर से फतेह सागर में लिया है। यह जो आप 'नहीं' कह रहे हो, यह बिलकुल गलत है। पानी लिया है और उसके कारण से जो सारी जलकुम्भी और जितना गन्दा पानी था वह सारा का सारा फतेह सागर में चला गया। उसका जनता ने जमकर विरोध किया। जनता ने फतेह सागर में से जलकुम्भी निकालकर अभियान चलाकर सफाई की। आप जो उत्तर दे रहे हैं यह बिलकुल ठीक नहीं है। विभाग ने केवल यह बहाना लिया है कि हमने गुमाने वाले में पानी छोड़ा। निश्चित रूप से कुछ गन्दा पानी निकाला है। दूसरा यह है कि सीवरेज की लाइन विशेषकर दर्शन होटल, राज दर्शन होटल, उसका सारा का सारा गन्दा पानी लगातार आ रहा है। इस शिकायत को आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, वहाँ की जनता पिछले कई सालों से कर रही है कि सीवरेज का जो पानी जा रहा है वहाँ लीकेज है और वह भर जाता है और वह सारा गन्दा पानी है। आपके अधिकारियों ने जो आपको सूचना दी है वह गलत है। आप इसको करेक्ट करवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, गन्दे पानी का सवाल है। मैं पूरे राजस्थान की बात कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें। प्रश्न उदयपुर का है। आप बिराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रश्न के अन्दर पाँच विभाग सम्मिलित हैं। पर्यावरण से भी इसका है।

श्री अध्यक्ष: आप तो केवल इसी का दे दीजिए।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): इसका सम्बन्ध यू डी एच से है, नगर परिषद से है, नगर सुधार न्यास से है और जैसे आपके निर्देश हैं कि पाँच बजे से पहले पहले....

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के लिए लिखा हुआ आया कि पोस्टपॉन किया जाए लेकिन मैंने इसको जनहित में देखते हुए पोस्टपॉन नहीं करके मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आप इसका जबाव दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन बिलकुल गलत है। इससे पूरा सदन गुमराह हुआ है न। सदन को अधिकारीगण आपके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको और इस सदन को गुमराह नहीं करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपकी मंशा इस सदन को गुमराह करने की नहीं हो सकती लेकिन आपके अधिकारी आपके माध्यम से सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि आप अधिकारियों का फीड बैक सही मानते हैं। जन प्रतिनधियों का, जो कि जनता में घूमते हैं, मौका देखते हैं, उनकी आप बात नहीं मानते। दुखदायी तो यह बात है। कल भी हमने कहा। मैं चेलेंज करता हूँ कि कल जो आपने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नरमा कपास की जबर्दस्त फसल है....

श्री अध्यक्ष: यह उदयपुर का प्रश्न है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...वहां अगर दो परसेंट भी हो, पर फिर भी आप कहते हैं कि अधिकारियों ने जो कहा है वह सही है, जन प्रतिनधियों की बात गलत है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जबाव आने दीजिए। आप जबाव नहीं सुनना चाहते? आप जबाव सुनिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, जबाव यही आ रहा है। है ही नहीं कुछ गन्दा पानी नहीं छूटा है जबकि गन्दा पानी फतेह सागर झील में छोड़कर पूरे उदयपुर को गन्दा पानी पीने के लिए विवश किया जा रहा है।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगर आप जबाव नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं चर्चा समाप्त करूँ?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, कम से कम जबाव तो सही दिलवाइये। ... (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, कुछ न कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए। जो यह जबाव दिया है वह गलत है और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो। यह सदन का और हम सबका अपमान है।

श्री अध्यक्ष: आप जबाव सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया बिराजें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): उदयपुर की झीलों का प्रदूषित पानी आज का नहीं है। पिछले 50 सालों के अन्दर पिछोला झील के पास जो कालोनियां हैं, उनका अवशिष्ट आता रहता है और उसके अन्दर कई बार राज्य की तीन तीन मुख्य मंत्रियों ने अभियान चलाकर इस पिछोला झील की सफाई के लिए एन जी ओज और सिविल सोसाइटीज ने इस पर अभियान चलाया है। जहां तक जलकुम्भी और सीवरेज लाइन के सम्बन्ध में कहना है, फतेह सागर झील में सफाई और जलकुम्भी को निकालने का काम यू आई टी द्वारा किया जाता है। मेन्टीनेंस इन आपरेशन यू आई टी और नगर परिषद करती है और इस कार्य को जो फतेह सागर झील है, इसका यू आई टी ने ठेका दे दिया है और जून से कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। पिछोला झील की सफाई का कार्य नगर परिषद का है। आज वह कार्य प्रारम्भ हो गया है और इस कार्य के विलम्ब के लिए जिसकी भी जिम्मेदारी है उनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जबाव तो पूरा आने दो। आप बिराजिए। टाइम खराब हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जबाव आया है न उनका।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सीवरेज लाइन का जो प्रश्न उठाया। सबसे पहले यह सीवरेज लाइन 1980 में डाली गयी जिसका रख रखाव नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2003.04 में यू आई टी द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सीवरेज लाइन डाली गई थी जिसका रख रखाव का कार्य यू आई टी द्वारा अगस्त, 2009 तक किया गया। माह सितम्बर से इसके रख रखाव का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।

### **Msr/usc/01092010/1200/1g/1**

वर्तमान में दोनों लाइनों का रख-रखाव नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि ... (व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पी.एच.ई.डी. का क्या काम है?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बात तो सुनिये। यह तो ऐसा हुआ ... (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पी.एच.ई.डी. डालती है क्या? ...(व्यवधान)... वो डालते हैं, जे.डी.ए. वाले, वो नगर निगम डालता है ...(व्यवधान)... उसको जांच करो न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब से मैं सटिस्फाइड नहीं हूँ इसलिए कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि क्या 13.08 को रात्रि में यह स्वरूप सागर का गंदा पानी जो आपको नाले में पहले छोड़ कर के इसको साफ करना था उसके बजाय उस फतेह सागर की झील में आपके विभाग ने डाला कि नहीं डाला? इस सवाल का जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और डाला और उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं डाला है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं? इसको आप सदन को जरा बताएं कि क्या कार्यवाही होगी?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, मैं इसकी जांच, मैं मेरे बड़े अधिकारियों से इसकी जांच करवा कर आपको संतुष्ट करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। आसन जब पांवों पर है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... आप जवाब नहीं दिलवा रहे हैं पूरा।

#### स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अशोक पींचा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय में पिछले डेढ़ वर्ष से कुलपति एवं अन्य स्टाफ की स्थायी नियुक्ति नहीं किये जाने से हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री पवन दुग्गल एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से पोंग डेम में पिछले 15 सालों से पर्याप्त पानी होने के बावजूद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर के काश्तकारों को समुचित पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले में माह मई, 2010 में घटित हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायेगी।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से निर्वाचित सरपंचों के अधिकारों में सरकार द्वारा की जा रही कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओम बिरला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में स्वाइन फ्लू से निरन्तर हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर प्राप्त है। अतः इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(6) श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल के किसानों को समय पर निःशुल्क खाद सप्लाई नहीं किये जाने से फसलों के खराब होने की आशंका के सम्बन्ध में।

(7) डा० जसवंत सिंह यादव एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के अभाव में जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(8) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रदेश के असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा कर 250 रुपये प्रतिदिन करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से सीकरी बाँध व गुडगांवा कैनाल यमुना जल को भरतपुर की सीमा में इकट्ठा करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(12) श्री बंशीधर खण्डेला एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से रावतभाटा परमाणु बिजली घर में बरते जाने वाले सुरक्षा उपायों का नई तकनीक से नवीनीकरण करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले की तहसील पहाड़ी में गौकशी गिरोह की आपसी रंजिश के चलते फायरिंग से एक हरिजन की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम खेतड़ी द्वारा बिजली की लाईन डालने के लिए किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(16) सुश्री सिद्धी कुमारी एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्तियों को प्रशासन द्वारा अवैध मान कर तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(18) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से थाना देवगढ़ जिला राजसमंद में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में।

(19) श्री गुलाब चंद कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर के चित्रकूट नगर में निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रीय स्तर के महारणा प्रताप खेलगांव में घटिया निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ फिर भी माननीय सदस्य सुश्री सिद्धी कुमारी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री गुलाब चंद कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

#### नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से कृषि भूमि के पंजीयनशुदा बेचान के बाद समय पर म्यूटेशन खरीददार के नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमू में सीवर लाईन डालने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में पुरानी हो चुकी सीवर लाइनों एवं उनमें से होकर जा रही पीने के पानी की लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर तहसील में वर्ष 2009-10 के फसल बीमा क्लेम की राशि कम मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रूपाराम डूडी व 20 अन्य सदस्यों की ओर से तहसील डीडवाना में लगभग सम्पूर्ण फसल खराब हो जाने के उपरांत भी बीमा कम्पनी द्वारा बीमित किसानों को फसल 2009 का क्लेम भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से प्रदेश में लागू वृद्धावस्था पेंशन के नियमों को हरियाणा की भांति संशोधन करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से ग्राम चन्दलाई फीडर रामपुरा बाँध के पास रहने वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा अकारण परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) डा0 रघु शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में निर्वाचित सरपंचों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री जयदीप डूडी, सदस्य की ओर से जयपुर के महेश नगर, करतारपुरा में प्रातः 5 से 6 बजे तक हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री कर्नल सोना राम चौधरी, सदस्य की ओर से समस्त प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरि सिंह रावत, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य परिवहन निगम में वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में दी जा रही सुविधाओं में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी।

सुश्री सिद्धी कुमारी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पाली गांव का जो इश्यू उठाया ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन था। आज रास्थान के सरपंच राजस्थान की ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): निर्दोष लोगों को फसाया गया है ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: पूरे गांव को लोकल जेल में पटक दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है माननीय सदस्यों को, मैं अनुमति दे चुका हूं माननीय सदस्यों को। मैं अनुमति दे चुका हूं, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ...(व्यवधान)...

माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ...(व्यवधान)...

अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनिता सिंह। श्रीमती अनिता सिंह। श्रीमती अनिता सिंह। ...(व्यवधान)...

व्यवस्था बनाइये, अपने-अपने स्थान पर जाइये। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिये। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अध्यक्ष: सुश्री सिद्धी कुमारी। सुश्री सिद्धी कुमारी। ...(व्यवधान)... किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता भूपेश, श्रीमती ममता भूपेश, अपने स्थान पर जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय गजेन्द्र सिंहजी, अपने स्थान पर विराजें, व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर विराजें। व्यवस्था बनाये रखें, अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। सुश्री सिद्धी कुमारी। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। सुश्री सिद्धी कुमारी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इनका हो जाए, सुश्री सिद्धी कुमारी का।

### स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

#### राजस्थान के सरपंचों का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक मुद्दा सदन में उठा। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। जैसा कि आपको जानकारी है, आज राजस्थान के 9000 से अधिक, सारे के सारे सरपंच राजस्थान विधान सभा के बाहर में प्रदर्शन करने आये हैं। वो जिस प्रकार से आज फसे हुए हैं, जिस प्रकार का उन पर लांछन लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको बेइमान कह जा रहा है, जिस प्रकार से उनको रसोइया कहा जा रहा है।

#### Ars/usc/1210/01092010/1h/1

जिस प्रकार से सारे चोरी के आरोप लगाकर और जिस प्रकार से वह कहते हैं कि नरेगा से हमें मुक्त कर दो। सारे राजस्थान का चुना हुआ जन प्रतिनिधि आन्दोलित है। कल तक सदन में इस पर बहस हो रही थी, इतना महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है उस पर माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्यों की भावना मेरे तक पहुंच गयी है। चैम्बर में मेरे से मिले भी थे, मैंने उनको भी उस वक्त यह बात कह दी थी। आपकी बात सामने आ गयी है। अगले वर्किंग डे पर पंचायत राज मंत्री जी से मैं आग्रह करके इनसे स्टेटमेंट दिलवा दूंगा। सुश्री सिद्धी कुमारी। (व्यवधान) कोई चर्चा नहीं होगी, समाप्त। (व्यवधान) यह गलत बात है। सुश्री सिद्धी कुमारी। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। सुश्री सिद्धि कुमारी। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय भाजपा के उप नेता से निवेदन करूंगा, अपने सदस्यों को आप कृपया शांत रखें। आपकी माननीय सदस्य को अवसर दिया है। माननीय सदस्या पहली बार किसी एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलना चाहती हैं, पहली बार बोल रही हैं। आप सुनने का .....

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई हैं, इनको कृपया आप अवसर दें। बैठ जाएं। सुश्री सिद्धि कुमारी।

### **बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्तियों को तोड़े जाने बाबत**

सुश्री सिद्धिकुमारी (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेस्पैक्टफुल थैंक्स। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले विधान सभा चुनाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) नया विधान सभा क्षेत्र बना। इस क्षेत्र का विकास पिछले कुछ वर्षों में हो रहा था। नई विकसित कालोनियां मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं लेकिन पिछले 18 महीनों में अनगिनत नई कालोनियां और भी विकसित हुई हैं और कई कालोनियां बनती जा रही हैं जिसमें से कुछ कालोनियों को सरकार द्वारा 90-बी प्रक्रिया के तहत विकसित करने की स्वीकृति भी दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्ती व अन्य कालोनियों जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे मानकर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी सूचनाएं अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। क्षेत्र के अम्बेडकर नगर, खतूरिया कालोनी, तिलक नगर, लक्ष्मी विहार, हेत नगर, विनायक नगर, चौधरी कालोनी, शिव बाड़ी, गंगा शहर, रामपुरा बस्ती सहित अनेक बस्तियों में अनेक मकानों को अवैध कब्जे मानकर चिह्नित किया जा रहा है। जिससे वहां के रहने वाले लोगों में बहुत दहशत का माहौल पैदा हो गया है क्योंकि लाखों रुपये लगा कर के इन बस्तियों में रहने वाले लोग कई वर्षों से इन कालोनियों में रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ सरकार सभी को छत, आवास उपलब्ध कराने की बात करती है और दूसरी तरफ इन बस्तियों में ऐसे लोगों की छत छीनने के प्रयास हो रहे हैं। यह कैसा न्याय होगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगी कि बीकानेर (पूर्व) क्षेत्र की इन बस्तियों के आस पास पिछले 18 महीनों में कितनी कालोनियां 90 बी प्रक्रिया के तहत विकसित करने की स्वीकृति दी गयी? उनमें से कई कालोनियां ऐसी हैं जिनके आस पास बजरी का खनन भी हो रहा है। सरकार बड़े भू माफियाओं से 90 बी की प्रक्रिया के तहत बजरी खनन क्षेत्र में कालोनियां विकसित कर रही

हैं, स्वीकृति भी दे रही है और बीस तीस वर्षों से स्थापित इन गरीब लोगों के मकानों को बजरी खदानों के पास मानकर अब अवैध मानकर कब्जे तोड़ने की कार्यवाही कर रही है। अध्यक्ष महोदय, शिविर लगाए जाएं, अवेयरनेस कैम्पेन की जाए और इनको यदि तोड़ा जाए तो कहीं और जगह उनको रहने की जगह दी जाए। बीस तीस वर्षों तक यह पक्के मकान में रह रहे हैं, लाखों रुपये खर्च किये गये हैं, यह बिल्कुल बेघर हो जायेंगे और इनका नियमन करें। थैंक्स। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का। श्री राधेश्याम गंगानगर।

### श्रीगंगानगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किया है मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ। गंगानगर नगर परिषद के अध्यक्ष और पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इतना घोर भ्रष्टाचार हुआ है मेरे खयाल में, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनकी इनक्वायरी करवायी जाए। एक तो जो हमारे गंदे नालों का ठेका होता है, बहुत देर से उसी ठेके को दुबारा उसी व्यक्ति को देकर खुद ही चेयरमैन लेकर लाखों रुपये का गबन कर रहा है। इसी तरह स्टोर में जो परचेज होता है उसमें लाखों रुपये का गबन हो रहा है। इसी तरह मस्टर रोल सौ सौ, दो- दो सौ, तीन तीन सौ आदमियों का मस्टर रोल भरा जाता है फर्जी और लाखों रुपये की उसमें उगाही करके जेबें भरी जाती हैं। पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरे हमारे पार्षदों का यह हाल है, हरेक को ठेकेदारी की आदत पड़ गयी है। सड़कें राजस्थान पत्रिका, सीमा संदेश, भाष्कर, सांध्य बोर्डर छह महीने से कूक रहे हैं कि जो सड़कें बारिश आने से पूर्व बनाई गयी थीं, चार चार दिन में उन सड़कों में जो सड़ा हुआ मोबिल आइल होता है, मोबिल आइल डालकर तारकोल की जगह वह सड़कें दस दस दिन में खतम हो गयी। यह इनक्वायरी का विषय है।

इसी अध्यक्ष ने पिछली बार 86 लाख रुपये सहभागी योजना में जमा कराए। क्यों कराए कि 26 परसेंट कमीशन लिया था। उसकी जब शिकायत हुई तो उसने गवर्नमेंट को 26 परसेंट जो इकट्ठा हुआ था सहभागी योजना में लोगों के नाम से झूठी पर्चियां काटकर, उसकी आपने इनक्वायरी करवायी और इनक्वायरी की फाइल कहां दब गयी, कहां चली गयी उसका कुछ पता नहीं। मेरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन है, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, सारे राजस्थान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नगरपरिषद गंगानगर में हो रहा है। जब आप इसकी कलई खोलेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि ऐसा भ्रष्टाचार भी होता है। कोई फाइल एक सैकिण्ड के लिए बिना पैसे के आगे नहीं सरकती और बहुत सारी जो विभागीय सड़कें हैं उन सड़कों पर कामशियल बना दिया गया, किसी को डरा कर पैसे ले लिये गये। आपकी राजस्थान सरकार ने उसके कामशियल की कहीं परमिशन नहीं दी ...(व्यवधान)...

उस परमिशन के विपरीत उस व्यक्ति ने जो काम किया है वह जब तक आप पूरी तरह इन्क्वायरी नहीं करेंगे, आपके सामने वो चीज आएगी नहीं। इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार है। मेरी प्रार्थना है कि अगर आप वास्तव में उस ढांचे को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप इन्क्वायरी करवाइये, उस इन्क्वायरी में जो चीज पाई जाए उसके खिलाफ केस दर्ज करके कार्यवाही चलानी चाहिए अन्यथा यह रोज का रोज भ्रष्टाचार आगे बढ़ता जाएगा.....

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी अपने स्थान पर ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर नगर परिषद की स्थिति ...(व्यवधान)... सम्माननीय अध्यक्ष जी, बात करते हुए इतना ज्यादा अफसोस होता है। मन्त्री जी इस बात से और बहुत सारे पत्र और चिट्ठियां मंत्री जी को आई हैं, छह महीने से अखबार रो रहे हैं .....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नये मंत्री से परिचय तो करवा दो। पहले परिचय तो करवा दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि हम उसकी इन्क्वायरी करवा दें। मेरी आपसे प्रार्थना है .....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह नई परम्परा है क्या कि कोई माननीय सदस्य दूसरी सीट पर जाकर बैठ नहीं सकता और बैठ जाए तो कोई विशेष छूट वाले भी हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप जाना चाहते हो क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं तो वहीं बैठूंगा बैठूंगा जब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सड़कें, नालियां, आप कलेक्टर को कह दीजिए एक महीने की तनख्वाह कलेक्टर बांटे। एक महीने की जो मस्टर रोल की और स्टोर की जो तनख्वाह है उसमें लाखों रुपये का घपला इसी बात से सिद्ध हो जाएगा कि एक महीने की तनख्वाह कलेक्टर अपने सामने बांट दे। उसको यह मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है मंत्री महोदय से, जितना ज्यादा कहेंगे सारी चीज का मंत्री महोदय को मालूम है लेकिन क्यों, क्या कारण है मंत्री जी चुप हैं यह मुझे ध्यान में नहीं आ रहा और आपको पूरी बात मालूम है, सारे अखबार आप पढ़ते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब.....

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बात होने दो उनकी। आपका बंद हो गया क्या? उसके बाद आप नहीं बोल पाओगे, उसके बाद नहीं बोल पाओगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से, आपसे भी निवेदन है कि पूरे राजस्थान की एक नई चीज आपके सामने आएगी

ऊपर तक और विधान सभा प्लेटफार्म इसीलिए है कि यह भ्रष्टाचार जो चारों तरफ व्याप्त है इस भ्रष्टाचार को किसी तरह रोका जाए। बस इतनी प्रार्थना करता हूं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

**vns/usc/1220/01092010/1j/1**

सांचोर में एक बंदर पागल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 4-5 लोगों को काट लिया उसने..

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा..(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिये मैंने पहले व्यवस्था दे दी थी कि जिस बात को उठाना हो, हर कोई बात अचानक नहीं उठायी जाए, स्लिप भेज दी जाएं यहां, उसके बाद परमीशन मिलेगी। कृपया इस तरह से व्यवधान नहीं करें। मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाली मैडम सिद्धी कुमारी जी ने कच्ची बस्तियों के बाबत बात कही है। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर डिक्लेयर्ड कच्ची बस्तियां हैं तो निश्चित तौर पर वह तोड़ी नहीं जायेंगी, अगर जरूरत पड़ी तो उनका पुनर्वास किया जायेगा, एक बात।

दूसरी बात, अगर डिक्लेयर्ड कच्ची बस्तियां नहीं हैं और नये अतिक्रमण हैं तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसी स्कीम हो तो आप बताएं, प्रस्ताव दे दें तो आई एच एस डी पी या बी एस यू पी में उनको दूसरी जगह भी स्थापित किया जा सकता है।

गंगानगर से आने वाले आदरणीय राधेश्याम जी ने बताया भ्रष्टाचार की बात। आपको ध्यान होगा कि 98 से लेकर के 2003 तक जो सरकार थी जिसमें आप भी मंत्री थे और यही चेयरमैन उस वक्त भी नगर परिषद् के चेयरमैन थे और जब..

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उस वक्त भी मामला उठा था..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात सुन लीजिये। सुन लीजिये। बैठ जाइये और जब हाउस में उस वक्त भी आरोप लगे थे तो आप ही उनको बचाने के लिये आये थे..(व्यवधान) अब भी आप अगर इनकी इंकवायरी करवाना चाहते हैं, अब भी आप अगर इनकी इंकवायरी करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे आप लिख दें जिससे चाहे उससे इंकवायरी करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था..

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैंने स्थगन प्रस्ताव दे रखा है..

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

### देवगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति बाबत्

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी छिन्न-भिन्न हो गयी है इस सम्बन्ध में राजस्थान की पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के गृह जिले के रहने वाले छोटूराम जाट की राजसमन्द जिले में कल्याणपुर थाना बाड़मेर, भीम और देवगढ़ पुलिस थाने की पुलिस के साथ मिलकर 18 मई को दिनेश जाट समझकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिये इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया। दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार लगातार इसी तरह जाटों की हत्याएं करती रही तो राजस्थान के नौजवान जाट को खुद अपनी रक्षा के लिये हथियार उठाना पड़ेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सदन की और सरकार की होगी। सत्ता पक्ष के अन्दर बैठे हुए जाट मंत्री चाहे मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी कर लें लेकिन आने वाले चुनाव के अन्दर जाट समाज...

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनको गांवों के अन्दर घुसने नहीं देगा। छोटू जाट की हत्या के बाद पिछले 3 महीने के अन्दर एफ आई आर लॉज नहीं हुई..(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आज डी जी साहब रुके हुए हैं..

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न नहीं किया। माननीय सदस्य, उनको समय दिया है जब उनको बोलने दीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक एफ आई आर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको आप बोलने दीजिये। अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तक एफ आई आर लॉज नहीं हुई और उल्टा छोटू जाट के साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस शंकर लाल अहीर को पुलिस ने आत्म रक्षा के गलत मुकदमे में फंसा कर पिछले 3 महीने से जेल के अन्दर डाल रखा है। जाटों ने इसको लेकर जब जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, शव को रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया और राजसमन्द की पुलिस जब छोटूराम के शव को लेकर अजमेर राजकीय चिकित्सालय गयी तो राजसमन्द का एस पी जो नितिन दीप और चित्तौड़गढ़ का एस पी, यह दोनों तस्करों से मिले हुए हैं और कोई सही जांच राजसमन्द जिले के अन्दर और चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर चाहे अफीम तस्करी का मामला हो, चाहे हिरासत के अन्दर मौत का मामला हो, चाहे एनकाउंटर का मामला हो, उन्होंने आश्वासन देकर लाश का पोस्टमार्टम कराया और इनको बरगला के जो अनपढ़ लोग परिवार के लोग साथ आए थे उनको गांव भेज दिया उसके बाद पिछले महीने डांग्यावास थाने का जाट समाज के हजारों लोगों ने जब

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

घेराव किया तो उन पर लाठियां बरसायी गयीं और 80 से ज्यादा जाटों के नौजवान लड़कों को मुलजिम बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, जाट भी इस प्रदेश के अन्दर रहते हैं और आज तक कांग्रेस की सरकार ने अगर 40 साल के अन्दर सबसे ज्यादा वोट किसी के लिये..

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो इस जाति के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जाटों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चाहे हमें गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े लेकिन इस तरह कोई होगा तो विधान सभा की सदस्यता छोड़कर गांवों के अन्दर जाकर सेवा करेंगे..

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया। कृपया समाप्त करें...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सरकार को आज जवाब देना होगा..

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्रीजी को जवाब देना होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन्होंने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री.....

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य बिराज जाएं आप। माननीय सदस्य बिराज जाएं आप। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: मैं नाम से पुकार रहा हूँ श्री हनुमान बेनीवाल, कृपया आप बिराज जाएं। श्री हनुमान बेनीवाल कृपया आप बिराज जाएं। माननीय सदस्य, मुझे मजबूर होकर आपका नाम पुकारना पड़ रहा है..(व्यवधान) कृपया आप बिराज जाएं। श्री गुलाब जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं नाम लेकर पुकार रहा हूँ। कृपया बिराज जाएं..

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 000

श्री अध्यक्ष: कर दिया मैंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराज जाएं। माननीय सदस्य मैं नाम लेकर पुकार रहा हूँ श्री हनुमान बेनीवाल कृपया आप बिराज जाएं अन्यथा आप बाहर चले जाएं माननीय सदस्य। श्री गुलाब जी कटारिया।

### महाराणा प्रताप खेलगाँव, उदयपुर में घटिया निर्माण बाबत

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यू डी एच मिनिस्टर साहब के ध्यान में बात लाना चाहता हूँ। उदयपुर नगर न्यास ने यह सोच कर कि एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम उदयपुर में महाराणा प्रताप के नाम से बने लगभग 26 हैक्टेयर जमीन और लगभग 200 करोड़ रुपया यू आई टी ने इस स्टेडियम के विकास के लिये अपने फण्ड में रखा। 37 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां विभिन्न प्रकार के कामों के लिये जारी कर दी। काम आगे बढ़ा लेकिन जिन अधिकारियों को इन कामों के बारे में देखना था, वहां जो स्टेडियम लगभग 6 करोड़ रुपये का बन रहा है, 37 प्रतिशत से अबाऊ जिसको भी आना है वह तो जो कुछ भी टेण्डर में आर्येंगे उसको लोयेस्ट को दिया जायेगा। उसको दिया है। उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 6 करोड़ में से 5 करोड़ 3 लाख रुपये का पेमेण्ट उस ठेकेदार को हो गया और उसके बाद इस बारिश में उसका सौ फीट पूरा का पूरा स्टेडियम ढह गया और उससे बाकी बची हुई सारी की सारी सीट टूट गयीं, जितने पिलर खड़े किये थे उन सबमें दरार आ गयी। अब इसमें केवल ठेकेदार की गलती नहीं मानता हूँ मैं। अगर वास्तव में आप कार्यवाही करना चाहते हो तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करा जिनको कंस्ट्रक्शन को समय-समय पर चैक करना था कि उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की अगर कोई कमी है, मैटेरियल में किसी प्रकार का हेरफेर है, जिस नार्म्स के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिये वह नहीं हुआ तो आपका इतना एस ई, एक्स ईएन, ए ईएन, इतनी बड़ी जो फौज वहां लगी हुई है उसने इसको क्या देखा और दुर्भाग्य यह है कि यह तो इस बारिश के अन्दर गिर पडा इसलिये लोगों के ध्यान में आया। क्योंकि यह एक तरफा है, सामान्यतः व्यक्ति सोचकर जाए तो ही वहां पहुंचता है,

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

बाकी उस रास्ते नहीं आने के कारण से सामान्य आदमी की निगाह उस पर नहीं पड़ती है लेकिन मैं इसलिये इस प्रकरण को जब से यह ध्यान में आया, आपकी सी आई डी, आपका यह जो भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट है उसने भी इसके बारे में अपने सारे केसेज को बनाया होगा लेकिन केवल सुनना और मेरा यहां यह पर्याप्त नहीं है। कारण यह है कि सरकार का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, जिस मंशा से हम उसको खर्च करके अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न ग्राउण्ड हम बनाने के लिये जाते हैं, वहां क्रिकेट का जो मैदान बन रहा है, सी पी जोशी साहब उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने सारा अपने पास लेने की कोशिश की। उसमें 100-200 करोड़ रुपया भी खर्च करके एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सारी प्रतियोगिताएं उदयपुर में हो सकें उसके लिये उसको लेने के लिये अपनी सहमति जाहिर कर दी। उस स्टेडियम के बनते हुए यह स्थिति हुई कि आज की तारीख में अगर आप जाकर देखें तो केवल धूला भर के सीढियां बनायीं। पूरा का पूरा जो आपका कंस्ट्रक्शन है वह खड़ा किया है, जितने पिलर बनाये, दुर्भाग्य है, मतलब किसी की आँख खुली नहीं कि जितने पिलर बनाये वह केवल ईंटों के पिलर बना करके अन्दर केवल उसमें मिट्टी भर दी और उसके आधार पर यह तो ठीक है कि कोई ऐसा खेल वहां नहीं हो रहा था और लोग वहां बैठे नहीं थे या उस प्रकार की कोई घटना होती तो शायद कितने लोगों की जान जाती।

**श्याम/अरूण 01.09.2010 12.30 1k**

अब इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरा उसके नाम से कोई लेना-देना नहीं है। उसके खिलाफ और उसको समय-समय पर जिन लोगों ने पेमेंट किया है और जिन लोगों की क्वालिटी को चैक करने की जिम्मेदारी थी, जब तक आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह भाषण व्यर्थ हो जायेगा। एक तरह से इस प्रकार की बेइमानी करने वाले अधिकारियों को खुली छूट मिल जायेगी कि आपने विधान सभा में उठा लिया, हुआ क्या, होता क्या है? मेरी मंशा यह है कि उन अधिकारियों को जिनकी सुपरविजन में यह सारा काम हुआ उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे इस प्रकार की अनियमितता नहीं रुकेगी। इसमें से एक-आध तो सेवानिवृत्त होकर चले गये और आपका कानून यह कहता है कि सेवानिवृत्ति को अगर तीन साल हो जायेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी तो यह साल-डेढ़ साल ही हुआ है। वह जो एस.ई. सेवानिवृत्त हुआ है, जो एक्स.ईएन. वहां से ट्रांसफर कराकर के दूसरी जगह चला गया, वहां का ए.ईएन. जो ट्रांसफर कराकर चला गया, माल-माल तो खा गये बाद में रोने वाले रोते रहेंगे। यह जो घटना हुई है यह तो केवल 6 करोड़ के कंस्ट्रक्शन में हुई है, 37 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसकी सारी की सारी जांच करवायें और अगर उसमें गुणवत्ता के आधार पर कहीं कमियां पायी जाती हैं तो उस कंस्ट्रक्शन कम्पनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाये जिसको जिस नामर्स से बनाना था और उन अधिकारियों को जिनके सुपरविजन में यह काम हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनसे यह पैसे वसूल होने चाहिए। कार्यवाही का

मतलब यह नहीं है कि उनकी पेंशन रोक दें या उनका सस्पेंशन हो गया। यह समस्या है, यह एक टेस्ट केस बनेगा राजस्थान के लिए कि उसकी रिकवरी उनकी सारी प्रोपर्टी को एक तरह से नीलाम करके प्राप्त की जाये। जिसके कारण से जो नुकसान उनकी देखरेख में हुआ वह आप वसूल कर पायेंगे।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं आपके माध्यम से सदन से और मंत्री महोदय जी से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी, यह वास्तव में मिलीभगत है अधिकारियों की और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जिस कंस्ट्रक्शन कम्पनी को 37 प्रतिशत अबोव में जो यह ठेका मिला है, कहीं यह आपके ए.ई.एन., जे.ई.एन., एक्स.ई.एन. उस ठेकेदार के पार्टनर तो नहीं हैं। यह उसके हिस्सेदार तो नहीं हैं। इन्होंने मिलकर तो यह काम नहीं किया। अगर इसकी तह में जायेंगे तो आपको यह पता पड़ेगा। जो एसीडी ने केस बनाया और जो सैम्पल उठाकर के लाये, उनकी जांच को लंबा समय नहीं जाना चाहिए। 15-20 दिन या एक महीने में जांच होकर के मेटेरियल किस प्रकार का लगा, किस प्रकार का मेटेरियल लगना चाहिए, कहां-कहां गलती हुई। उसकी जांच को महीने, दो महीने में समाप्त करें और उसके बाद अगर एक्शन करेंगे तब तो इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो आगे जो 100 करोड़ को हमने प्लान बनाया, इतना बड़ा सपना देखा कि महाराणा प्रताप के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उदयपुर में बनाया तो ट्यूरिस्ट नगरी के साथ-साथ खिलाड़ियों का आना-जाना भी यहां होगा तथा उदयपुर के लोगों को एक तरह से अपने जीवन में खुशहाली मिलेगी। उनको रोजगार मिलेगा। जोड़ने की मंशा से हमने 100 करोड़ रुपये यूआईटी से केवल एक खेल स्टेडियम के लिए प्रपोजल रखा कि इस 100 करोड़ से 2, 4, 10 साल में 200 करोड़ कमाने की स्थिति में उदयपुर शहर आ जायेगा। इतना बड़ा काम हमने किया। मंत्री महोदय, आप इस बारे में कुछ आश्वस्त करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी देखरेख में यह सारा का सारा स्टेडियम तैयार हुआ और आज की तारीख से 6 करोड़ आपका बिलकुल रसातल में चला गया। उसको जाकर के आप स्वयं देखें। आप जाते उस दिन जिस दिन सी.पी. जोशी साहब की सेवानिवृत्ति होनी थी तो आपको उस दृश्य को देखकर के रोना आता। यह जांच तो अपनी जगह चलती रहेगी लेकिन एक बार समय निकालकर कम से कम अपनी आंखों से ही देखकर के आर्ये कि आपके अधिकारी किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करके लूट रहे हैं और कुल मिलाकर जनता की गाढ़ी कमाई को खाकर के एक तरह से आराम कर रहे हैं और सेवानिवृत्ति का बहाना बनाकर के तीन साल कैसे भी करके फाइल को आगे-पीछे कराकर के निकाल करके आपके परिव्यु से बाहर निकल जायेंगे। आज वह आपकी सीमा में है। कुछ आपके दूसरे विभाग की नौकरी में चले गये हैं, ट्रांसफर कराकर चले गये हैं। उन सबके खिलाफ कार्यवाही हो और आपके सेक्रेटरी और जो अफसर हैं उनको भी हिदायत दें कि आप सब लोगों की मौजूदगी में आपने कभी जाकर के देखा भी नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय कम शब्दों में भी आप आश्वस्त करें सदन को और सारे

राजस्थान की जनता को उदयपुर के माध्यम से कि इन अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में एक और जोड़ना चाह रही हूँ, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कौनसे विषय पर, कौनसे नियम में ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसी में, इसी विषय के ऊपर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह तो इनका था ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह सारी बात है उसके बाद मैं एक लाइन सिर्फ ...(व्यवधान).... जो यह मेन टेंडर था, मूल टेंडर वह 2 करोड़ का था और आपके अधिकारियों की मिलीभगत से उस 2 करोड़ के टेंडर को 6 करोड़ तक ले गये, बिना री-टेंडर किये उसको और आगे तक बढ़ाया, इसका भी ध्यानाकर्षित करना चाहती हूँ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नगर विकास न्यास के द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारा जवाब तो दिलायें साहब आप ...(व्यवधान).... गृह मंत्री जी, हमारे वाला तो दें जवाब ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, फिर मतलब क्या रह गया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): छांट-छांट करके जवाब देंगे तो कोई मतलब नहीं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान).... किसी और माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान).... किसी और माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): <sup>000</sup>

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): महाराणा प्रताप खेल गांव में निर्माण किया गया था, निश्चित रूप से उसकी शिकायत प्राप्त हुई है, केस एसीडी में रजिस्टर्ड हुआ और अभी कोई 7, 10 रोज पहले ही एसीडी को लिखा गया, उसको करने के लिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो इस केस को निपटाया जाये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी है उसको भी जांच के लिए भेज देते हैं कि किसकी गलती की वजह से यह सब हुआ है तो डिपार्टमेंटली इनक्वायरी अलग चलती रहेगी, एसीडी का काम अलग चलता रहेगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो 6 करोड़ रूपया नगर विकास न्यास के द्वारा खर्च हुआ और 2 करोड़ रूपया

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नगर परिषद के द्वारा जो खर्च हुआ है। वहीं उनका खर्च रोक दिया गया है। उनको काम बंद करवाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि जो क्रिकेट स्टेडियम है, यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो बनने जा रहा है वह आरसीए को दे दिया गया है। अब इस पर 150-200 करोड़ रूपया और इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए टोटल खर्चा आरसीए करेगी, इसलिए उनका खर्चा सारा का सारा रोक दिया गया है। जो आप फरमा रहे थे कि 100 करोड़ रूपये का बजट है वह 6 करोड़ रूपया उनका खर्च हो गया है और चूंकि दोनों संस्थाओं का नुकसान नहीं हो इसलिए हमने आरसीए से यह कहा है कि 6 करोड़ रूपये का पेमेंट वह नगर विकास न्यास को भी करे और 2 करोड़ रूपये का पेमेंट वह नगर परिषद को भी करे। रहा सवाल इस बात का कि इसकी और जांच करानी है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है यूआईटी के द्वारा, नगर परिषद के कंस्ट्रक्शन में तो शायद आप इंटेस्ट लेंगे नहीं ... (व्यवधान)... नहीं, वह तो अच्छा ही किया है क्योंकि नगर परिषद तो आपकी ही बनी हुई है ... (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें चुटकी लेने से कोई मतलब नहीं है, कहा ना यह सारा काम यूआईटी के सुपरविजन में हो रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसकी जांच करवा लेते हैं ... (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उन्हें तो 2 करोड़ रूपये देना था वह दे दिया ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसकी जांच करवा लेते हैं और 15 दिन के अंदर-अंदर जांच करके आपको रिपोर्ट भेज देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इनके जो दूसरे खेल मैदान भी हैं, जैसे बैडमिंटन का है, बाकी हैं उन सभी के भी लेवल गड़बड़ हैं, बॉलीबाल का भी लेवल गड़बड़ है। सारे के सारे जितने ग्राउंड बनाये हैं वह सारे एक तरह से बेकार हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह जो कुछ भी है, यूआईटी का टोटल खर्चा रोक दिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब अगर मान लीजिये जो जमीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए दी गयी है वह तो आरसीए बनायेगी, उस पर जो भी करेंगे वह करेंगे और बाकी जो जमीन है उस पर स्पोर्ट्स कौंसिल ऑफ राजस्थान करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सेवानिवृत्त अधिकारियों का तीन साल का समय होता है। उसके पहले अगर आपने नहीं सँभाला तो एक पैसे आपको नहीं मिलेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सितम्बर के अंदर-अंदर जांच करवाकर के रिपोर्ट आपके पास भी एक कॉपी भिजवा देंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वाह, वाह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान).... कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: आपके दल के उप नेता बोलना चाह रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं  
...(व्यवधान)...

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: आपके दल के ही सदस्य हैं, आपकी ही नहीं मानते तो क्या करें  
...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान).... आसन पांवों पर है, कृपया बिराजें ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें, आसन पांवों पर है ...(व्यवधान).... मेरे पास पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के लिए श्रीमती कमला कस्वां जी की एक स्लिप आयी है सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर नाबालिक बालिका के साथ हुए बलात्कार के संबंध में। इस संबंध में पर्ची पर चर्चा होने के बाद आपको अवसर दूंगा। एक आयी है शंकर सिंह जी रावत की, विधान सभा के बाहर 10 हजार सरपंच पूरे राजस्थान से आकर धरने पर बैठे हैं, सरकार पंचायतों को कमजोर करने, अधिकारियों की मनमानी, नरेगा में बजट घटता, यह पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन का विषय नहीं है। दूसरा है, सरपंचों की आत्महत्या को रोकने के संबंध में शंकर सिंह जी का, इन दोनों विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं। अगले दिन जब 3 तारीख को सदन में आयेंगे तब पंचायत राज मंत्री जी का इस पर स्टेटमेंट आने के बाद भाजपा के उप नेता के आग्रह पर मैंने यह लिया है, उस वक्त आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आत्महत्या कर लेंगे उसके बाद क्या होगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक माननीय सदस्य रविन्द्र सिंह जी ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई सरपंच आत्महत्या कर लेगा तो उसका क्या होगा।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)... एक माननीय सदस्य रविन्द्र सिंह जी ... (व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): <sup>000</sup>

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन पर आपको धौलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की दुर्दशा पर बात करनी है, यह दूसरे प्रकार का विषय है। इसको अन्य नियमों के तहत आप उठा लें। उसमें आपको इजाजत देने पर विचार किया जायेगा। माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

**jyg/1.9.10/12.40/11**

### सूचना प्राप्त प्रश्न

#### ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में अनियमितता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ इन्फार्मेशन के लिए आग्रह किया था, आपने कहा था कि पर्चियों के बाद उठाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत न्यायपालिका के बारे में चर्चा नहीं करेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय राजस्थान में इस समय है। राजस्थान के सारे वकील आंदोलन पर है और प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश के चैम्बर में जाकर भी भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगे हैं और सारे के सारे वकील राजस्थान भर में आंदोलन पर है। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी स्टेटमेंट छपा है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम न्यायपालिका के कृत्यों के बारे में, माननीय न्यायाधिपतियों के आचरण के बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं करेंगे लेकिन राजस्थान में जो स्थिति पैदा हो रही है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले ऐसे हैं जिन मामलों में सरकार का हस्तक्षेप, सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप या विधि मंत्री का हस्तक्षेप आवश्यक हो, उन विषयों पर चर्चा हम कर सकते हैं। यह लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस प्रकार प्रारम्भ हुआ, राजस्थान में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 36 वेकेंसियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निकाली गईं। हमारे यहां आम तौर पर यह नियम है कि तीन गुणा जितनी वेकेंसी निकालते हैं, एक के बजाय तीन आदमियों को हम पास करते हैं और फिर इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं। दुर्भाग्य से इसमें जो परिस्थियां पैदा हुईं उनमें 36 वेकेंसियों के अगेंस्ट में केवल 37 लोगों को पास किया गया और जिन 37 को पास किया उनमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि एक अध्यापक, एक ऐसे व्यक्ति को पास कर दिया जो वकील नहीं है, जो जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय स्कूल में पढ़ाता है, केवल उसका बाप जो था वह रिटायर्ड सेशन जज था, उसको

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

परमीशन दे दी गई और उसको पास कर दिया गया, वह पास हो गया। इसी प्रकार कुछ प्रत्याशी इसमें 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, राजस्थान के बाहर के जो लोग थे उनकी आयु 35 वर्ष नहीं थी तो 2010 को हटा कर 2011 कर दिया गया, जो 2011 तक 35 वर्ष की आयु पूरी करेंगे उनको भी इसमें भर्ती कर लिया जाएगा। इस प्रकार सारे जो सलेक्शन के मापदण्ड थे वह गलत हुए इसलिए वकीलों का, अभिभाषकों का आरोप है वह एक बात है, 37 में से सिर्फ 8 राजस्थान बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं। अन्य राज्यों में भी कोटा है, जब वहां एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाते हैं तो 90 प्रतिशत उनके राज्य से आने चाहिए और 10 प्रतिशत बाहर से आने चाहिए। यहां पर जो सारा काम हुआ है उसमें 8 सिर्फ राजस्थान के हैं, 8 यू पी के हैं, 7 हिरयाणा के हैं, 6 दिल्ली के हैं, 1 उत्तराखण्ड का है, 1 बिहार का है और 6 अन्य राजस्थान के बाहर के हैं, राजस्थान के सिर्फ 8 वकीलों को इसमें वह किया गया है। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 पदों का रिजर्वेशन किया गया था लेकिन इसमें शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक भी व्यक्ति का सलेक्शन नहीं किया गया है, उनके अगेंस्ट में जनरल कास्ट के लोगों को भर्ती करके उसमें लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। राजस्थान के 3500 वकीलों ने इसमें परीक्षा दी थी, उनमें गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और उन सारे के सारों को इसमें फेल कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि जब सब राज्यों में वहां के लोगों के लिए नियुक्तियां होती हैं तो राजस्थान के वकीलों का भी अधिकार बनता है कि 90 प्रतिशत उनकी नियुक्ति हो और इस प्रकार का नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह जो सारी परिस्थितियां हो रही हैं उनकी जांच नहीं हुई और वह सब जांच के दायरे में है और स्वयं राजस्थान में न्यायपालिका का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, राजस्थान की न्यायपालिका का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, उस इतिहास की हम रक्षा कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करके माननीय विधि मंत्रीजी के माध्यम से भारत सरकार को यह कहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आग्रह करे कि सारे प्रकरण को माननीय न्यायालय स्वयं देखे और माननीय न्यायालय इस मामले को समाप्त करे और साथ ही अब तो यह मांग भी बहुत जोरों से उठने लग गई है कि जजों की नियुक्ति के लिए जूडिशल कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए ताकि राजस्थान में या हिन्दुस्तान के सब प्रांतों में एक प्रक्रिया के आधार पर वह हो और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े और वकीलों के आंदोलन के बारे में राज्य सरकार जो भी कर सकती है वह करे और हमको न्यायपालिका की गरिमा और न्यायपालिका के गौरव की रक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए वह कदम भी हमको निश्चित रूप से उठाने चाहिए, यही मेरा आपके माध्यम से सूचना देने का आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या हुआ?

...(व्यवधान)... यह क्या मतलब है? आप यहां विराजमान हैं और इस तरह.....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य का अंकित न हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): <sup>000</sup>

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह सुन नहीं पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर जा रहा है, आप पढ़ो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ, अगर इसके बावजूद भी आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरी कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

### नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

#### समय पर म्यूटेशन खरीददार के नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि भूमि के पंजीयनशुदा बेचान के बाद खरीददार द्वारा राजस्व रेकार्ड में उस भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित तहसील कार्यालय में भूमि के पंजीयन के दस्तावेज के साथ आवेदन करना पड़ता है। कृषि भूमि पंजीयनशुदा खरीद के बाद भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए अनेकों चक्कर पटवारी और तहसील कार्यालय में लगाने पड़ते हैं। यहां तक कि इस कार्य के लिए उसे कुछ राशि भी रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है। अनेकों प्रकरणों में म्यूटेशन लम्बे समय तक नहीं चढ़ने के कारण एवं भूमि की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा तेजी आने के कारण बेचानकर्ता पूर्व में बेची गई भूमि को दुबारा भी बेच देते हैं। जिसके कारण अनेकों न्यायिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे हजारों प्रकरण विचाराधीन हैं। खरीददार द्वारा कृषि भूमि की पूरी बाजार दर की राशि दिए जाने एवं पंजीयन हो जाने के बाद भी अनेकों प्रकरणों में समय पर म्यूटेशन के अभाव में उसे कृषि भूमि पर कब्जा नहीं मिल पाता साथ ही कृषि भूमि की तरमीम के भी सैंकड़ों प्रकरण प्रत्येक तहसील कार्यालय में लम्बित हैं। किस खातेदार की भूमि कहां स्थित है इसको लेकर भी विवाद बना रहता है। बिना तरमीमशुदा भूमि के कब्जे को लेकर मारपीट के हजारों प्रकरण भी पुलिस थानों में दर्ज हैं।

मेरा माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि शहरी क्षेत्रों में उप पंजीयक एवं ग्रामीण

<sup>000</sup> अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

क्षेत्रों में स्वयं तहसील द्वारा ही कृषि भूमि के बेचान खरीद का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन होने के 30 दिन के भीतर ही म्यूटेशन खरीददार के नाम स्वतः ही हो जाए तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा एवं भूमि सम्बन्धित विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे साथ ही कृषि भूमि तरमीम के प्रकरणों के निस्तारण की अवधि सुनिश्चित कर दी जाए ताकि किसकी भूमि कहां पर स्थित है यह स्पष्ट हो जाए।

माननीय राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, यह सबका मामला है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यह छोटा सा नियम बना दें आप।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिए। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री जानचन्द पारख (पाली): मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ चुके, सरकार के नोटिस में चला गया, कॉपी उनके पास गई है।

श्री जानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, माननीय राजस्व मंत्रीजी?

### चौमूं में सीवर लाइन डालने के संबंध में

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं कस्बा राजस्थान की राजधानी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हुए भी विकास कार्यों में काफी पिछड़ा हुआ है। चौमूं कस्बे की आबादी 60 हजार से अधिक पहुंच चुकी है, बहुत पुरानी बसावट है, जहां पर अब तक सीवर लाइन उपलब्ध नहीं है जबकि चौमूं कस्बा पिछले 20 वर्षों से जे डी ए के परिधि क्षेत्र में शामिल है। सीवर लाइन नहीं होने के कारण पूरा कस्बा गन्दगी की भेंट चढ़ा हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण से चौमूं कस्बे में सीवर लाइन स्वीकृत करवा कर सीवर लाइन डलवाने की कृपा करें जिससे कस्बे में साफ सफाई रह सके।

### मोहन/चौहान/01092010/1250/1m

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

### जोधपुर की जर्जर सीवर एवं पाइप लाइनों को बदलने बाबत

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, जोधपुर की सीवर लाइन समस्या।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में जिस तरह प्रातःकाल अवस्था में 15 मुख्य स्थानों से शिविर लाइन चॉक होने से गंदा पानी बेशुमार सड़क पर बहने के कारण वहां से गुजरने वाले स्कूल विद्यार्थी, धार्मिक स्थान पर जाने वाली महिलाओं, वृद्धजनों के साथ आमजन का इन रोड़ों पर से गुजरना किसी नाले को पार करने जैसा है। यह प्रतिदिन की समस्या है। इस हेतु कई बार निगम के अधिकारियों, जिला कलक्टर एवं यहां तक कि जोधपुर के प्रभारी मंत्री

माननीय राजेन्द्र जी पारीक के सम्मुख भी उक्त समस्या के स्थायी हल हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। निगम अधिकारियों को दूरभाष पर निवेदन करने के उपरान्त भी चार-चार घंटे तक निगमकर्मियों का उक्त स्थलों पर नहीं पहुंचने से स्थिति और भयावह हो जाती है। इस हेतु जनता को नगर निगम का ध्यानाकर्षण करने के लिए कई बार आंदोलन करने के साथ, धरना प्रदर्शन एवं रास्ता रोकने इत्यादि जैसी प्रक्रिया अपनाने को मजबूर होना पड़ता है जिससे जिला एवं पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करने के साथ कई निर्दोष लोगों पर मुकदमा इत्यादि भी दर्ज हो जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी शिविर लाईनों के चॉक होकर बहते हुए गंदे पानी की फोटो रोजाना देखने को मिलती है। इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार निगम अधिकारियों को उनके इस रवैये को लेकर नाराजगी प्रकट कर, समयबद्ध ठोस योजना बनाकर इस समस्या से आमजन को निजात दिलाने के लिए निर्देशित भी किया गया है।

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों के मुख्य अधिकारियों ने एक योजना बनाई है जिसमें समस्त सीवरेज लाईनों, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं या जो लीकेज हैं और पीएचईडी की पाइप लाईनों से जुड़कर जहां पीने के पानी के साथ शिविर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है। पूर्व वर्षों में कई जगह गंदे पानी की सप्लाई होने के कारण वहां के निवासियों को पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ा था। इसी के साथ, जोधपुर के करीब 22 ऐसे प्रमुख नाले हैं, उनकी सफाई समय पर नहीं होने एवं उनमें शिविर लाइन का जो गंदा पानी आता है, वह नाले बार-बार अवरूद्ध होने के कारण जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर का कारण है। यह भू-जल स्तर बढ़ने के एक सर्वे में आए वैज्ञानिक का कहना है।

अतः राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर 15 लाख से अधिक जनता निवास करती है। उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों ने जो योजना बनाई है, वह 425 करोड़ रुपये की है जिससे उक्त समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना विशेष सहयोग देकर 425 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर इस कार्य योजना का शुभारंभ कर जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करावें क्योंकि विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा भी शहर का मुख्य हिस्सा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

#### **बाड़मेर तहसील में फसल बीमा की राशि कम होने बाबत**

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर तहसील में वर्ष, 2009-10 के फसल बीमा क्लेम की राशि कम मिलने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त जनहित के मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं कि बाड़मेर तहसील में वर्ष, 2009-10 में किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि सबसे न्यून मात्रा में स्वीकृत हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2009-10 में भयंकर अकाल था जिसको लेकर सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में भी बाड़मेर तहसील में शत प्रतिशत अकाल बताया गया। उसके बावजूद जब बीमा की राशि आई तो सबसे कम राशि बाड़मेर तहसील में आई।

अध्यक्ष महोदय, केवल 8 प्रतिशत बीमा राशि ही बाड़मेर तहसील में आई जबकि बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित बाड़मेर तहसील का क्षेत्र था, उसके बावजूद बीमा क्लेम की राशि सबसे न्यून मात्रा में स्वीकृत हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि जब गिरदावरी रिपोर्ट में शत प्रतिशत अकाल दर्शाया गया, फिर क्या कारण रहा होगा कि क्लेम की राशि कम क्यों आई?

अतः मेरी मांग है कि पुनः इसकी जांच कराकर बाड़मेर तहसील के किसानों को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपाराम डूडी।

**डीडवाना में फसल खराब होने पर भी बीमित किसानों को क्लेम भुगतान न होने बाबत**  
श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, तहसील डीडवाना के अकाल पीड़ित एवं 80 से 90 प्रतिशत व कहीं कहीं 100 प्रतिशत फसल खराबे के उपरांत बीमा कम्पनी द्वारा 4596 बीमित किसानों को आज तक खरीफ फसल 2009 का क्लेम भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील डीडवाना की 31 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 4596 कृषक सदस्यों ने अपनी खरीफ फसल 2009 जिसकी कुल कीमत 6,59,74,400/- का बीमा कराते हुए 19,48,465/- रुपयों का बीमा प्रिमियम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को जमा कराया गया था, अकाल पीड़ित डीडवाना तहसील के उक्त बीमित किसानों की फसलों का 80 से 90 प्रतिशत खराबा हुआ।

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर पधारें।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): कहीं कहीं 100 प्रतिशत खराबा हुआ। ऐसे हालात में चौपट हुई बीमित फसलों का क्लेम किसानों को आज तक नहीं दिया गया है जबकि जिला नागौर की अन्य तहसीलों एवं नागौर जिले की सहकारी बैंक की कुल 10 ब्रांचों में से डीडवाना ब्रांच को छोड़कर अन्य सभी ब्रांचों के बीमित किसानों को क्लेम का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, पढ़ना है। पढ़ना है, भाषण नहीं।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): नहीं, पढ़ ही रहा हूँ, साहब। पढ़ ही रहा हूँ और क्या भाषण थोड़े ही दे रहा हूँ, साहब।

अतः सदन में उक्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

**धोद की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने बाबत**

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष के साथ निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र में जनता का आवागमन सुव्यवस्थित करने तथा मुख्य सड़कों से ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए निम्नानुसार मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें जिससे धोद विधान सभा क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके।

निम्न मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ा जावे:-

क्र.सं.	सड़क का नाम	अनुमानित दूरी मी. में
1	चन्द्रपुरा से रामपुरा	3,500
2	गोठडा तगेलान से गोडियावास(वि.सं.सीमा तक)	3,000
3	टाटनवां से सेवद छोटी	2,500
4	दीपपुरा से अनोखु	1,000
5	काशी का बास से पुरा बड़ी	4,000
6	तासर छोटी से सेवद बड़ी	5,000
7	कुंडलपुर से ताखरों की ढाणी	2,000
8	थोरासी से लालासी(विधान सभा सीमा तक)	2,500
9	दुगोली से जगतपुरा	2,000
10	पालवास से श्यामपुरा	4,000
11	सिहोट बड़ी से चंदेली का बास	2,500
12	टाटनवां से सौत्या का बास	2,000
13	मुण्डवाडा बस स्टैंड से जाखड़ों की ढाणी	4,500
14	परडोली छोटी से खाखोली	2,500
15	गोठडा भुखरान से आकवा	2,000
16	राजपुरा से जाचास	5,000
17	भैरूपुरा जागीर से गुनाठू	3,000
18	गुनाठू से फतेहपुरा	4,000
19	खुर्दी से रेवासी	4,000
20	नागवा से मुण्डवाडा सड़क तक	4,000
21	लोसल छोटी से गुमानपुरा	2,000
22	राजपुरा से पेवा	4,000
23	बिडोली गोठडा सड़क से अजबपुरा	2,000

24	बानुडा से करीरों की ढाणी	4,000
25	लाडवा से बिंज्यासी	3,000
26	सांवलोदा पुरोहितान से बिठोठ(विधानसभा सीमा तक)	2,500
27	भीखणवासी से जाचास	1,500
28	लोसल से सरवडी	5,000
29	खूड से खींचड़ों की ढाणी	6,000
30	खूड से बानूडा वाया अहिरों का बास	5,000
31	परडोली छोटी से परडोली बड़ी	1,500
32	झीगर बड़ी से झीगर छोटी	3,000
33	भैरूपुरा से झीगर छोटी	2,500
34	रसीदपुरा से आकवा	4,000
35	चौलासी से सिहोट छोटी	2,500
36	ढाणी फतेहसिंह से चंदेली का बास	1,500
37	नेतडवास से रूपपुरा	3,500

### Skp/usc/01.09.2010/13.00/1n

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जाहिदा खान।

#### वृद्धावस्था पेंशन नियमों में संशोधन

श्रीमती जाहिदा (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ।

राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना जो वर्तमान में लागू है, उसमें हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति संशोधन कराने हेतु सदन का ध्यानाकर्षण चाहती हूँ। हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य नियम के प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये (रुपये पाँच सौ) प्रतिमाह दिये जाते हैं एवं जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है उन्हें 10 वर्ष पश्चात् 700 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। जबकि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु के साथ-साथ अन्य शर्तें भी लागू हैं। राजस्थान में पेंशन लाभार्थी जो 55 वर्ष से अधिक स्त्री एवं 58 वर्ष से अधिक पुरुष हैं, इस योजना के पात्र हैं किन्तु इनके पास प्रथम 3 बीघा से अधिक सिंचित कृषि भूमि नहीं हो, द्वितीय 25 वर्ष से अधिक आयु का इनके कमाने वाला लड़का नहीं हो तभी ये इस योजना के पात्र होंगे। बी.पी.एल. चयनित परिवारों को इन शर्तों से पृथक रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान में 75 वर्ष तक के आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 750 रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लिखा हुआ बोल रही हों या दूसरा है?

श्रीमती जाहिदा (कामां): लिखा हुआ ही बोल रही हूँ।

मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उपरोक्त नियमों में संशोधन हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख रही हूँ जिससे राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति प्रक्रिया एवं कार्य सम्बन्धी नियमों में संशोधन हेतु विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

**चन्दलाई फीडर रामपुरा बाँध के निकट के काश्तकारों की सिंचाई विभाग द्वारा प्रताड़ना**

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत श्री नाथूराम पुत्र श्री बरदा निवासी नाहरिया का बास की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम चंदलाई फीडर रामपुरा बाँध के पास बहुत से काश्तकार निवास करते हैं जिनका आना-जाना परम्परागत रूप से इस फीडर के मध्यम से होता है क्योंकि इस फीडर में केवल बरसात के दिनों में पानी रामपुरा बाँध से चन्दलाई बाँध तक आता है। इस कच्चे रास्ते से पानी के प्रवाह में कोई परेशानी या रुकावट पैदा नहीं होती है। कुछ समय पहले सिंचाई विभाग द्वारा अकारण ही सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने आन्दोलन भी किया और अधिकारियों को अवगत भी कराया कि पानी के बहाव और पुश्तैनी रास्ते पर ग्रामवासियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाये। परन्तु अधिकारियों ने इसकी अनदेखी कर साजिश के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट शिवदासपुरा थाने में दर्ज करा दी। इस रिपोर्ट के पश्चात् ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए लोगों को यह कहकर गुमराह किया गया कि आप लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और यह कहकर उन्होंने समझौते के नाम पर श्री नाथूराम पुत्र श्री बरदा, श्री हनुमान हराणा पुत्र श्री ग्यारसी, श्री शंकर पुत्र श्री छाजूराम, नाहरिया का बास को बुलाया और न तो उनसे समझौता किया बल्कि उन्हें थाने में ही बिठाये रखा और इस बात से नाथूराम को गहरा सदमा लगा और इस सदमे से उनकी मृत्यु हो गई।

इस घटना से क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन पर उतारू हैं। ग्रामवासियों की मांग है कि नाथूराम की मृत्यु की जांच कराई जाये और उसके परिजनों को कम से कम पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये। सिंचाई विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारी जिनके कारण यह घटना घटित हुई, उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाय अथवा वहां से तुरन्त हटाया जावे और जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। अतः मैं इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूँ, कृपया अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा। श्री जयदीप डूडी। कर्नल सोनाराम।

( )

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

### प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के रिक्त पद

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर यह कहना चाहता हूँ कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन के अभाव में गम्भीर स्थिति है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने हेतु काफी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य वेतन पर प्रधानाध्यापकों को नियुक्त किया है एवं अनार्थिक विद्यालयों का एकीकरण भी उचित कदम है। इस हेतु मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि लगभग समस्त प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं जिनके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्तर की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को होनी चाहिए वो प्रदेश के वर्तमान में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है जिसका मुख्य कारण विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विषयाध्यापकों के रिक्त पद हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी की चिंता सता रही है। जिले में आधे से ज्यादा व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान में 442 में से मात्र 177 पदों पर प्राध्यापक कार्यरत हैं और 265 पद रिक्त हैं। विगत 3 सालों में नव क्रमोन्नत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो प्रधानाध्यापक के अलावा विषयाध्यापक एवं अन्य कार्मिकों के पद ही स्वीकृत नहीं किये गये हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यालय तो मूल पद के कार्मिकों के भरोसे ही चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के रामावि चिडिया में 10 कक्षाएं एवं कार्यरत अध्यापक मात्र तीन हैं। ऐसी स्थिति कई विद्यालयों की है। शहरी क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था भी संभव हो पाई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था भी राम भरोसे है। जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती करवाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रिक्त पदों के विरुद्ध योग्य आशार्थियों का चयन कर पदस्थापन किया जाना चाहिए। बायतू क्षेत्र के मात्र 8 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही 14 पद व्याख्याताओं के रिक्त चल रहे हैं। जिले के कई व्याख्याता तो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त पर चल रहे हैं एवं उनका मूल पद रिक्त चल रहा है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किये गये व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर मूल विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए एवं भविष्य में प्राध्यापकों एवं शिक्षक वर्ग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पाबन्दी लगानी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक की नियुक्ति की गई है उसकी पूर्ति हो सके। लगभग यही स्थिति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की है। बाड़मेर जिले में 284 पद उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधानों के,

4491 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, 71 पद शारीरिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं और बायतू पंचायत समिति में क्रमशः 18, 627 एवं 19 पद रिक्त हैं। हाल ही एक आदेश जारी कर प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था करने के फरमान जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर सुधरने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय में राबाउमावि में प्रधानाचार्य के पद सहित प्राध्यापकों के सभी पद रिक्त होने के स्कूल की पढ़ाई का तो भगवान ही मालिक है। राज्य सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती निकाल कर पदस्थापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

**vkj/akt/31.08.2010/13.10/1o**

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

सीनियर सिटीजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं नियम 295 के माध्यम से सीनियर सिटीजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव देना चाहता हूँ।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सीनियर सिटीजनों के सम्मान एवं सहायता हेतु बस यात्रा करने पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे वास्तव में एक सराहनीय योगदान हैं। सभापति महोदय, इस सराहनीय योगदान में अगर थोड़ा और संशोधन कर दिया जाये तो हमारे समाज में सीनियर सिटीजनों को सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है।

(1) एक तरफ तो हम सीनियर सिटीजन को सम्मान देना चाहते हैं लेकिन टिकट बुकिंग विंडो पर नहीं देकर गाड़ी में टिकट दी जाती है, जिसकी वह से बुजुर्गों को बैठने के लिए सीट नहीं मिलने से खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ती है। अतः टिकट बुकिंग विंडो से दिया जाये, ताकि यात्री को सीट मिल सके।

(2) महंगाई के इस दौर में 30 प्रतिशत रियायत की जगह 50 प्रतिशत की रियायत दी जाये।

(3) सीनियर सिटीजनों को केवल साधारण बसों में ही रियायत दी जाती है, उसकी जगह सभी अन्य बसों में भी सुविधा मुहैया कराई जाये ताकि हमारे बड़े-बुजुर्ग आराम से अपने गन्तव्य स्थान तक सुगमता से यात्रा कर सकें।

(4) आयु सीमा में भी संशोधन किया जाये तथा 65 वर्ष की जगह 60 वर्ष अगर किया जाये तो यह भी उनके लिए उचित रहेगा।

अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उक्त बिन्दुओं पर तत्काल संशोधन कर सीनियर सिटीजनों को राहत दिलाने का श्रम करायें जिससे राज्य के सभी सीनियर सिटीजन आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: निम्न पत्रियां प्राप्त हुई हैं। श्री रामहेत सिंह जी यादव।

### पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

#### अलवर जिले में कानून व्यवस्था

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी है, अलवर जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, वह चरम सीमा पर है। आज कोई व्यक्ति अलवर जिले में रात्रि को आराम से सो नहीं सकता, विश्वास के साथ उठ नहीं सकता कि सुबह उठेगा, उससे पहले वह जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। उसके घर में जो सामान है, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। उसके घर में वाहन है, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। (व्यवधान) ऐसी हालत है। रात में गैरेज में या घर में चैनल लगातर मोटर-साइकिल, स्कूटर, कार-जीप या ट्रैक्टर खड़ा करके सोता है, सुबह उठता है तो पता चलता है कि पूरे मकान को लोक लगाकर, रात को नकबजनी करके उनके सामान को ले जाते हैं। थाने में जाते हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। 10-10, 15-15 दिन तक पुलिस का सिपाही, हैड कांस्टेबल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी को बुलाओ, गृह मंत्रीजी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये माननीय सदस्य। बिराजिये बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शून्यकाल में मंत्रीगण नहीं हैं। शून्यकाल में मंत्रीगण नहीं हैं। ट्रेजरी बेंचेज सारी खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। आप माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराजिये हां।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): वाहन चोरों के साथ पुलिस मिली हुई है। जैसे ही जिसके वाहन मोटर-साइकिल, कार, ट्रैक्टर चोरी होते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाते हैं, 20-25 मिनट के अन्दर जैसे ही दरखास्त लिखते हैं, थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले चोरों के पास यह खबर पहुंच जाती है, उसके दलाल आ जाते हैं कि थाने में कुछ नहीं मिलेगा, आप हमारे पास आ जाइये, इतने पैसे दे दिये जायेंगे, नहीं तो बिना एफ.आई.आर. के वापस आ जायेंगे। ऐसी हालत है। पूरे जिले के अन्दर सारा पुलिस प्रशासन खोखला हो गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसी तरह से चाहे नकली सोने की ईंट का मामला हो चाहे अवैध खनन का हो चाहे मक्खन का हो चाहे दूध का हो। अवैध खनन के हालात तो

और भी ज्यादा खराब हैं। माननीय वन मंत्रीजी तो फोर्स लगाना नहीं चाहते, रेंजर को गाड़ी देना नहीं चाहते, कैटल गार्ड लगाना नहीं चाहते। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ बास में एक रेंज आफिस है। उसमें एक मोटर-साइकिल और चार सुरक्षा गार्ड वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

तिजारा क्षेत्र एक ऐसा अकेला क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहां पर रोजाना 3,500 ट्रक अवैध खनन करके ले जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। वन विभाग, माइन्स विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही इसलिए नहीं करते हैं कि उनके पास साधन नहीं हैं। वह पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस वाले उनको बता देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है।

पिछले दिनों तिजारा के अन्दर नो-एंट्री जोन में सात बजे एक डम्पर घुसता है, उससे एक एकसीडेंट हो जाता है, एक व्यापारी शायद मर भी जाता है। जब डेड बोडी को लेने गये तो पोस्टमार्टम हो रहा है तो वह उठाने से मना किया कि प्रशासन तय करे, पुलिस तय करे कि नो-एंट्री जोन में ट्रक-डम्पर नहीं घुसेंगे या ये अवैध खनन वाले नहीं घुसेंगे और कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रक को जला दिया। जिसका व्यक्ति मरा, उसी के खिलाफ पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर ली, उनके परिवारजनों को उठाकर जेल भेज दिया गया।

ऐसे ही हालात पिछले दिनों टपूकड़ा में हुए, एक नो-एंट्री जोन में शाम को छह बजे एक डम्पर घुस गया। उसने बिजली विभाग के सारे तारों को तोड़ दिया, लगभग 5.50 लाख रुपये का नुकसान बिजली विभाग का हुआ। ए.ई.एन. एफ.आई.आर. दर्ज कराने गया टपूकड़ा में, उसकी एफ.आई.आर. नहीं ली गई। जिसकी रेलिंग टूटी, उसका नुकसान हुआ, उसकी एफ.आई.आर. नहीं हुई। पूरा बाजार बंद हुआ। पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय अपराधियों को थाने में बुला लिया और वहां पर धरना दे रहे थे व्यापारी लोग, उन पर पथराव कराया। मैं जब वहां गया तो मुझ पर भी पुलिस थाने के गेट के सामने पथराव हुआ और मैं भी उसमें घायल हुआ। पूरा प्रशासन आया और आश्वासन दिया गया कि थाने को आज ही हटा दिया जायेगा, थानेदार को सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया जायेगा। आज तक थानेदार को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। ऐसी हालत है और इतना भ्रष्टाचार है क्योंकि जो सीमावर्ती थाने हैं, वहां पर पैसे देकर पोस्टिंग होती है। आज भी एक महीने चार दिन हो गये, उसमें थानेदार की पोस्टिंग नहीं हुई। ऐसी हालत है। सारे अपराधियों से वहां का एडिशनल एस.पी., वहां भिवाड़ी का डीवाई.एस.पी., खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है, उनको रात को ही धोंस दे दी जाती है, उनको अपहरण करने की धोंस दे दी जाती है, उनको जान से मारने की धोंस दे दी जाती है, यह हालत है।

किसान अपने खेत में सुरक्षित नहीं है। किसान के खेत में बड़ी मुश्किल से कनेक्शन होता है, ट्रांसफार्मर लगवाता है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले एक साल में अलवर जिले में लगभग 700 ट्रांसफार्मर चोरी होने की एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, लगभग

20 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। यह अलवर जिले की ऐसी नाकारा पुलिस है, जिसने ट्रांसफार्मर 20 भी चोरी के बरामद नहीं किये, आप रिकार्ड में देख लें। मैंने खुद मंत्रीजी को कहा था, पिछले बजट सत्र में भी मैंने कहा था कि पुलिस नाकारा है, पुलिस के लोग नाकारा हैं, वे अपराधियों से मिले हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा अलवर जिला सीमावर्ती है और वह हरियाणा से मिला हुआ है। वहां पर चाहे गोविंदगढ़ का थाना हो चाहे रामगढ़ का थाना हो चाहे तिजारा का थाना हो चाहे टपूकड़ा का थाना हो, भिवाड़ी और शाहजहांपुर का थाना हो, चाहे महानंद का थाना हो, सारे जिले से हरियाणा की बोर्डर लगी हुई है। पुलिस के संरक्षण में शराब माफिया के लोग हरियाणा से शराब लाकर अलवर जिले में सप्लाई करते हैं। खुले रूप में मंथली बंधी हुई है और कोई पुलिस कार्यवाही उसमें नहीं करना चाहती।

मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मालाखेड़ा थाने की घटना है। पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस किसी दलित हरिजन को पकड़कर लाई। उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। मरने के बाद वह एस.पी. को मिला कि वह थानेदार और सिपाहियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये, वहां उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसने इस्तगासा किया। आज तक थानेदार को वहां से लाइन हाजिर कर दिया लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया उस दलित हरिजन की हत्या करने के आरोप में। वह दर-दर घूम रहा है, ऐसी हालात है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरथल नगरपालिका क्षेत्र पड़ता है। सात दिन के अन्दर 27 मोटर-साइकिल चोरी की गई। एक एफ.आई.आर. दर्ज कराने गये तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई।...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार के बाहर धरना देने आये थे, विधान सभा पर धरना देने आये थे। माननीय सभापति महोदय, उन पर लाठीचार्ज किया गया...

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

**Jkj/akt/01.09.2010-13.20-1p**

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) सचेतक महोदय। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जो कल की घटना है, परसों एक घटना..(व्यवधान)

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री सभापति: आप बिराजिये, बिराजिये। अंकित नहीं होगा। बिराजिये, आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कल सदन में माननीय...

श्री सभापति: आप थोड़ा सम-अप करिये माननीय सदस्य, सम-अप करिये।(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कल सदन में गौ संरक्षण की बात की गई, अलवर जिले के अंदर जिस तरह से गौ तस्करी बढ़ी है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप बिराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये। अंकित नहीं होगा। बिराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 000

श्री सभापति: आप सम-अप करिये। बिराजिये माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) अब आप बिराजिये, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये। सम-अप करिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जहां तक गौ निकासी का, गौ तस्करी का मामला है, गौ तस्करों के तो हौंसले इसलिए बुलंद हैं, पुलिस नाकारा है। कल खैरथल के पास गोलियां चलाकर पुलिस पर, पुलिस की गाड़ी को नुकसान करके चले गये। टपूकड़ा के अंदर थाने के सामने अवैध खनन माफिया ने पुलिस को पीटा। पिछले दिनों एकसीडेंट हुआ, तिजारा के अंदर पुलिस पिटी। ऐसी कोई जगह नहीं है कि हालात यह है कि पुलिस आये दिन पिट जाती है, गौ तस्कर भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वह जाति विशेष के लोग गौ तस्करी करते हैं, जाति विशेष के लोग अवैध खनन का काम करते हैं, जाति विशेष के लोग मावा, नकली मावा बेचते हैं, जाति विशेष के लोग नकली, सिंथेटिक दूध बनाते हैं लेकिन वह पुलिस के संरक्षण में सब चलता है। पुलिस का राज नहीं

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

है, वहां पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस के सारे थाने बिके हुए हैं, पुलिस के लोग अवैध धंधे में संलिप्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि अलवर जिले को विशेष रूप से पुलिस प्रोटेक्शन, नई पुलिस व्यवस्था अपना कर वहां पर अपराध कम हो, गौ तस्करी बंद हो, अवैध शराब बंद हो, अवैध भू माफिया पर लगाम लगे, अवैध खनन माफिया जो माननीय वन मंत्री के संरक्षण में चल रहा है, उन पर भी प्रतिबंध लगे, ऐसी सख्त कार्यवाही करें ताकि लोग अमन-चैन से रह सकें, यही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मामला बहुत गम्भीर है माननीय सभापति महोदय।

### सूचना

#### विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। आज राजस्थान के नौ हजार से ज्यादा जो सरपंच इस विधान सभा के सामने आये, उन पर इस भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया गया, मैं समझता हूँ जन प्रतिनिधियों को अगर....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं भी मेवात से संबंध रखता हूँ, पूरा मेव, पूरा मेवात...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर शांतिपूर्ण इस तरह से प्रदर्शन करने वालों को लाठियों से सबक सिखाया जायेगा तो मैं समझता हूँ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उनके सिर फोड़ दिये गये, इस तरह का व्यवहार सरपंचों के साथ किया गया है, यह बड़ा...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, पूरे मेवात में नकली हथियार, सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक मावा, सिंथेटिक पनीर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण करे और जिन लोगों ने, जिन पुलिस के अधिकारियों ने...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आज विधान सभा में धरना देने आये हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सोने की ईंटे, नकली सोना बेचते हैं...(व्यवधान) पूरा मेवात डाकू और चोरों के गिरोह से घिरा है, ऐसे में कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार उनके प्रतिनिधि मण्डल से मिलने का काम करे। सरकार मिलने की बजाय उनकी जबान को लाठी से दबाना चाहती है। मैं समझता हूँ इस जनतंत्र में यह कभी भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आज राजस्थान का तमाम सरपंच सब राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर तमाम सरपंच चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन जिस तरह से उसके साथ जो विश्वासघात किया गया है उसके खिलाफ पूरे राजस्थान का सरपंच इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे जिन पर इस

सरकार ने इशारों पर जिस तरह से लाठीचार्ज करके उनकी मांग को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूँ इससे घोर अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए सरकार तुरंत उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और उन सरपंचों के प्रतिनिधि मण्डल से मिल कर उनकी मांगों पर विचार करने का काम करे।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हम सभी विधायक इस बात से सहमत हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, सरपंचों पर लाठीचार्ज की जांच हो और जांच होकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो, बिराजो। सचेतक महोदय। सचेतक बोल रहे हैं, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह सरकार सरपंचों के मामले को लेकर के गम्भीरता से ले, हम सब विधायक सरपंचों को समर्थन करते हैं।

श्री सभापति: बिराजिये माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये। आहूजा साहब, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और आपको यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहां पर व्यवस्था दें, सरपंचों के खिलाफ जांच बैठे और गृह मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति: आपके दल के सचेतक महोदय बोल रहे हैं, बिराजिये। आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं सदन को...

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, दो मिनट का टाइम दिया जाय।

श्री सभापति: आप बिराजो, बिराजो। बिराजो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरपंचों से क्या चाहती है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बिराजो।

### पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

#### फसल बीमा-राशि भुगतान में देरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संवेदनहीन राज्य सरकार का ध्यान उस गंभीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका संबंध राजस्थान के पाँच करोड़ किसानों से सीधा है। सभापति महोदय, यह सरकार कभी फसल बीमा के लिए गंभीर नहीं रही, किसान का वोट लेना था, चुनाव घोषणा पत्र जो आज सरकारी दस्तावेज बन गया उसके अंदर सरकार ने कहा कि हम फसल बीमा की ग्राम पंचायत को इकाई बनायेंगे, इन्हीं कृषि मंत्रीजी ने यह कहा कि हम आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए उचित मुआवजा नीति बनायेंगे। कृषि मंत्रीजी, इस सरकार की उम्र साठ महीने है, बीस महीने निकल गये। इस बीस महीने में एक बार भी उस किसान के साथ किया हुआ वादा अगर सरकार याद करती तो शायद किसान सोचता कि आप किसान के हितैषी हैं। फसल बीमा के लिए इन्होंने किस कदर किसान को गुमराह किया, वर्ष 2003-04 में राजस्थान में सात जिलों में मौसमी

फसल बीमा योजना लागू की और बिना जानकारी के इसी सरकार ने अपने बजट भाषण 2009-10 में पैरा 124 में फिर कह दिया कि हम फसल बीमा मौसमी यहां लागू कर रहे हैं। सभापति महोदय, खरीफ 2009 एक बरबादी का मंजर लेकर आई थी और पूरे राज्य के अंदर किसान तबाह हो गया, फसल तबाह हो गई। राज्य सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिये, अगस्त के तीसरे सप्ताह में गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार के सम्मुख आई। 26 जिलों के अंदर, कृषि मंत्रीजी, 32833 गांवों में पचास से सौ फीसदी खराबा हुआ। राज्य सरकार ने इस खराबे के आधार पर केन्द्र सरकार को 12691 करोड़ का सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया और इस तबाही में सभापति महोदय, 25 लाख 92 हजार वह किसान थे जो ऋणी और अऋणी किसान जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये प्रीमियम के फसल बीमा के लिए जमा करवाये और राष्ट्रीय बीमा योजना की गाइड लाइन के अनुसार फसल बीमा का क्लेम तीन महीने के अंदर-अंदर इनको मिल जाना चाहिए था, नौ महीने बाद, नौ महीने के अंतराज के बाद इस निरंकुश सरकार और बेपरवाह कृषि मंत्रीजी के कारण 25 लाख 92 हजार बीमित किसानों में से 21 लाख किसानों को 1439 करोड़ रुपये का क्लेम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ने स्वीकार किया, इसमें से 660 करोड़ की राशि, माननीय सदस्य, केन्द्र सरकार को देनी थी, 660 करोड़ की राशि राज्य सरकार को देनी थी और 79.97 करोड़ रुपये किसान ने प्रीमियम उस इंश्योरेंस कम्पनी के पास जो जमा कराया उसको लौटाना था। नौ महीने गुजर गये, अब केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया, और आज जब दिल्ली के अंदर मनमोहन सिंहजी की सरकार, दिल्ली में सी.पी.जोशी की सरकार, दिल्ली में राहुल बाबा की सरकार और यहां राजस्थान में मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत की सरकार और किसान को उसका क्लेम नहीं मिले, 28 जून, 2010 को देश के वित्त मंत्रीजी से मिलने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी बम्बई का रास्ता पकड़ते हैं, आजकल कुछ ज्यादा जाते हैं, शरद पंवार को पत्र लिखते हैं और पत्र में यह कहते हैं 600 करोड़ के लिए, जो राज्य का हिस्सा है, फसल बीमा का प्रावधान हमने अपने बजट में किया है, उनसे मांग करते हैं, केन्द्र सरकार अपनी हिस्सा राशि दे। आज, कृषि मंत्रीजी, जो सीआरएफ का अनस्पेंट मनी आपके पास पड़ी है, 660 करोड़ रुपये की पिछली किश्त आपके पास पड़ी है और 660 करोड़ की अब इनके पास स्वीकृति आ गई है, यानि 1320 करोड़ रुपये केलेमिटी रिलीफ फण्ड में सरकार के पास पड़ा है और सरकार कहे केन्द्र सरकार से सहायता नहीं मिले और सभापति महोदय, जब किसान आंदोलन करने लगे तब इन्होंने थोड़ा-थोड़ा किसान को जिस तरह खैरात बांट रहे हैं, उस तरह पैसा देना प्रारम्भ किया। सिर्फ 3 लाख 67 हजार किसानों को साठ प्रतिशत फसल बीमा का मुआवजा मिला। 17 लाख किसानों को तीस प्रतिशत से कम मुआवजा मिला, जो उसका अधिकार था और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कृषि मंत्रीजी, अगर आंकड़ा गलत हा, अगर आप वास्तव में वेश भूषा से किसान लगते हो, मन और आत्मा से किसान हो तो खड़े होकर बतायें कि अब तक आपने कितना पैसा बांट दिया। मेरी जो जानकारी है, 1439 करोड़ की जगह आपने 663

करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं और आज इसका परिणाम क्या निकला सभापति महोदय, अभी मौसम आधारित फसल बीमा योजना पूरे राज्य में लागू करने की बात सरकार कर रही है.....

### **Lpm/akt/1330/1q/01092010**

और उस मौसम आधारित फसल बीमा के अंदर 15 अगस्त प्रीमियम जमा कराने की आखिरी तारीख, किसान उससे जुड़ नहीं रहा है। ऋणी किसान के लिए तो मजबूरी है, अऋणी किसान कितना जुड़ा? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ यह क्या हो रहा है? सभापति महोदय, हमारी सरकार की साख, सरकार के मुखिया की साख कांग्रेस की गुटबंदी के कारण दिल्ली के दरबार में कम हो जाए उसका खामियाजा राजस्थान का किसान भुगतते इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जब से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बने हैं इन्होंने जो-जो मांग दिल्ली दरबार के सामने रखी। इन्होंने कहा राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए, मिल गया आपको दर्जा? आपने मांग रखी राजस्थान के अंदर पीने के पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या के कारण चार हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जाए, मिल गया आपको? आपने रिफाइनरी लगाने की बात कहीं, एक बात बता दे जो आप आज तक दिल्ली सरकार से मना पाये। आपकी गुटबंदी के कारण और दिल्ली सरकार की हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब से टेढ़ी आँख हुई है उसके कारण से आज किसान भुगत रहा है और यह सवाल राजस्थान का किसान कृषि मंत्री जी आपसे पूछेगा। यह सवाल मेरा नहीं, यह सवाल डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां सदन में रखा है अभी, यह बाइमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, यह सभी माननीय सदस्यों का सवाल है जो किसान का वोट लेकर यहां आते हैं। इसलिए यह मेरी मांग है कि यह विषय गंभीर विषय है, यह विषय कोई चलित का विषय नहीं है। मैंने कोई सरकार पर स्कोर करने के लिए यह पर्ची के माध्यम से यह विषय नहीं उठाया है। सरकार का उत्तर आना चाहिए। कब पैसा बंटना चाहिए था, पैसा बांटने में विलंब क्यों हुआ, शत प्रतिशत पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? आज उस पैसे के कारण किसान नया ऋण नहीं ले सका। किसान की साख सीमा समाप्त हो गई उसके को-ऑपरेटिव बैंकों में, किसान बर्बाद हो रहा है। इसलिए इस सारी बरबादी के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वह हमारे कृषि मंत्री जी हैं। क्योंकि कृषि मंत्री जी निर्दलीय जीत कर आये थे, किसान के नाम पर जीत कर आये थे, किसान की वेशभूषा पहन कर जीत कर आये थे और आज आपको राजस्थान का किसान कोस रहा है। कृषि मंत्री जी वह आपको माफ नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि मेरी बात का आप उत्तर दे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैंने पहले भी सदन में, मंत्री महोदय साथ में यह भी बात आ जाएगी...

श्री सभापति: विराजो आप, विराजो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय एक मिनट, इन्होंने पहले भी सदन में रखी थी...

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): पहले मेरी बात सुनो उसके बाद में कोई पूछना, एक मिनट आप पहले मेरी बात सुन लो। उसके बाद में पूछना है पूछ लेना।

श्री सभापति: विराजो आप, कृषि मंत्री जी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले, यह फसल बीमा योजना है या मौसम बीमा का कर रहे हैं इसमें यह जो पिछले जिलों के जो पैरा मीटर्स लिये हैं, कई जिले ऐसे हैं जिनके किसानों से केवल प्रीमियम वसूल किया जाएगा जिंदगी भर, उनको नया पैसा खामियाजा का मिलने वाला नहीं है तो पहले भी मेरा आपसे निवेदन है, आज भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से इस पर गहन अध्ययन किया जाये...

श्री सभापति: आप विराजिए माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): और आप मौसम का बीमा नहीं करे, फसल का बीमा करे यह योजना आप लागू करे।

श्री सभापति: आप विराजिए, मंत्री जी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान)... हमारे जिले को तो कभी लाभ मिलेगा ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय सदस्य विराजिए ...(व्यवधान)... आप विराजिए अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: आपके दल के मुख्य सचेतक बोले हैं उसके ऊपर मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। आप विराजिए। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूँ आपको, आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा, आप विराज जाए माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: आप विराजे, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, आप विराजो तो सही, सुनो तो सही उन्हें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: अंकित कुछ नहीं हो रहा है आप विराजे, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है विराजो। आपके सचेतक बोले हैं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजे, मुख्य सचेतक बोले उसी पर वह बोल रहे हैं, आपके दल के सचेतक बोल गये हैं न इस चीज के ऊपर विस्तृत।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 000

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: डॉक्टर साहब विराजो, आपको मैंने निवेदन किया अंकित कुछ नहीं हो रहा है, आप विराज जाए। मंत्री जी आप बोलना चाहेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 000

श्री सभापति: मैं नहीं घोंट रहा हूँ गला ...(व्यवधान)... जो आप सुनना चाह रहे हैं वहीं वह बोल रहे हैं आप विराजिए। आप सुनो तो सही पहले।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक फसल बीमा का सवाल है इसका जो प्रोसीजर है और जो खराबा आंकने का जो प्रोसीजर है वह हमेशा टिपिकल रहा है और इसी के कारण इसमें ज्यादा देरी हो रही है और यह जब से फसल बीमा शुरू हुई है तब से है और इस बारे में अभी तक इस सरकार के अलावा पहले की सरकारों ने भी कोई विचार नहीं किया। ...(व्यवधान)... सुनो पहले आप, वह सरकारें आपकी भी थी और हमारी भी थी, नहीं सुनो तो आप ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... जितना क्लेम पास हुआ है, सभापति महोदय, मेरा पोइन्टेड सवाल है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम पास कर दिया 1439 करोड़ का उसमें कितना पैसा दे दिया और उसमें लेट क्यों हुआ? दो बात पूछना चाहते हैं हम तो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनने की क्षमता रखो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्या? आप कहे तो आप सुनो भी। इसमें अभी तो कोई गहराई से विचार हुआ नहीं है और हमेशा ही इसमें देरी होती आई है। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि इस साल में मौसम आधारित बीमा लागू की गई और इस मौसम आधारित बीमा में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी और इसमें किसी को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। न तो इसमें पटवारी की गिरदावरी की रिपोर्ट की आवश्यकता है और न ही कोई

कटिंग की आवश्यकता है। ओटोमैटिक ही यंत्रों से जिसको जो मिलने वाला है वह अपने आप ही फैसला हो जाएगा और वह तुरंत मिल जाएगा। जहां तक ... (व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: आप सुनो तो सही माननीय सदस्य ... (व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले सुनो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले सुनो, बाद में कोई पूछना है पूछ लेना, मैं बता दूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): इस साल का जो बीमा राशि का जो भुगतान था पिछली फसल का वह करीब 1400 करोड़ का था और उस 1400 करोड़ में बीमा कंपनी का केवल 79 करोड़ था और बाकी जो क्लेम था वह राज्य सरकार और भारत सरकार को 50:50 प्रतिशत देना था। फर्स्ट किशत के रूप में बीमा कंपनी और राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के 638 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और वह पीछे रकम आने का इंतजार किए बिना तत्काल उसका वितरण शुरू कर दिया और वह करीब-करीब 40 प्रतिशत के आसपास....

### **Bhs/akt/1.9.10/13.40/2a**

किसानों को भुगतान हुआ है। अब शेष राशि जो थी वो भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही। पहले होता था क्या? पहले के आंकड़े बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो आप पहले। आपने कुछ किया नहीं और हमने कुछ किया उसका विरोध। अब बाकी जितनी भी राशि है वो सात दिनों के अन्दर-अन्दर काश्तकारों को मिल जाएगी। इसके अलावा आप काश्तकारों के इतने हितैषी बन रहे हो, इस साल इस सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र के काश्तकारों को आठ सौ करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। आज तक आपने सोचा क्या कभी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

---

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप सुनते तो हो नहीं। आप भी ले आते आपकी सरकार थी आपकी यहां भी सरकार थी। क्यों नहीं लाये। आपने कभी सोचा नहीं और अब किसानों के हितैषी बन रहे हो। आपको यह तो कहना चाहिए था कि इस सरकार ने यह पहल की है। राजस्थान में आज तक नहीं हुआ। आठ सौ करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों के खातों में मुआवजे के रूप में हुआ है। आज तक नहीं हुआ इसलिए हालांकि इस उत्तर देना जरूरी नहीं था फिर भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने यह उत्तर दिया है और सारी बीमा राशि सात दिन के अन्दर-अन्दर किसानों को मिल जाएगी और आगे मौसम आधारित बीमा के हिसाब से उसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

### सूचना

#### विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। जो राजस्थान भर से सरपंच आये थे उनके ऊपर बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ है। कई लोग घायल हो गये हैं और ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार वक्तव्य दें।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरपंचों को पीटा गया है, लाठीचार्ज हुआ है इसके बारे में सरकार जवाब दे। वक्तव्य दे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप समय देख रहे हैं।

श्री सभापति: विराज जाएं। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। सरकार यह कहे कि वक्तव्य कब देगी इस पर।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे।)

सरकार वक्तव्य दे। ...(व्यवधान)... वक्तव्य दिलवायें आप।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, लाठीचार्ज ही नहीं चल रहा है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और हवाई फायरिंग हो रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, इनका सदन में कोई नेता ही नहीं है। ...(व्यवधान)... आपके नेता तो बताओ। नेता कौन है सदन के अन्दर? हर कोई सदस्य आता है और व्यवधान पैदा करता है। आपके नेता तो बताओ सदन में कौन है नेता? कोई धणीधोरी ही नहीं है आप लोगों का। आपका धणीधोरी कौन है?

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री सभापति: आप पधारो तो सही। आप पधारो। हां करवा दूंगा। आप अपने-अपने आसन पर पधारें। हां हैं, आ गये, मिल गये। मैंने बता दिया उनको, सरकार कर रही है समस्या का समाधान। मैंने बता दिया है। आप विराजें तो सही मैं दे दूंगा। आपने कहा है, मैंने आपकी सुन ली। मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप विराजें तो सही। सदन की जो कार्यवाही है उसको तो चलने दें आप। मैं करा दूंगा व्यवस्था। आप विराजें तो सही। मैं कह रहा हूं आपको करवा दूंगा। आप विराजें तो सही। सचेतक महोदय। मालूम है। कर दूंगा व्यवस्था। पूरा इलाज हो जाएगा उनका। बिलकुल हैं। कुर्सी पर पधारो आप। आप पधारो तो सही। इलाज हो जाएगा। करेंगे उनका इलाज। बिलकुल।

**दुर्गा/त्रिपाठी 01092010 1350 2b**

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल व नारेबाजी)

#### व्यवस्था का प्रश्न

परम्परानुसार कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर संशोधन नहीं दिया जा सकता

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सदन का समय बहुमूल्य है। यहां एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। (व्यवधान) 'सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो यहां पर स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि यहां न बोलने या गलत बोलने, दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी होता है'।

मेरी जानकारी में गलत विषय आया। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो नियमों का हवाला देते हुए नियम 215 का हवाला देते हुए विषय उठाया था, गोपनीयता भंग होने का, जिस पर आपने व्यवस्था भी फरमाई थी और उसमें मेरी ओर से जो एक पुराना वाक्या था जिसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने उस वक्त इस बात को रखा कि जो आखिरी नजीर प्रस्तुत की जाती है वही आने वाले समय के लिये एक उदाहरण बन जाता है और उन्होंने इस बात को रखा कि तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी विशनोई के कार्यकाल में इसी प्रश्न पर दिनांक 7 मार्च, 1985 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर पूर्व में वर्ष 1968 में दी गयी व्यवस्था को ही माना गया। (व्यवधान) इसी प्रकार मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं मुझे सुन लीजिये, माननीय सदस्य कार्य सलाहकार समिति का जो भी निर्णय हो उस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जाता है, यह परम्परा रही है। एक बार दामोदर लालजी व्यास ने जब कार्य सलाहकार समिति का निर्णय प्रस्तुत किया तो उस समय सतीशजी अमेण्डमेंट लाए थे। (व्यवधान) तब स्पीकर ने आग्रह किया कि यह परम्परा तोड़ना होगा, उन्होंने वह वापस ले लिया। इसलिये आज हमारी जो भी परम्परा बनी हुई है, हमारे माननीय सदस्यों ने बनाई है उस परम्परा को नहीं तोड़ना चाहिए और जो भी कार्य सलाहकार समिति का निर्णय है उसके लिये कोई भी अमेंडमेंट नहीं आना चाहिये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने गलत उल्लेख कर सदन को गुमराह किया है और रिकार्ड में गलत तथ्य आये हैं, जो उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस रिकार्ड को दुरुस्त फरमाया जाए और उसी के साथ-साथ आपने जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत वह व्यवस्था भी आपको फरमानी है। यह भी मैं याद कराना चाहूंगा। आशा करता हूँ आप रिकार्ड को दुरुस्त कराएंगे जो कि आने वाले कल के लिये यह नजीर के रूप में प्रस्तुत होगी। और सदन के वरिष्ठ सदस्य सदन को गुमराह करने के लिये यहां पर रिकार्ड में गलत तथ्यों को लेकर आ रहे हैं इसके लिये भी उनको मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रताडित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वक्तव्य दिला दें, साहब। वक्तव्य दिला दें।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आप सभी माननीय सदस्यों को कहें कि पूरे दिन की कार्यवाही आप चलने दें। (व्यवधान) कल भी गरीब चार घण्टे खराब..। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बार सब अपनी जगह पर आ जाएं। एक बार सब जगह पर आ जाएं।

श्री सभापति: सदन चलाने में, जब तक आप सभी का सहयोग नहीं हो, सदन चलेगा कैसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री सभापति: अभी काफी सारे संशोधन भी आने वाले हैं।

### सूचना

#### विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अभी सब माननीय सदस्य आक्रोशित होकर सदन के वैल में इसलिये आये कि राजस्थान भर के आये हुए सरपंचों ने बाहर प्रदर्शन किया और इस प्रकार की सूचना आई कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, कई लोगों को लाठी लगी है। अश्रु गैस छोड़ी गई है और वहां पर स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। इसलिये हमारी, यथार्थ स्थिति वहां पर क्या है, कितने लोगों को लगी, कैसे लाठी चार्ज हुआ, क्या सारी स्थिति है, इस स्थिति पर हम जबकि राजस्थान के सारे सरपंच वहां पर आये हुए हैं, जन प्रतिनिधि हैं, वह किसी एक पार्टी के नहीं हैं। वह सभी पार्टियों के जन प्रतिनिधि हैं। तो वहां की स्थिति से यहां सब लोग आक्रोशित हैं तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि सदन में परम्पराएं रही हैं कि इस प्रकार का जब कोई एजिटेशन होता है और उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग या कुछ कार्यवाही होती है तो माननीय मंत्री महोदय आकर सदन को उस बात से अवगत कराते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप गृह मंत्रीजी को निर्देशित करें कि वह सदन में आये और वहां की स्थिति के बारे में, हम यह पंचायत राज मंत्रीजी से इन मांगों के बारे में उन बातों पर बात नहीं करना चाहते हैं। केवल एक छोटा सा मामला है कि जो वर्तमान में जिस प्रकार से वहां पर, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है जिस प्रकार से वहां

पर लाठी चार्ज हुआ है, जिस प्रकार से महिलाओं को चोट लगी है, क्या स्थिति है, किस प्रकार की है, वह सदन जानना चाहेगा। इसलिये गृह मंत्रीजी को बुलाकर आप माननीय गृह मंत्रीजी का उस पर आप वक्तव्य दिलवायें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आपने जो सरपंचों के बारे में, जो आज विधान सभा में इकट्ठे हुए हैं वह उनकी जो समस्या है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं सरकार का, और जो बाहर हुआ, उसके बारे में गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के लिये आप फरमा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार भी इन चीजों से चिंतित है कि पंचायती राज के सरपंचों के बारे में जो आन्दोलन चल रहा है उस आन्दोलन को कैसे उनकी वाजिब मांगों को माना जाए, यह सरकार के ध्यान में है, मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में है। पंचायती राज मंत्रीजी के ध्यान में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी परिस्थिति है, जब भी अपने समय पर इसके बारे में, गृह मंत्रीजी स्वयं सदन में उपस्थित हैं, वे वक्तव्य सही समय पर आपको दे देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कब दे देंगे?

श्री सभापति: मैंने आपको कहा ना। यह तो आपसे (व्यवधान) आप विराजें, प्लीज। आप विराजें, आप विराजें।

मेरा निवेदन आपसे है कि कल भी अचानक सदन के अन्दर कल भी काफी कुछ अपना समय चला गया। मेरा निवेदन है कि आज भी काफी सारे महत्वपूर्ण बिल, अब संशोधन आयेंगे, विधेयक हैं, तो उन सब पर सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने हैं यहां पर और उसके बाद में वह विधेयक पारित होने हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो अभी चल रहा है उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा को जारी रखें और गृह मंत्रीजी सदन में हैं, आपकी बात उन्होंने अच्छी तरह से सुन ली है। सभी माननीय सदस्यों ने सुन ली है। सरकार भी चिंतित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपकी बात स्वीकार कर ली। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम पंचायत की मांग के बारे में कोई वक्तव्य नहीं चाहते हैं। सरपंचों की जो मांगें हैं, उनके बारे में तो जब अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गई है, 3 तारीख को उनका वक्तव्य आयेगा, तब कर लेंगे। हम तो केवल माननीय गृह मंत्रीजी से यह चाहते हैं कि ऐसी सूचना आयी है कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है सरपंचों पर, चोट लगी है, काफी लोगों को, अश्रु गैस छोड़ी गई है। मेरी जानकारी नहीं है, जो सूचना आई, वह बता रहा हूँ। तो सदन को आप परिस्थितियों से अवगत करा देंगे तो सदन का वातावरण ठीक रहेगा और सबको जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ, इतना सा मेरा आग्रह है, केवल इतना सा, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: मैंने आपको कहा कि दिलवा देंगे। फिर आप यह कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे और समय गृह मंत्रीजी स्वयं तय करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आज के आज होना जाना चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको जानकारी नहीं है ना। आप भी जानकारी और प्राप्त कर लें। मैं भी मेरी जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी जानकारी भी ठीक होगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आपने सुनी हुई है बात। ज्यादा विस्तृत जानकारी, आपको भी वक्त रहेगा तो मिल जाएगी, मुझे भी वक्त रहेगा तो सारी जानकारी मिल जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, हमारे यहां तो यह कहना है, हमारे यहां कहावत है कि 'थारी आंख्यां चांदणो, म्हांकी आंख्यां अंधेरो', तो महाराज, आप जो कह देंगे वह बात ठीक है। इसलिये आप खड़े होकर फरमा दो कि वहां पर क्या स्थिति है। बिना मतलब आक्रोश पैदा हो, आप जानकारी प्राप्त कर लें। और मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर में जब भी आप जानकारी प्राप्त कर लें, इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

### पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

#### सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खनन श्रमिकों की समस्याएं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र सूरसागर विधान सभा क्षेत्र है। जोधपुर के अन्य क्षेत्रों से निकलने वाला जोधपुर का पत्थर अपने आप में छितरका पत्थर के नाम से पहचाना जाता है और जोधपुर की एक ऐसी परम्परा है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं जोधपुर के पत्थर से मेरा मकान बनाऊं, जोधपुर का पत्थर लगाऊं। यह वह जोधपुर का पत्थर है। इस पत्थर को खोद कर खान से निकालने वाले और इसकी घिसाई कर इसे आकार देने वाले खनन श्रमिकों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

Vps-usc-01.09.2010-14.00-2c

माननीय सभापति महोदय, खान मंत्रीजी सामने ही मेरे विराजमान हैं। मैं ज्यादा ऊंची आवाज में तो नहीं बोल सकूंगी मगर मेरी जो बात है, वह मैं इनको कहना चाहूंगी कि मजदूरी के समय स्टोन ट्रस्ट, मैं खुद स्वयं देखकर आई हूँ क्योंकि मेरा यह क्षेत्र नहीं था, मैं तो आज तक शहर क्षेत्र से लड़ी हूँ चार दफा, मगर इस बार मैं सूरसागर से गयी तो मैंने इन खानों को देखा और यहां पर जो श्रमिक काम करते हैं और जो कर्मचारी काम करते हैं उनको देखकर मैं आपको यह कहूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं और उनकी क्या दुर्दशा है, उसके बारे में थोड़ा खनन, वह फेफड़ों में प्रवेश कर उनके जो घिसाई करते हैं उसकी जो कंख, धूल उड़ती है वह उसके फेफड़ों के अन्दर जमा हो जाती है और सिलेकोसिक नामक रोग हो जाता है उनको ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे शरीर की

आक्सीकरण प्रक्रिया प्रभावित होने से यह लोग कमजोर हो जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और इस कारण, यह टी.बी. की बीमारी जिसको कहते हैं कि फलां आदमी को टी.बी. हो गयी तो सबसे ज्यादा टी.बी. जो इन खान श्रमिकों को होती है उससे ज्यादा किसी को भी नहीं होती है और इससे आक्सीकरण की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावित हो जाती है और टी.बी. का मरीज बन जाता है। इससे इनका परिवार रोटी के लिए तरसता है। टी.बी. होती है, इलाज करा नहीं सकते, फिर यह 40-45-50 साल के होते होते ही यह खतम हो जाते हैं और इनकी कोई साल-सम्भाल करने वाला नहीं होता है।

इनके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इनके लिए सरकारी स्तर से वहां मास्क मुंह के अन्दर लगाने के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाए क्योंकि यदि उनके मुंह के ऊपर वह बाँध दिया जाएगा तो कम से कम इनके शरीर के अन्दर तो वह नहीं जाएगा और खनन कार्य के समय श्रमिकों को इसे पहनने की अनिवार्यता करें, यह पाबंद कर दें कि यह मुंह पर लगाये बिना कोई भी काम नहीं करेगा। उसी प्रकार कठोरता से लागू की जाए जैसे सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए हेलमेट की और सीट बेल्ट की अनिवार्यता लागू है उसी तरह इनको भी करें।

खनन श्रमिकों को बस्ती में वर्ष में पल्स पोलियो, एक मैं यह चाहती हूँ कि माननीय सभापति महोदय, जैसे यह पल्स पोलियो चलाया जाता है सरकार की तरफ से तो मैं यह चाहती हूँ कि इन श्रमिकों के लिए भी एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे इनकी शरीर की जानकारी हो सके और इनके बच्चों के लिए रोग सहित सभी प्रकार के टीकों का निःशुल्क प्रबंध होना चाहिए क्योंकि वे टीके लगाने जाते हैं तो भी इनको कुछ राशि देनी पड़ती है तो मैं चाहता हूँ कि इनके टीके लगाने का भी प्रबंध हो और वह भी निःशुल्क हो।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर चौपड़ क्षेत्र है। उसके अन्दर एक औषधालय बना हुआ है। यह बात सही है, औषधालय तो है मगर मैं इसके सिलसिले में यह कहना चाहूंगी कि वहां पर एक 'दम', जो कि अस्थमा कहो या 'दम' कहो, एक ही बात है, इसका एक स्पेशलिस्ट वहां हो एवं टी.बी. का एक डाक्टर अनिवार्य हो और यहां माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हैं नहीं, नहीं तो मैं कहती मगर मंत्रीजी यहां विराजमान हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जिस औषधालय के अन्दर इन डाक्टर्स की अति आवश्यकता है और यह डाक्टर जरूर लगाने चाहिए। यह समस्या इन हजारों मजदूरों की है जो कि प्रतिवर्ष सरकार को करोड़ों का राजस्व देते हैं। आज उनके लिए कुछ भी अपन नहीं कर सकते हैं। विश्वभर में प्रसिद्धि दिलाते हैं, इसके बदले में वे केवल रोग से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने पीछे परिवार की असुरक्षा हो जाती है। उनके परिवार के पीछे कोई भी साल-सम्भाल करने वाला नहीं होता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इन खान श्रमिकों के लिए सरकारी बीमा की भी योजना होनी चाहिए ताकि इनकी साल-सम्भाल हो सके और उनके बीमा योजना आरम्भ की जा सके तथा मेरा यह भी कहना है कि जोधपुर खनन श्रमिकों के लिए 'माइनिंग लेबर आवासीय योजना'

बनाकर इनको सस्ते आवास अथवा भूखण्ड उपलब्ध कराने चाहिए। जो खुद मकान बनाने वाले हैं, गढ़ाई करने वाले हैं वे तो ऐसे ही बैठे हैं झोंपड़ियों के अन्दर और जब मर्जी आये जब ही यह नगर निगम चली जाएगी, कभी जे.डी.ए. चली जाएगी और जाकर उनके मकान तोड़ देगी और यह तो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं झोंपड़ियों के अन्दर तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जैसे यह श्रमिक हैं तो इनको कैसे मकान उपलब्ध हो सके। आप कोई भी नोमिनल चार्ज तय करें या क्या आपकी योजना करें, वह करें।

खान श्रमिकों के लिए मेरा एक और निवेदन है माननीय सभापति महोदय, कि खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने की जरूर व्यवस्था के विशेष प्रयास करें। इन योजनाओं में सम्मिलित कर सूर सागर क्षेत्र में ई.एस.आई. औषधालय भी खोला जाए और मैंने यह तो खान के बारे में कहा है माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी खान विभाग के अन्दर तो, मैं यह कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा खुला हुआ है। अभी-अभी कुछ ही अर्से पहले आपने खुद ने देखा कि पीछे से वह निकल रहे हैं और वह नोटों के, कहीं बाहर फेंक दिये, कार से चलते हुए, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा, मैं बीमार थी उस समय, फिर भी मैंने पढ़ा था तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो वहां बरसात हुई हुई है ऐसे-ऐसे एमियो-पेमियो, कौन जो आपके अफसर होते हैं, ऐसे लगे हुए हैं कि पैसे के बगैर तो वे बात ही नहीं करते हैं। अब एक तरफ तो आप कहते हो संवेदनशील सरकार है, जवाबदेह सरकार है। कैसी तो जवाबदेह सरकार है और क्या है? माइनिंग के अन्दर तो इतना तो अवैध खनन हो रहा है, मैंने कई पचासों पत्र लिखे हैं, मगर आपके किसी भी पत्र का जवाब नहीं आता है। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे सामने विराजमान हैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी। इनके पास कई विभाग हैं, इनके पास कोई पाँच-दस विभाग होंगे मेरे ख्याल से। जे.डी.ए. भी है, नगर-निगम भी है, होम भी है, सारे हैं इनके पास। मगर आप माननीय सभापति महोदय, आपका पत्र मेरे को जब मिलता है और मैं उस पत्र को पढ़ती हूँ तो मेरे को अभी आंखों में आंसू आते हैं, यह मेरे को क्या लिखते हैं, इनके और हमारे कितने संबंध है, हम साथ एम.एल.ए. रहे हैं और यह पत्र मेरे को क्या लिखते हैं, पत्र के अन्दर कि आपका पत्र मिला, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने आपके धन्यवाद पढ़ने के लिए पत्र नहीं दिया है। मैंने पत्र दिया है मेरे क्षेत्र के अन्दर काम कराने के लिए। मैं काम कराना चाहती हूँ। जिस क्षेत्र से मैं गयी हूँ उस क्षेत्र की स्थिति को देखो, मैं पत्र आपके टेबल पर रख दूंगी, आपके साइन है, मेरे तो साइन नहीं है, आपका लिखा हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आपके तो मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं न, आपके जोधपुर के ही तो आपको सीधा वहीं अपने...(व्यवधान)... आपकी मुख्य मंत्रीजी तो बहुत इज्जत करते हैं। आप सीधा वही बोल दिया करो। सारे डिपार्टमेंट उनके अधीन है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मेरे को जब ही तो तकलीफ ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मेरे को यही तो तकलीफ हो रही है कि मेरे गृह जिले के मुख्य मंत्री और गृह जिला उनका और वहां पर भी इस तरह से भ्रष्टाचार, कोई व्यवस्था नाम की

चीज नहीं, सड़कें टूटी हुईं और गंदगी का तो कोई जवाब ही नहीं है और मैं इनके मंत्रीजी के सामने कह रही हूँ, आपका खुद का पत्र मैं आपको खुद को दे दूंगी, अभी मेरे ख्याल से मेरा बार-बार इधर-उधर जाना-आना होता नहीं है, पडा होगा मेरे बेग में, आपने लिखा, मैं जो पत्र लिखती हूँ, आप लिखते हैं- 'धन्यवाद।' मैं आपको धन्यवाद के लिए पत्र नहीं लिखती हूँ। धन्यवाद तो मैं दूंगी आपको अगर मेरे क्षेत्र का आप काम करवाएंगे तो। मेरे क्षेत्र का काम नहीं कर रहे हो आप, जोधपुर की जनता का काम करवा रहे हो आप राजस्थान के मिनिस्टर हो, आप खाली कोटा के मंत्री नहीं हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अबके मैं आपको लम्बा पत्र लिखूंगा।  
...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को पत्र भी मत लिखो आप, मेरे को काम की बात करो। आप मेरे को पत्र की जरूरत नहीं है, मैं आपके पत्र से भी राजी नहीं हूँ, मैं आपके काम करने की प्रशंसा करना चाहती हूँ। काम करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आपने पिछली विधान सभा में मेरे को क्या कहा था कि मेरे सारे अधिकारी आएंगे और आपके साथ राउंड करेंगे। आज की तारीख तक एक भी अधिकारी नहीं आया। मैं खुद स्वयं उनको बुला-बुलाकर हाथा-जोड़ी करके बुलाती हूँ और कहती हूँ कि यहां सफाई करवाओ, यहां करवाओ क्योंकि यह सूरसागर क्षेत्र ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विषयान्तर हो रहे हो। अब बोलना तो किधर था और किधर से आप कह रहे हैं, अब इस ... (व्यवधान) ... जो विषय है उस पर बोलो आप ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या हो गया कह दिया तो? इसमें क्या बात हो गयी? बात तो सारी कहनी पड़ेगी।

श्री सभापति: सारी बातें तो कई बार आती रहती हैं। इसमें आप माननीय सदस्य,  
...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रही हूँ। मेरे को मौका आया है, चार दिन की तो विधान सभा है और यह मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कहूंगी क्या? मैं मेरे क्षेत्र का अगर मसला कह रही हूँ तो कोई गलत है क्या?

श्री सभापति: जो आपने पर्ची दी है उस पर ही बोलें तो ज्यादा ठीक है माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं कोई किसी गाली-गलौच नहीं कर रही हूँ। मैं काई माइंस करने वाली भी नहीं हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: पर आपने जो समस्या उठाई, उसी पर बोलो न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरे को कोई ठेका लेना नहीं, मेरे कोई माइंस नहीं, मेरे कोई प्लॉट लेने नहीं, मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ। मैं आप सबको यह कह रही हूँ, मैं मंत्रीजी से यह कह रही हूँ अब एक मारवाड़ी में कहावत है साहब 'मौका का फायदा उठाना चाहिए' तो मेरे को यह बोलने का मौका मिला और आज पर्ची खुल गयी है। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको कौन रोकता है, आपको कौन रोकता है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, आप तो यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

### **Spp/akt/14.10/2d/1.9.2010**

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो पत्र देते हैं, हर पत्र के अंदर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मैं धन्यवाद नहीं चाहती। मैं इनके मुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैं इतने करोड़ सैंकशन कर रहा हूँ, आप सड़क बनवाओ, आप सफाई करवाओ। मैं आज इनके मुख से यह सुनना चाहूंगी, फिर मैं बैठती हूँ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे पत्र का और मेरी बात का जरूर जवाब दें कि मैं आपके क्षेत्र में काम करवाऊंगा। सूरसागर क्षेत्र वास्तव में देखो तो ऐसी स्थिति के अंदर है, वहां से कांग्रेस के साथी भी जीते होंगे, हमारी पार्टी के एम.एल.ए.भी जीते होंगे। मगर आज वहां की स्थिति बहुत दयनीय है।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

मैंने एक सरविट कालोनी का भी पत्र लिखा था तो भी इन्होंने यह लिखा धन्यवाद। मैं काम करने के लिये पत्र देती हूँ। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। ..(व्यवधान)...

### **मांग**

#### **सरपंचों पर हुए लाठी चार्ज पर वक्तव्य की मांग**

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जवाब दें। रबड़ बुलेट की गोलियां चल रही हैं। ..(व्यवधान)... रबड़ की गोलियां चली हैं रबड़ बुलेट। ..(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): वहां गोलियां भी चली हैं। घायल इधर उधर फिर रहे हैं। लोगों के खून निकल रहा है और मंत्री महोदय अब इससे ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। जो वस्तुस्थिति है उसे तुरन्त बताइये। वहां गोलियां चली हैं। हथगोले छूटे हैं रबड़ ..(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): रबड़ बुलेट की वहां गोलियां चल रही हैं। गोलियां चल रही हैं और सरपंचों के गोलियां लगी हैं। ..(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या हो रहा है यह और उसके बाद भी इतना जरूरी काम है क्या ? इसके बाद भी आप जवाब नहीं दे सकते। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेकर बैठे हो। हम तो आपसे जानना चाहते हैं वस्तुस्थिति क्या है? जो हमें सूचना मिली है और जो वहां पर जाकर हमको टेलीफोन पर बताया कि रबड़ बुलेट चली है। चार-पांच लोग इंजर्ड हुए हैं।

उनके खून निकला हुआ है, वह गिरे हुए हैं और उसके बाद भी सरकार मौन बैठी हुई है। क्या बात कर रहे हो? ..(व्यवधान)..

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गोलियां चल रही हैं। ..(व्यवधान)..

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): इतना होने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम और क्या मांग रहे हैं आपसे?

श्री सभापति: अब बिराजो तो सही। ..(व्यवधान)..

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गोलियां चल रही हैं, गोलियां। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: मैं आपको बोल चुका हूँ, यह वक्तव्य दे देंगे। मैंने व्यवस्था दे दी है। सही वक्त पर दे देंगे। सदन अभी चल रहा है। ..(व्यवधान).. विस्तार में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जन प्रतिनिधियों पर गोलियां चलें। जनप्रतिनिधियों पर लाठी चले और मूक दर्शक की तरह गृह मंत्री कुछ बात भी नहीं कह रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: जब सदन में व्यवधान होगा तो सदन कैसे चलेगा? ..(व्यवधान).. दे देंगे, वक्तव्य दे देंगे। ..(व्यवधान).. आप बिराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): रबड़ बुलेट चलाने की जरूरत क्या पड़ गयी? ऐसी कोई अन-कंट्रोलेबल भीड़ थी क्या? ..(व्यवधान)..

### धरना

#### (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रवेश एवं धरना)

श्री पेमाराम (धोद): गोलियां लगी है अभी चुने हुए सरपंचों को। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने क्या मखौल बना रखा है? ..(व्यवधान)..राज्य के गृह मंत्री को कह रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): वह मरेंगे, क्या फायदा होगा? ..(व्यवधान)..

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, लाठीचार्ज ही नहीं हुआ बल्कि गोलियां भी चली हैं। उन लोगों के लगी हैं। अभी चुने हुए जन प्रतिनिधि पर गोलियां चली हैं। ..(व्यवधान)..

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरपंचों को गोली मार रहे हो और विधान सभा चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिये सरकार को। ..(व्यवधान)..

श्री पेमाराम (धोद): गोलीकाण्ड होने के बाद में विधान सभा चले। चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर गोली काण्ड हो..(व्यवधान).. यह राजस्थान में आप और हम सबके लिये शर्म की बात है। ..(व्यवधान)..

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरपंच मर रहे हैं और आप विधान सभा चला रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री पेमाराम (धोद): सरकार वक्तव्य दे, चुने हुए जन प्रतिनिधियों को गोलियों से मारना चाह रही है। ऐसी सूरत में विधान सभा कैसे चल सकती है? ..(व्यवधान)..इसलिये सभापति

महोदय, आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार वक्तव्य दे।  
..(व्यवधान)..

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आप चाहते क्या हैं? क्या और गोलियां चलवाकर मारना बाकी रहा है? ..(व्यवधान)..

श्री देवीसिंह भाटी: आप बारूद इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? सभापति महोदय, आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित कर देना चाहिये। हम वहां पर जाकर मौके पर उनसे मिल सकें।..(व्यवधान)..

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): और उसकी जानकारी भी आप हमको नहीं देते हो। हम आपकी जानकारी ही तो चाह रहे हैं। आपको लगता है तो आधा घंटा हाउस एडजोर्न कर लो ना। हम लोग भी मौके पर जाकर देख लेंगे। ..(व्यवधान)..सभापति महोदय, आधा घंटा एडजोर्न करिये ताकि हम भी मौके पर जाकर देख सकें। आधा घंटा रोक लीजिये, कौनसा आसमान फट जायेगा। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप बिराजें। आसन से व्यवस्था दे दी गयी है कि गृह मंत्रीजी बयान देंगे। गृह मंत्रीजी ने खुद ने जब उप नेता महोदय ने बात कही, उस पर उन्होंने कह दिया कि आपने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य दे दूंगा। फिर आपको और कौनसा वक्तव्य चाहिये। सदन चलाने में सहयोग करो। अपने अपने स्थान पर बिराजें। ..(व्यवधान).. जब मैंने आसन से व्यवस्था देदी। ..(व्यवधान)..अब कोई अंकित नहीं होगा। (संकेत से) ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: 000

डॉ० दिगम्बर सिंह : 000

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। उन्होंने स्वयं ने बोल दिया कि मैं वक्तव्य दे दूंगा फिर और क्या चाहिये आपको? ..(व्यवधान).. कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़: 000

डॉ० दिगम्बर सिंह: 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया: 000

श्री जानदेव आहूजा: 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया: 000

श्री देवीसिंह भाटी: 000

श्री पेमाराम: 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया: 000

श्री बंशीधर खण्डेला: 000

<sup>000</sup> : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, मैंने जब आसन से यह व्यवस्था दे दी है।..(व्यवधान).. आप सुनें तो सही।..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 000

श्री अनिल जैन: 000

श्री बंशीधर खण्डेला: 000

### सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: मैंने आसन से यह व्यवस्था दे दी है कि गृह मंत्रीजी..(व्यवधान).. आप सुनें तो सही। आप आसन के सामने क्या बात कर रहे हैं? ..(व्यवधान).. अगर कुछ नहीं करेगा तो आसन के सामने क्या कर रहे हैं? आपको बता दिया कि आसन से व्यवस्था दे दी है गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। ..(व्यवधान).. आपकी जो जानकारी है उसकी पूरी जानकारी लेकर गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे। ..(व्यवधान).. आप गृह मंत्रीजी का बयान चाहते हैं कि नहीं चाहते? ..(व्यवधान).. सदन को स्थगित करने की नौबत क्यों आ रही है? वह वक्तव्य देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीधर खण्डेला: 000

श्री सभापति: अब आप अपने अपने स्थान पर पधारो। अपने स्थान पर पधारें। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीधर खण्डेला: 000

एक माननीय सदस्य: 000

श्री सभापति: आप सदन स्थगित क्यों करना चाह रहे हैं? हाउस चलाना भी जरूरी है। हाउस चलाना भी जरूरी है माननीय सदस्य। जब आपको गृह मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया, पूरे सदन को आश्वस्त कर दिया कि मैं वक्तव्य दूंगा। आपने जो बात उठाई है, आपको जो जानकारी है, उसके आधार पर इन्होंने कहा है मैं पूरी जानकारी एकत्रित करके सदन के अंदर आज ही वक्तव्य दे दूंगा, फिर क्या बचता है? ..(व्यवधान).. और क्या है? अब बिराजो। आप बिराजो तो सही। ..(व्यवधान).. आप स्थगित क्यों करना चाह रहे हैं सदन। आप वक्तव्य चाह रहे हैं या स्थगित करना चाहते हैं? स्थगित से क्या लाभ होने वाला है? ..(व्यवधान).. स्थगित से क्या लाभ होने वाला है? ..(व्यवधान)..

solanki/Arun/01.09.10/14.20/2e

### सदन में नारेबाजी/धरना

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना एवं नारेबाजी जारी)

<sup>000</sup> : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आप खुद गृह मंत्री रहे हुए हैं और सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करूंगा कि जब मैंने आसन से व्यवस्था दे दी कि वे वक्तव्य देंगे। जल्दी देंगे और गृह मंत्रीजी ने जब कह दिया कि आपने तो जानकारी ले ली, मैं मेरी जानकारी लेकर दूंगा। वह पूरी जानकारी के बाद गृह मंत्रीजी के रूप में सरकार का वक्तव्य देंगे इसलिए आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री सभापति: आपकी बात गृह मंत्रीजी सुन रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ...<sup>(व्यवधान)</sup>... बैठिए आ।

#### (14.22 बजे)

#### (मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: सभी को नमस्ते।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री सभापति: मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरी बात सुनें और मेरी बात को समझें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। पहले आप शांति बनाये रखें। सदन और यह आसन आपसे है। जो आप चाहते हैं वही होता है। देखिए, कल जन्माष्टमी का त्यौहार है। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। जितना शीघ्रतिशीघ्र समाप्त करेंगे तो ठीक रहेगा। ...<sup>(व्यवधान)</sup>... सदन की कार्यवाही जारी रहेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। ...<sup>(व्यवधान)</sup>... माननीय सदस्य, आप इस सदन के वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी भाषा पार्लियामेंटी होनी चाहिए। आपकी भाषा पार्लियामेंटी नहीं है। आप शांति बनाये रखें। मैं व्यवस्था देता हूँ। आप मेरी बात मानें और मैं आपकी बात मानूंगा। ...<sup>(व्यवधान)</sup>... पहले आप बिराजें। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप अपनी भाषा पर कन्ट्रोल करें। You control yourself please.

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**सदन में नारेबाजी****( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पुनः नारेबाजी )**

मैं तो इस इरादे से ही आया था लेकिन जिस भाषा का प्रयोग इतने वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वह सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। आप आसन को बता रहे हैं। कल भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। फिर आप बाहर जाकर उनसे बात करें। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। ... (व्यवधान)... जिस ढंग से वह मुझे कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। आसन को आप लोग ही तो बनाते हैं। ... (व्यवधान)... मैं तो आया ही इसलिए था लेकिन वह कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है। गलत बात है। इतने वरिष्ठ होते हुए भी। ... (व्यवधान)... मैं इसीलिए तो आया कि मैं मदद करूं आपकी और वह कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती। मतलब कल भी तमाशा किया। वह अलग था। आज भी यही तमाशा हो रहा है। सदन की कोई गरिमा तो रखी जाए। सदन की कार्यवाही शुरू करवाइये, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, आसन सहयोग करेगा। गृह मंत्रीजी आपके आदेश से थोड़े ही देंगे। जो भी सूचना देंगे, सदन के आदेश से देंगे। ... (व्यवधान)...

**Msr/usc/01092010/1430/2f/1**

सदन के आदेश से देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप बैठिये, मैं सदन चलवाता हूं। आप बैठिये न। हां, बुलाते हैं, आप बैठिये।

**( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना व नारेबाजी जारी )**

देखिये, बात कहने का तरीका होता है, विरोध प्रकट करने का एक तरीका होता है, पार्लियामेंटी तरीके से कहें, कोड ऑफ कंडक्ट कहें। आसन के लिए, कल भी आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और आज भी शुरूआत कर दी है आपने। मैं आगाह कर रहा हूं कि आसन के प्रति आप आदर रखें। आपने कहा, हां आपने जो कहा वो तो अंकित नहीं होगा। ... (व्यवधान)...

**सदन में नारेबाजी/धरना****( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना व नारे )**

लेकिन जब मैं यहां पर आपके साथ मैं सहयोग करने के लिए आ गया, मैंने आपसे विनम्र निवेदन कर दिया उसके बाद भी आपकी भाषा तो और वो ... (व्यवधान)... नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): 000

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी यहां पधार जायेंगे, इसके अन्दर कहीं कोई विरोध नहीं है। हां, आ जायेंगे लेकिन पहले आप व्यवस्था तो बनाएं। आप विरोध तो करें लेकिन विरोध करने का तरीका तो हो।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री सभापति: आप लोग व्यवस्था बनाएं, सदन की कार्यवाही चालू करें, यह मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्रीजी आयेंगे। गृह मंत्रीजी तो आयेंगे ही, गृह मंत्रीजी तो आयेंगे ही यहां। और आसन बिलकुल कमजोर नहीं समझता, आपकी वजह से आसन मजबूत है, कमजोर आप बना रहे हैं आसन को। हां, गृह मंत्रीजी, लेकिन आप आदेश जिस ढंग से दे रहे हैं वो आदेश की गरिमा तो रखें, आपका बोलने का तरीका तो अच्छा हो।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे )

अभी गृह मंत्रीजी पता करने गये हुए हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: आज की कार्यवाही जितनी जल्दी आप खतम कर लेंगे उसके बाद मैं आप जाकर के मिल लेना, आपको सरपंचों के प्रति इतनी सहानुभूति है तो आप कार्यवाही करें, जाकर के उनसे मिलें, उनके खैर-ख्वाह बनें। आप तो यहां पर सिर्फ विरोध दिखा रहे हैं। देखिये, जो आपका मकसद था वो मीडिया के नोट हो गया, वो मीडिया ने देख लिया, बस।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे )

देखिये, आप जैसा चाह रहे हैं, गृह मंत्रीजी पहुंच गये, तो आप बैठिये, व्यवस्था बनाइये आप।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल से धरना समाप्त )

मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है एक बार फिर कि आप लोग शांति बनाएं, आपका सदन है और यह आसन भी आपका है, आसन के प्रति भी आदर रखें। नहीं, मैं इनसे भी हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आसन का यह भी मान-सम्मान करेंगे। लेकिन अनुशासन तो आपका है। जितनी हमदर्दी आपको है, मैं समझता हूँ पूरे सदन को हमदर्दी है सरपंचों के प्रति।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति जी, जब सारा सदन आपसे यह कह रहा है कि इतने सरपंच आये, उन पर लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस चलायी, यहां तक कह रहे हैं कि रबड़ की गोलियां भी चलीं, घायल हुए हैं, उनका टैण्ट पखाड़ कर फेंक दिया, 500 को पकड़ कर आपने जेल में डाल दिया, आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद सदन को भी आप जेलखाना बनाना चाहते हैं क्या?

हम चाहते हैं कि गृह मंत्रीजी यहां सदन में जवाब दें, सरकार ने क्यों गोली चलायी, सरकार ने क्यों लाठीचार्ज किया, क्यों अश्रु गैस छोड़ी? वो जीते हुए सरपंच यहां पर आये थे आपके पास, आपसे कुछ मांगने आये थे और आप उन पर लाठी, गोली चला रहे हो।

श्री सभापति: अब विराजिये आप, विराजिये। ...(व्यवधान)... अब आप शांति बनाये रखें, आदरणीय गृह मंत्रीजी खड़े हुए हैं, जो भी वो आपको बतायेंगे, आप अब शांति बनाये रखें।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय गृह मंत्रीजी, सरपंचों को बीच में पुलिस द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर आप बोलेंगे तो मैं गृह मंत्रीजी से विनेदन करूंगा कि वो कोई वक्तव्य नहीं देंगे किसी किस्म का भी। आप शांति बनाये रखें, हां।

अनेक माननीय सदस्य: मत दो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मत दो ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या बात हुई? मत दो वक्तव्य ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको शांति बनानी पड़ेगी, आप शांति बनाये रखें।

### सदन में नारेबाजी

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना व नारे )

देखिये, गृह मंत्रीजी तभी देंगे जब आप शांति बनायेंगे। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा अब, माईक बंद, अंकित नहीं होगा।

देखिये, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बैठिये, वो देंगे, आप बैठिये, आप बैठिये कृपया। देखिये, आप बैठिये, कृपया बैठिये आप। कृपया आप बैठिये। आप शांति बनाये रखें, कृपया आप बैठिये, वो वक्तव्य दे रहे हैं। बैठिये, बैठिये आप।

देखिये, आपकी भावनाओं से, मुझे तो सुनें आप, आसन पैरों पर है, आपकी भावनाओं से सारा सदन अवगत है, आप कृपया विराजिये। ...(व्यवधान)... आप विराजिये, आप बैठिये, वो बोलेंगे अब, आप बैठिये। आप बैठिये, वो देंगे, आप लोग बैठिये। आप बात नहीं मानते तो ठीक है।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे )

आप भी आसन को धमकाने के लिए नहीं हैं। आप भी आसन को धमकाने के लिए नहीं हैं। देखिये, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बैठिये, वो देंगे, आप लोग बैठिये। आप बैठिये, वो वक्तव्य देंगे। तो आप बैठिये न, वो दे रहे हैं न, आप लोग बैठिये। अब आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे )

अच्छा आप मेरी बात सुनें, आप भी सुनें, मैं गृह मंत्रीजी को निर्देश दे रहा हूं, वो अपनी बात कहेंगे, आप कृपया विराजें। आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारे)

**Ars/usc/2g/1440/01092010/1**

आपके यहां से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आसन के लिए वह गरिमा पूर्ण हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आप लोग बैठिये, कृपया विराजिए, कृपया विराजिये। मैं निर्देश दे रहा हूँ। आपकी भावनाओं से अवगत हो गया, मैं आपकी भावनाओं से अवगत हो गया...

### सदन में नारेबाजी

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे )

तो फिर आप बैठिए ना। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कृपया विराजें। आप गृह मंत्री जी से..... देखिये कोई शब्द, मैं वो शब्द, आप बैठिये, आप बैठिये। देखिये धमकाने वाली बात तो आसन कभी, आसन की तो अपनी गरिमा होती है। मैं फिर आपसे नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूँ। मैं निर्देश दे रहा हूँ। आप बैठें, आप विराजें। आप लोगों ने जैसा कहा.....

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी )

तो बैठिए फिर आप। आसन के कोई शब्द ऐसे नहीं हैं। आप लोगों ने तो हद ही कर दी है कल भी और आज भी। नहीं, आप बैठिए। अच्छा आप व्यवस्था बनाइये। आप व्यवस्था बनाइये, मैं बात करता हूँ। आप मेरी बात तो मानिये। तो आप पहले बैठिए। आप पहले बैठिए तो सही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सदन की चिन्ता जायज है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठें। गृह मंत्री जी को मैंने निर्देश दे दिया है, बैठें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): और गृह मंत्री जी बताने को तैयार हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वरिष्ठ नेता हैं, आप कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। आप कहेंगे, इनसे निवेदन करिये। आपका व्यवहार तो, देखिये मैं तो ज्यादा कह नहीं सकता। आपका व्यवहार तो आसन के प्रति बहुत ही वो था। आप बैठिये, आसन की गरिमा बनाने के लिए आप बैठें। आप बैठें, गरिमा बनाइये आप। आप पहले बैठिये कृपया।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारे )

आप पहले बैठिये कृपया। अगर आपको हमदर्दी है किसानों से, अगर आपको हमदर्दी है सरपंचों से तो वक्तव्य दें वो बोलें जो आप सुनें। यह तो सदन की बात सदन में रह जाएगी। पहले आप बैठें और व्यवस्था बनाएं। बैठिए आप। आपको मेरा यह पूरा पूरा आश्वासन है कि आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। आप कृपया व्यवस्था बनाएं। मैं निर्देश देता हूँ। हां प्लीज बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी को आपने निर्देश दिया कि वो आज सरपंचों के साथ जो बल प्रयोग हुआ है, उसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे माननीय बहुत से सदस्य वहां

पर गये और उन्होंने सारी स्थिति देखी। वह स्थिति सदन में आ जाए, उसके बाद में गृह मंत्री जी अपनी कहें और रामगढ़ वाले भी गये हैं और सारे सदस्य भी गये हैं, उनको एक एक करके आप सुन लीजिए ताकि सदन के सामने सारी स्थिति आ जाए और उसके बाद गृह मंत्री जी सारी बात कह दें ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाए। अमराराम जी।

श्री सभापति: कृपया विराजें, मेरी बात सुनें। पहली आपकी भावना से आपने अवगत कराया आसन को कि होम मिनिस्टर साहब यहां पर सदन में उपस्थित हों और अपनी बात कहें। वह बात, आपकी भावना आसन ने भी मानीं, आदरणीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह अपनी बात कहेंगे उसके बाद अगली कार्यवाही शुरू होगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनों पहले ।

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसका अर्थ यह है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन के उप नेता महोदय ...(व्यवधान)... कृपया बैठिये। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कृपया बैठें। कृपया बैठिये, माननीय आजाद साहब, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, आजाद साहब, राठौड़ साहब आप बिराजिए, कृपया बिराजिये ...(व्यवधान)... बेनीवाल साहब आपसे मेरा निवेदन है कि आप माननीय सदस्यों को कहिए कि वो विराजें।

मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आपने जैसा चाहा कि आपकी भावनाएं जो हमारे भाई सरपंच वहां पर हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया.....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बहनें भी हैं।

श्री सभापति: जो बहनें और भाई हैं, जो हमारी बहनें सरपंच हैं, वह भाई भी आ गये, बहनें भी आ गयीं। वहां पर जो लोग हैं उनके बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की। आपने कहा गृह मंत्री जी सदन में आएंगे, गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। आपने कहा कि गृह मंत्री जी वक्तव्य दें, अपनी बात कहें, वह देने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद जो बात है वह जब ही करेंगे, पहले गृह मंत्री जी अपना दे दें। अगर आप उससे सन्तुष्ट होंगे तो उसके बाद करने की मेरे ख्याल से कोई नहीं। आगे की कार्यवाही शुरू करें, पहले आपकी बात मानी गयी। आपको मैंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बात पर चलूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य वहां जाकर देखकर आए हैं।

श्री सभापति: यह आपकी सप्लीमेंट्री बात है। पहली बात आपकी यही थी ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): गोली चली है, सरपंचों को पीटा है ...(व्यवधान)... महिला सरपंचों के साथ घसीट घसीट कर मारा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको आसन ने ...(व्यवधान)... आप सक्षम हैं, गृह मंत्री जी वो ही तो .

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): महिला सरपंचों को पीटा है ...(व्यवधान)... डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान)... और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि गोलियां नहीं चलीं जबकि मैं खुद अपनी आंखों से वहां लोगों को गोलियों से तड़पता देखकर आया हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं। मैंने आपको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, आपका मान सम्मान करूंगा। जो आपने कहा वो मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी को निर्देश दे रहा हूं। ...(व्यवधान)... आप बैठिये, आप बैठिये। आगे की कार्यवाही शुरू हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा इतना ही आग्रह है, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गयी, हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गयी कि आपने निर्देशित कर दिया, माननीय गृह मंत्री जी आ गये और अब हम वक्तव्य सुनेंगे लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जो तीन माननीय सदस्य वहां मौके पर थे ...(व्यवधान)... जो माननीय सदस्य मौके पर थे, उनके सामने जो घटना हुई है वह सदन के सामने आ जाए और उसके बाद मैं गृह मंत्री स्टेटमेंट दे दें। इसके बाद सारा क्लियर हो जायेगा। तो जो सदस्य देख कर आए हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज देखा है, उनको आप कैसे रोक सकते हैं? सदन में कहेंगे इस बात को इसलिए उनकी बात सुनिये आप ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, हम स्वयं उस मौके पर थे और गोलियां चलीं ...(व्यवधान)... महिला सरपंचों को मारा गया और उनको घसीट घसीट कर पीटा गया ...(व्यवधान)...

### **vns/usc/1450/2h/1/01092010/1**

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनेंगे। आपने जो किया, आपकी पुलिस ने क्या किया है, सभापति महोदय, जो हुआ है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य फिर बात कैसे आयेगी ? लोग बार-बार खड़े रहेंगे, वक्तव्य तो आने दीजिये...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार के निर्देश पर जो किया है वह तांडव नृत्य तो आप सुन लो पहले, उसके बाद आप देओ। हम सुनेंगे तो वक्तव्य ही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने अभी तक वही बताया है। बैठिये ना...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप भी भाषण देंगे तो हम सुनेंगे ना...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मेरा स्टेटमेंट मांगा और मैं देने को तैयार हूं। अब आप क्या बोलना चाहते हैं ? क्या बोलना क्या चाहते हैं आप ? आपको तो वस्तुस्थिति मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या नहीं है ? आप क्या बतायेंगे...(व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): मेरे साथ चलो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरकार का वक्तव्य सुनना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुस्थिति के बाबत सरकार का वक्तव्य आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप मेनुपुलेटेड स्टोरी यहां पर बता रहे हैं। मनगढ़ंत स्टोरी आप जो बता रहे हैं..(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आपमें हिम्मत है तो हमारे साथ चलकर आओ वहां। आपमें हिम्मत है तो चलो देखकर आएँ..(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बिराजिये और व्यवस्था बनाये रखिये। मैं उप नेता से निवेदन करूंगा कि जो बात आपने कही आसन की आपकी भावनाओं का आदर किया। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सदन के इधर वाले लोग भी आसन का आदर करें। कार्यवाही को चलने दें। आप जो चाहते थे वह सदन ने सबने माना, आसन ने स्वीकार किया। आपकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए आदरणीय मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, हम तो मौके पर होकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, हम तो मौके पर होकर आये हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं उप नेता महोदय से विनती करूंगा कि आप वापिस सभी लोगों को संभालें..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): रमेश मीना, भाई रामहेत सिंह, यह मौके पर होकर आये हैं। आप उनकी भी सुनें। डा. जसवन्त सिंह भी मौके पर गये हैं। आप पूरी बात उनकी सुन लीजिये उसके बाद गृह मंत्री बोलें..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपकी भावना से पूर्णतः सहमत हूं और गृह मंत्रीजी तैयार हो गये, उनकी उदारता के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन फर्क इतना ही है कि माननीय गृह मंत्रीजी तो यहां थे, उनको अधिकारियों ने जो बात आकर बतायी है वह यहां सदन में रखेंगे और माननीय जो होकर आये हैं, यह अपनी बात रख देंगे तो दोनों बातें सामने आ जायेंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा इसलिये पहले माननीय सदस्यों को सुन लें..(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये आप लोगों को कोई चिन्ता नहीं है इस समय पर सरपंचों की। आप लोग अपनी बात से अब थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं इश्यु को..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने गृह मंत्री का स्टेटमेंट मांगा, मैं देने को तैयार हूं, आप टालना क्यों चाहते हो ? क्यों टाल रहे हो आप इस बात को ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): टाल नहीं रहे हैं..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरा स्टेटमेंट आने दीजिये मैं बताऊंगा आपको स्थिति क्या है ओर क्या नहीं है। वह तो आने दीजिये मेरा स्टेटमेंट..(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप पहले ही यह कैसे मान रहे हैं गृह मंत्रीजी गलत वक्तव्य देंगे..(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, उनका जनरेटर भी उठा ले गये, माइक भी उठा ले गये..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम टाल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उन माननीय सदस्यों को सुनिये जो मौके पर जाकर आए हैं उसके बाद आपका वक्तव्य चाहते हैं।

श्री सभापति: आप शांति बनाये रखें। आप मेरी बात सुनिये। मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि बात आपको सकारात्मक रूप से In a very positive way I am making a humble request you to all of you. Specially this side. आप मेरी बात मानें। आसन आपसे निवेदन कर रहा है..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हम तो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी को वक्तव्य देने दें। जहां तक साइट की बात है यह कोई साइट इंस्पैक्शन का केस नहीं है। जब मंत्रीजी ने एक बार वक्तव्य दे दिया सदन के अन्दर, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है उसके बाद की कार्यवाही बाद की होती है। हम यहां सदन में कोई पुलिस का केस बनाने के लिये नहीं आये हैं। हम लोग यहां पर आये हैं कि हमारे गृह मंत्री को जो जानकारी वह बहुत ही गम्भीरता से..(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पहले गृह मंत्रीजी की बात सुन लीजिये एक बार..(व्यवधान) पहले सुन लीजिये जो बता रहे हैं, जो बतायेंगे..(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): +++

श्री सभापति: देखिये मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूंगा। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ। उप नेता महोदय, मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बार-बार मैं यह कह रहा हूँ..(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सुनना नहीं चाहते हैं, सही बात है। पहले सुन लीजिये गृह मंत्रीजी की बात भी..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं फिर आपसे बार-बार..(व्यवधान) पूरा का पूरा सहयोग करूंगा और होम मिनिस्टर हाजिर हैं और वक्तव्य देने के लिये आपको तैयार हैं। अब आप नहीं सुनना चाहते हैं उनको। इसका मतलब आपकी भावना जो है आप बिलकुल भी वहां नहीं हैं..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप हम्बल रिकवेस्ट करें। आप हम्बल रिकवेस्ट करें पर पहले माननीय सदस्य बोलेंगे और फिर गृह मंत्री बोलेंगे। आप सुन लीजिये। पहले वह माननीय सदस्य जो होकर आए हैं, हम लोगों का जो डेलीगेशन होकर आया है, मौके पर देखकर आया है। खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, गिरफ्तार हैं वहां पर सरपंच। 5 सरपंचों को गिरफ्तार किया है। पूरी गुण्डागर्दी से लाठीचार्ज किया। पहले आप कामरेड अमरा रामजी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

को सुन लें। हम लोग वहां होकर आये हैं, आप उनकी बात सुनें उसके बाद गृह मंत्री बोलें। आप हम्बल रिकवेस्ट करें लेकिन पहले हमारी बात सुनें..(व्यवधान)

श्री सभापति: सुन लिया, यह क्या बात हुई ? जीरो ऑवर समाप्त होने जा रहा है। आपसे बार-बार मैं कह रहा हूं कृपया शांति बनाये रखें, गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को सुनें..(व्यवधान)

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): आप जान देते हैं, जानदेव तो यहां है।

श्री सभापति: नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें। बार-बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं..(व्यवधान)

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): आप जान मत दो, जानदेव तो यहां हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह जो सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण विषय है संशोधन विधेयक..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, कुछ लोग गये थे वहां पर..(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय से निवेदन करूंगा..(व्यवधान)

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): जान मत दीजिये, जान तो यहां है। जानदेव यहां खड़ा है..(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय दोनों पार्टियों के ने आपस में मंत्रणा कर ली। मैंने बोला कर ली और मंत्रणा के बाद जैसा मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं शांति बनाएं, कार्यवाही सदन की चलने दें। आपकी भावनाओं का मैंने आदर किया। सहयोग करके बार-बार मैं यह कह रहा हूं मंत्रीजी को वक्तव्य देने दें और आप अब दूसरी मांग को पहली मांग के साथ जोड़कर इसको मोर काम्पलीकेटेड न बनाएं, सिम्पलीफाइड करें..(व्यवधान)

श्री जानदेव आहूजा (रामगढ़): आप केस के इनवेस्टीगेटर हैं..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपकी बात ही स्वीकार करता हूं। आप तो केवल इतना आश्वस्त कर दें कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद जो विसंगतियां हो और जो माननीय सदस्य वहां जाकर आए हो, आपका वक्तव्य उनको यथार्थ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं लगे तो वह अपने प्रश्न पूछ लें, अपनी बात कह दें और उसके बाद आप और स्पष्टीकरण कर दो। अगर आप यह व्यवस्था देते हैं..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रश्नकाल हो रहा है ? ..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इतना संशय क्यों पैदा हो रहा है। प्रश्न यह है कि इतना संशय क्यों पैदा हो रहा ? बात आने दीजिये। आप क्या कर रहे हैं ? 3 घण्टे से बात ही तो आ रहा है आपकी। आप पिछले ढाई घण्टे से अपनी बात ही तो कह रहे हैं..(व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): हम आपके वक्तव्य का क्या करेंगे..(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): भाषण देना चाहें वह नहीं सुनना..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मेरा स्टेटमेंट मांगा और मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। किस बात का प्रश्न पूछना चाह रहे हो आप..(व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): आपके स्टेटमेंट का..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप अपनी बात से फिर रहे हो और आप सुनना नहीं चाहते हो मेरा..(व्यवधान) आप इसलिये सुनना नहीं चाहते हो..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हम सुनना चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बाहर के हालात जानने के लिये चिंतित नहीं हैं..(व्यवधान) प्रश्न पूछने के लिये चिंतित हैं। अब हालात जानने के लिये गृह मंत्री महोदय अपनी बात फरमा रहे हैं उनको सुनिये और..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आज तक की यह व्यवस्था रही है कि सदन में कोई वक्तव्य दिया है उस पर प्रश्न पूछने का राजस्थान की विधान सभा में 52 से लेकर आज तक रहा है और आप अगर यही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर तो क्या मतलब है वक्तव्य का। वह सरकार, वह सरकार जिसका मुख्यमंत्री 1998 में हजारों लोगों को लेकर के सचिवालय में घुस जाए और आज वह जन प्रतिनिधियों पर लाठी और गोली चलाए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये तो हजारों लोगों को लेकर के 1998 में सचिवालय में घुसकर दरवाजा तोड़कर जाए और आज अपनी मांग को लेकर..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने क्या किया..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप एडजोर्नमेंट मोशन लगा दो, आप कॉल अटेंशन लगा दो। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से प्रश्न पूछने का मुझसे। कॉल अटेंशनन मोशन लगाइये, एडजोर्नमेंट मोशन लगाइये..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गोली कांच की देखी है..(व्यवधान) कांच की देखी है आपने..(व्यवधान) तब पता लगे..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं प्रतिपक्ष के उप नेता से फिर निवेदन कर रहा हूं अब आप कृपया शांति बनवाएं, व्यवस्था को मन्टेन करवाएं। आज जो यहां पर बात हो रही है इसको विराम दिलवाएं। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी के सचेतक महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं कि वह भी करें..(व्यवधान) इसका मतलब यहां पर आप लोग जो चाह रहे हो सरपंच भाई बहनों के प्रति आपकी सहानुभूति, आपका कोई नहीं है। आप लोग तो इसको काम्प्लीकेटेड बनाकर..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने इस सदन को मिसफीड किया है। मैं सदन को वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है..(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आपकी कृपा से पेमाराम यहां नहीं आया है..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी और भरत सिंह जी की लड़ाई में आप सरपंचों को मराकर भरत सिंह जी को बली का बकरा बनाना चाहते हो..(व्यवधान) यह है काम। लड़ाई यह है..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने धारीवाल जी, कांच की गोलियां देखी हैं। कांच की गोलियां..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131(6) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बात स्टेटमेंट की चल रही है, कहां से यह बात लेकर के आ रहे हैं ? नियमों की बात करने वाले तो वह रहे जो पालना करते हों। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नियमों की दुहाई न दें..(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आसन ने जो व्यवस्था दी है उसे आपको टाइम देना होगा। आसन की व्यवस्था..(व्यवधान)

श्री सभापति: गृह मंत्री, अपना वक्तव्य शुरू करें..(व्यवधान) कृपया बैठिये..(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, हम किसी का भाषण सुनने के लिये नहीं आए हैं यहां। आसन की व्यवस्था को कायम रखना पड़ेगा आपको। यह सदन है कि क्या है ?..(व्यवधान) सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था होनी चाहिये..(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य प्रारम्भ कर रहे हैं..(व्यवधान) देखिये आप कृपया बैठिये..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी का वक्तव्य सदन की सम्पत्ति है और फिर हम अधिकारिक रूप से सवाल करें हमारा सबका अधिकार है..(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप कृपया शांति बनाये रखिये। आप बैठिये माननीय सदस्य..(व्यवधान) कृपया शांति बनाये। अब मंत्रीजी खड़े हो गये।

**श्याम/चौहान 01.09.2010 2j 15.00**

कृपया शांति बनाये रखें। अब मंत्री जी खड़े हो गये हैं, कृपया शांति बनाये रखें ... (व्यवधान)... अब आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूँ ... (व्यवधान)... मैं बोलने के लिए अलाऊ नहीं कर रहा हूँ, आप कृपया शांति बनाये रखें ... (व्यवधान)... अब तो अनुशासन रखें ... (व्यवधान)... सबकी भावनाओं की कद्र करें। यह लोग चाह रहे हैं कि मंत्री जी वक्तव्य दें, मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं ... (व्यवधान)... आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, पहले यह तय किया गया था कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: कृपया बैठें, अनुशासन में रहें, प्लीज ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और मुख्यमंत्री से मिलकर के जो कुछ भी उनकी मांगों पर ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, बैठिये आप ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो कुछ भी उनकी मांगें हैं वह बतायेंगे ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी के अलावा किसी का कोई भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन उन्हीं सरपंचों में विरोधाभास हो गया, कई गुट बन गये ... (व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं कर पाये ... (व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नतीजा यह निकला ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सुनना नहीं चाहते वक्तव्य, इसका मतलब जो मैंने किया ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरपंचों ने मंच पर भाषण किये, कई सरपंचों को भड़काया गया।

श्री सभापति: आपने कहा कि वक्तव्य दिलाओ तो भी आप वही कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और भड़काकर के उनसे यह कहा गया कि विधान सभा की तरफ कूच करो ... (व्यवधान) ... जिस पर प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर के, जब वह आगे बढ़े तो पुलिस ने उनको रोका ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: जब वह खड़े हो गये फिर क्या दिक्कत थी आपको ... (व्यवधान) ... बैठ जायें, जब वह खड़े हो गये ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरपंचों में ही घुसे हुए असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस पर पत्थर फेंकने चालू कर दिये ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: वह बाद की बात है ना ... (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बल्लियां उखाड़ना चालू करके पुलिस पर फेंकना चालू कर दिया ... (व्यवधान) ... जिससे एक उप निरीक्षक को चोट आयी और 5-6 कांस्टेबलों को भी चोट आयी। लेकिन 6 हजार की भीड़ में सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है जो कि अस्पताल में भर्ती है ... (व्यवधान) ... सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है ... (व्यवधान) ... पुलिस के पास कोई आर्म्स नहीं था, गोली चलाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता ... (व्यवधान) ... सबसे पहले वाटर केनन का इस्तेमाल किया गया फिर अश्रु गैस छोड़ी गयी ... (व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 000

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उस पर भीड़ नियंत्रण में नहीं आयी तो लाठी चार्ज हुआ। लेकिन 6 हजार आदमियों में से सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है। जो प्रतिपक्ष के द्वारा बात यहां पर कही गयी ... (व्यवधान)... असत्य है ... (व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: देखिये माननीय सदस्य ... (व्यवधान)... आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, अब मेरी बात तो सुनिये ... (व्यवधान)... आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। जो उन्होंने दिया है वह जिम्मेदारी का वक्तव्य है ... (व्यवधान)... वह सदन में दिया गया है। सदन में उन्होंने वक्तव्य दे दिया है। जो आपकी मांग पहले थी वह आपकी भावनाओं का पूरा आदर किया गया है ... (व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (अनुपस्थित): देखिये मैं फिर आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये ... (व्यवधान)... व्यवस्था बनाकर के सदन की कार्यवाही चलाइये। आप बैठिये ... (व्यवधान)... कृपया शांति बनाये रखें, अपने स्थान पर बैठें ... (व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

देखिये, मैं कह रहा हूँ, मंत्री जी का वक्तव्य एक जिम्मेदारी का वक्तव्य होता है। उन्होंने जो शब्द यहां पर कहे हैं, सदन में कहे हैं, बहुत जिम्मेदारी का वक्तव्य है। वह भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आप माननीय सदस्य हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

### धरना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अगर आपका यही रुख है, सरकार का यही रुख है। सरकार सरपंचों को बदनाम करना चाहती है। उनको मारने को वाजिब ठहरा रही है। हम इसके खिलाफ सदन में धरने पर बैठ रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप सदन को गुमराह करना चाह रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है वह अपने सामने आयी है ... (व्यवधान)... यह असत्य बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं ... (व्यवधान)... वह सब गोलियां देखी हैं अमराराम जी। लेकिन सदन को जो गुमराह कर रहे हैं वह दुनिया जानती है। दुनिया देख रही है कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो ओरिजनल बातों को जवाब दिया है ... (व्यवधान)... ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हैं, उनके खिलाफ में यह हो रहे हैं। यह भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज किसानों के हित में महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक आ रहे हैं। उनके खिलाफ यह भागने की तैयारी कर रहे हैं ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री प्रकाश चौधरी।

### समिति का प्रतिवेदन

**प्रश्न एवं संदर्भ समिति (क्रम संख्या 2)**

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह, कला एवं संस्कृति, देवस्थान, परिवहन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वित्त, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, राजस्व, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन, खनिज, वन, सहकारिता, विधि एवं न्याय, सहायता, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, आयुर्वेद, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन एवं आयोजना विभाग से संबंधित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा अब, केवल यह अंकित हो अब, आपका अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)... श्री अलाउद्दीन आजाद।

**प्राक्कलन 'ख' समिति (क्रम संख्या 12 एवं 13)**

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख' 2010-2011 के निम्न 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ:-

गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन एवं

गृह (कारागार) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)... राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010, शांती कुमार धारीवाल जी।

**विधायी कार्य: विधेयक पर विचार****राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री दिगम्बर सिंह (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लाल (बोलने के लिए अनुपस्थित)  
 श्री ज्ञानदेव आहूजा (बोलने के लिए अनुपस्थित)  
 श्री वासुदेव देवनानी (बोलने के लिए अनुपस्थित)  
 डॉ फूलचन्द भिंडा (बोलने के लिए अनुपस्थित)  
 श्री बंशीधर खण्डेला (बोलने के लिए अनुपस्थित)  
 श्री अमराराम (बोलने के लिए अनुपस्थित)

### **jyg/1.9.10/15.10/2k**

(अध्यक्ष पीठ से बिना अनुमति बोलने पर अंकित नहीं करने के निर्देश: जारी...)  
 (प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी: जारी)  
 प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

### **विधेयक का पारण**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो इजाजत होगी।

(कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

### विधेयक पर विचार

#### राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री ओम बिरला (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री नरपत सिंह राजवी (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

डा. दिगम्बर सिंह (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री हनुमान बेनीवाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

डाक्टर फूलचन्द भिण्डा (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री बंशीधर खण्डेला (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री रमेश चन्द्र मीणा (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री अमराराम (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

#### खण्डशः विचार

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि।

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

### विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो इजाजत होगी।

(कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिनियम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

### विधेयक पर विचार

#### राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण मीणा (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री ओम बिरला (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री अभिषेक मटोरिया (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्रीमती कमसा मेघवाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री अजय सिंह (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री अर्जुन लाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

डाक्टर फूलचन्द भिण्डा (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री हनुमान बेनीवाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

डाक्टर जसवन्त सिंह यादव (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री नरपत सिंह राजवी (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

- श्री बंशीधर खण्डेला (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्री गुलाब चन्द कटारिया (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्री राव राजेन्द्र सिंह (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्री अमराराम (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।  
 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):<sup>000</sup> ...(व्यवधान)...  
 श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000 ...(व्यवधान)...  
 श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बैठिए, बिजनस चल रहा है। देखिए, मैं दुबारा बोल रहा हूँ। आप लोग सुन नहीं पाए थे, हां नहीं बोल पाए थे।  
 खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।  
 प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?  
 (स्वीकृत)  
 खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए। ...(व्यवधान)...  
 खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।  
 प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?  
 (स्वीकृत)  
 खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।  
 श्री हेमाराम चौधरी।

### विधेयक का पारण

- श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।  
 श्री सभापति: जो सदस्य बोलना चाहें उनको अनुमति होगी।  
 (कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)  
 प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?  
 (स्वीकृत)  
 राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।  
 श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): 000

मोहन/चौहान/01092010/1520/21

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):<sup>000</sup>

000 अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक, 3 सितम्बर, 2010 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.20 बजे शुक्रवार दिनांक 3 सितम्बर, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

-----